सर्व शिक्षा अभियान

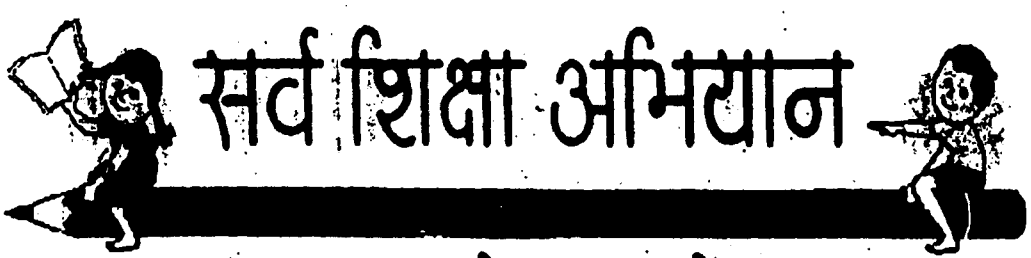

सब पढ़ें सब बढ़ें

समेकित कार्य योजना एवं बजट
2003-2007

जिला - दौसा (राज.)

जिला दौसा

Notional Map

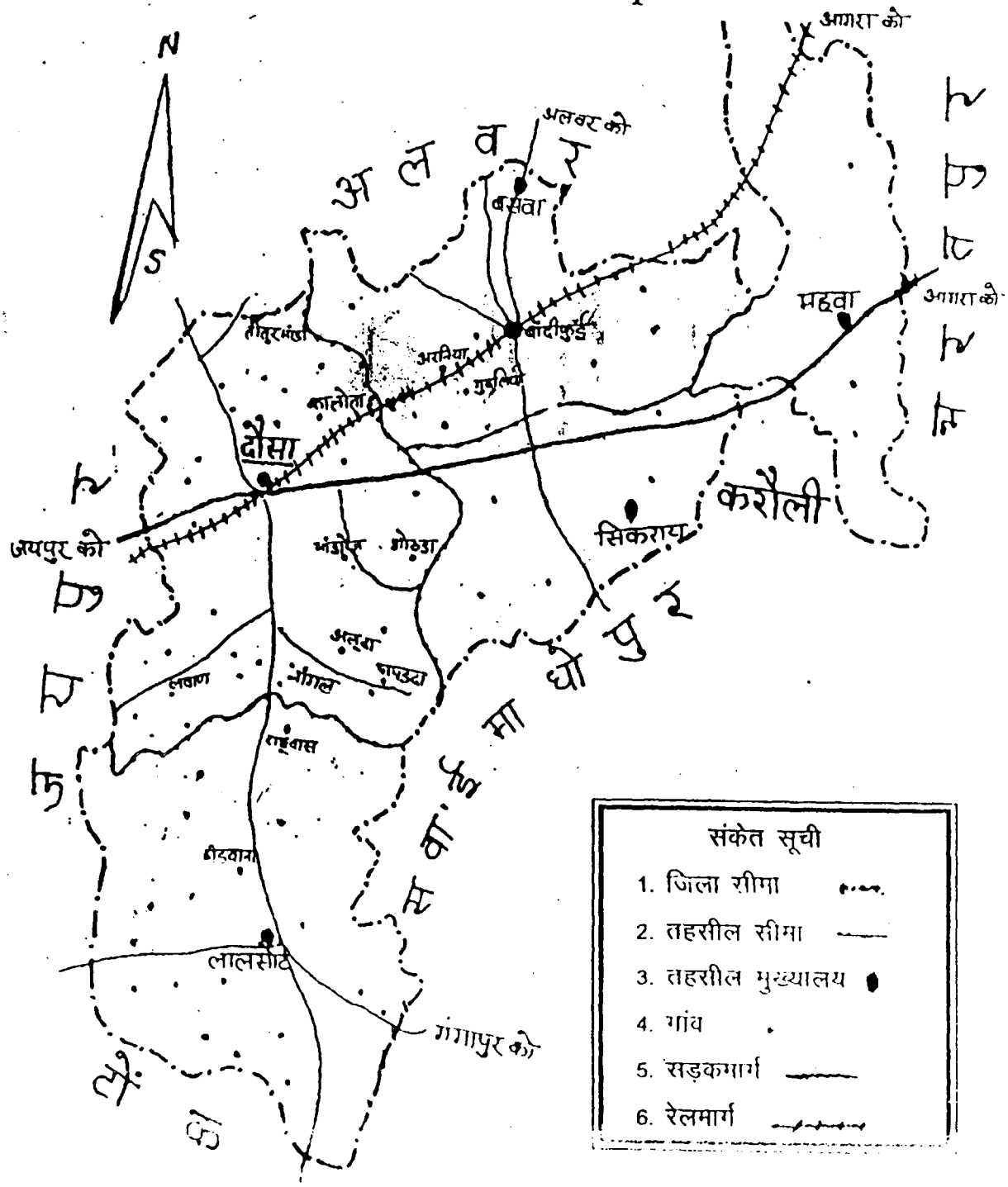

आमुख

नवगठित दौसा जिला गौरवशाली अतीत एवं सांस्कृतिक विरासत की धरा है।

जिले की निरन्तर विकास यात्रा जारी है। फिर भी शैक्षिक क्षेत्र के विकास के लिए नये आयामों की आवश्यकता है।

इस दिशा में "**सर्व शिक्षा अभियान**" मील का पत्थर साबित होगा।

"**सर्व शिक्षा अभियान**" की इस योजना में शाला प्रबन्धन समितियों की बैठकों से लेकर ब्लॉक और जिला स्तरीय बैठको में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वयं सेवी संगठनों एवं कम्युनिटी लीडर्स द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं एवं सुझावों का समावेश किया गया है।

इस योजना के निर्माण में सहयोग करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र है।

मैं "**सर्व शिक्षा अभियान**" की प्रभावी क्रियान्विति की कामना करता हूँ।

([illegible])

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, दौसा।

आमुख

"सर्व शिक्षा अभियान" की इस समेकित योजना में जिले की परिस्थितियों को समझते हुए, गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।

जिले की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शैक्षिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण सम्बलन एवं गुणात्मकता के लिए "सर्व शिक्षा अभियान" एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस पुनीत अभियान के सफल संचालन के लिए सभी जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों, समुदायिक नेताओं एवं शिक्षा प्रेमियों से जिला शिक्षा कार्यक्रम के साथ सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

(सी.पी. शर्मा)
जिला परियोजना समन्वयक
[illegible]

सर्व शिक्षा अभियान, दौसा

अनुक्रमणिका

अध्याय

1. जिला परिदृश्य
2. शैक्षिक परिदृश्य
3. योजना प्रक्रिया
4. लक्ष्य एवं उद्देश्य
5. पहुँच एंव ठहराव
6. गुणात्मक शिक्षा
7. विशिष्ट फोकस समूह
8. अनुसंधान, मूल्यांकन, निरीक्षण एवं प्रबोधन
9. प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास
10. निर्माण कार्य
11. आयोजना लागत
12. वार्षिक आयोजना एवं बजट 2002–03
13. क्रियान्वयन योजना

परिशिष्ट 1 से 4

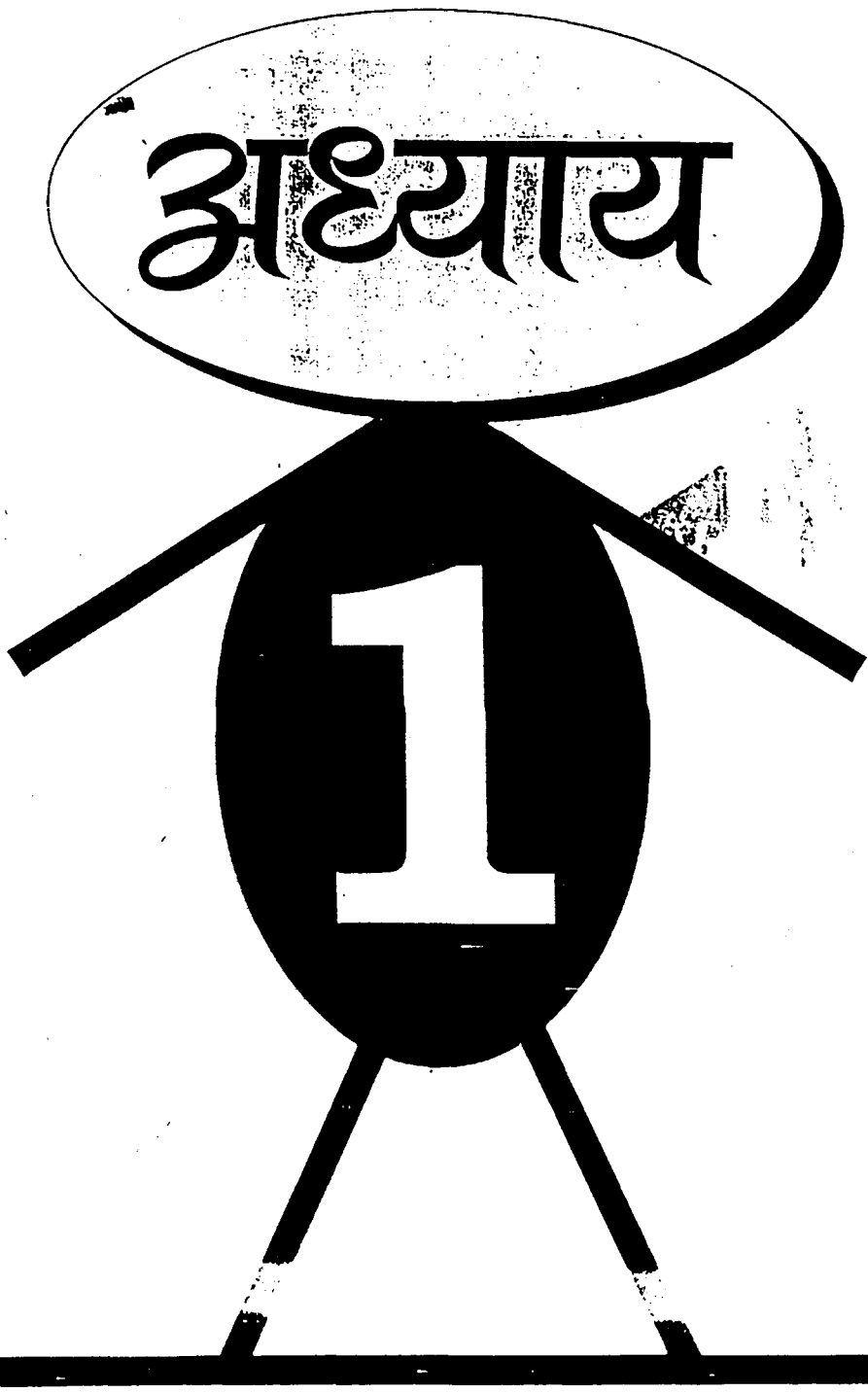

जिला परिदृश्य

1.1 भूमिका :–

दौसा जिले का गठन 10 अप्रेल 1991 को जयपुर जिले की चार तहसील – बसवा, दौसा, लालसोट एवं सिकराय को समेकित करते हुए किया गया। इसके पश्चात् 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महवा तहसील को शामिल कर जिले का विस्तार किया गया। दौसा को ढूँढार राज्य की प्रथम राजधानी एवं कछावा राजवंश के आमेर प्रस्थान से पूर्व की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यह जिला जयपुर स्टेट का अभिन्न अंग रहा है।

दौसा के नामकरण के संदर्भ में मान्यता है कि इसे देव नगरी के नाम से भी जाना जाता रहा है तथा देवसात से परिवर्तित होकर कालान्तर में इसका नाम दौसा विख्यात हुआ। यह परिवर्तन निम्नानुसार हुआ माना गया।

देवसात – देवसा – देऊसा – द्योसा – दौसा

"दूसरा शंकराचार्य" नाम से अभिहित दादू सम्प्रदाय के सर्वाधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ विद्वान महात्मा सुन्दरदास की जन्मस्थली दौसा का स्वर्णिम अतीत आज भी इसका आभा मंडल बन दैदीप्यमान है।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–

दौसा जिले का इतिहास 10वीं शताब्दी से उपलब्ध है। संभवतः उससे पूर्व यह भू–भाग जलमग्न था। शनैः–शनैः पर्वत की तलहटी से जल स्तर कम होता गया और लोग यहाँ बसने लगे।

दसवीं शताब्दी में दौसा नगर पर दो राजवंश शासन कर रहे थे – चौहान एवं बड़गूर्जर। दौसा के किले से आने वाला पर्वतीय नाला इन दो राज्यों को उत्तरी व दक्षिणी सीमा में विभाजित करता था। प्रारम्भ में दोनों राजवंशों में सद्भाव था परन्तु कालान्तर में वैमनष्य होने के कारण चौहानों ने

अपनी सहायता के लिए दूलेराय को ग्वालियर से आमन्त्रित किया। दूलेराय घोड़े के व्यापारी बनकर यहाँ आये तथा अपने श्वसुर की सहायता की तथा कूटनीति से उन्होने बडगूर्जरों को हराकर दौसा का शासन अपने पिता सौढ़देव को सौंपा। ये सौढ़देव भगवान राम के बडे पुत्र कुश के वंशज नल की 21वी पीढ़ी में 33वें ग्वालियर नरेश थे तथा इनके पुत्र दूलेराय का विवाह गढ़मोरा के चौहान राजा रालपसी की कन्या सुजानकंवर से हुआ। सौढ़देव ने 14 अक्टूबर 996 से 28 जनवरी 1006 तक तथा दूलेराय ने 29 जनवरी 1006 से 20 जनवरी 1036 तक दौसा पर शासन किया। दौसा के बाद कछावा नरेशों ने रामगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दूलेराय यहां से अपने निकट के संबंधी ग्वालियर नरेश जयसिंह तंवर की सहायतार्थ एक युद्ध में गये और वहीं घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद उनके पुत्र किलदेव ने बागी मीणाओं को तलवार के घाट उतारकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। दूलेराय एवं उनके परवर्ती शासको के समय का एक प्रतीक चिन्ह भोमिया जी का महल आज भी दौसा में स्थित है। यह किले से बाहर एक ऊँचे टीले पर मौहल्ला किला सागर में बना हुआ है। राजा मानसिंह के समकालीन राव सूरजमल की स्मृति में बनवाया गया जो कि सर्प योनि में प्रकट होकर भोमिया कहलाये बाद मे इन्हें देवयोनि प्राप्त हुई। आमेर एवं जयपुर के भूतपूर्व शासक राज्याभिषेक से पूर्व भौमियाजी की गद्दी का पूजन करके ही सिंहासनारुढ़ हुआ करते थे।

तेरहवीं शताब्दी में दौसा पर 14 संयुक्त राजाओं का शासन था। जो सम्भवतः आमेर के कछावा राजाओं के छुट भैयाओं में से थे। इन्होनें अपनी एक बहिन के लिए सन् 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सिपहसालार के लज्जा जनक प्रस्ताव के विरुद्ध शस्त्र उठाकर युद्ध किया एवं उन्हें पराजित किया। परन्तु घर के भेदियों के [illegible] के कारण [illegible] युद्ध में उन्हें पराजित होना पड़ा।

1.3 भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थिति :–

जिले की जलवायु शुष्क है।

जिले को अधिकतम तापमान 44° सेल्सियस एवं न्यूनतम 3.33° सेल्सियस रहता है। दौसा जिला 25°33′ से 27°33′ उत्तरी अक्षांश तथा 76°50′ से 76°90′ पूर्वी देशान्तर के बीच अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 340478 हैक्टेयर है। इसकी सीमाएं जयपुर टोंक, सवाईमाधोपुर, अलवर व भरतपुर जिले से लगती हैं। बाणगंगा, सावां, मोरेल इसकी मुख्य रीजनल नदियां है। माधोसागर, कालाखोह, चांदराना, सैंथल, मोरेल, रेहड़िया, नाहरखोर्रा और भण्डारी इस जिले के मुख्य बांध है। आभानेरी, मेंहदीपुर बालाजी, भांडारेज (भद्रावती), बसवा (महाराणा सांगा की समाधि) झाझीरामपुरा व अमौल आदि ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल हैं।

1.4 आर्थिक स्थिति – व्यवसाय, उद्योग एवं कृषि :–

दौसा जिला अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य जिला है। इसमे अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवार निवास करते है। मीणा, सैनी, गुर्जर, जाट, बैरवा, बन्जारा, आदि अनेक जाति परिवार अपने पैतृक काम धन्धो को अपनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहां की अधिकतर जनसंख्या कृषि आधारित कार्यो पर निर्भर है एवं यह कार्य भी मानसून पर पूरी तरह निर्भर है। जिले में बड़े उद्योग धन्धों एवं कलकारखानों की कमी है। अतः यहां खेतीहर मजदूरों की बहुलता है। इन्हें कारणों के चलते शिक्षा के प्रति लोगो की जागरुकता में कमी महसूस की जाती है।

दौसा जिला अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी संजोये हुए है तथा यहां प्रतिवर्ष दौसा में बसन्ती पंचमी मेला, कोलवा में महादेव मेला, झाझीरामपुरा में झाझीरामपुरा मेला, भाण्डारेज में बावड़ी वाला बालाजी का मेला, खुर्रा में बीजासनी माता मेला, लालसोट में गणगौर मेला, पीपलाज में पीपलाज माता का मेला, मेंहदीपुर बालाजी में मेंहदीपुरा बाजाली का मेला आयोजित होते हैं। इन मेलों में धार्मिक आस्था के साथ–साथ ग्रामीण कृषकों के दैनिक उपयोग की वस्तुएँ भी विक्रय की जाती हैं। दौसा जिले में सिकन्दरा चौराहे से बालाजी

मोड, गीजगढ़, मानपुर, महुवा तक आने वाले सड़क के किनारे पत्थर पर कलात्मक नक्काशी देखी जा सकती है। लगभग 240 स्टालों में शिल्पकला का सृजन किया जाता है। पत्थर की कलात्मक चिराई, तरह–तरह की जालियां, मकानों के चौखट, कुण्डी, गमले, मेहराब, मंदिर, छतरी, खम्भे, गेट लैम्प, शेर, हाथी, हरिण, ऊंट, मोर आदि पर कलात्मक नक्काशी देखी जा सकती है। इस उद्योग में लगभग 800 लोग जुटे हुए है।

यह जिला मार्बल, इमारती पत्थर, सोप स्टोन, क्वार्टज, डोलोमाईट, सेण्ड स्टोन आदि खनिजों से परिपूर्ण है तथा अरावली पर्वत श्रृंखला की लालसोट से बयाना रेन्ज इसकी लालसोट सिकराय और महुवा तहसीलों से गुजरती है। यहां की तहसील बसवा में मिट्टी बर्तन एवं कलाकृतियां, महुवा तहसील के बांलाहेड़ी में पीतल पर नक्काशी का काम, लवाण एवं सैंथल में दरियों एवं गलीचों का काम बहुतायत से होता है।

दौसा जिले में पानी की कमी जैसे आधारभूत कारणों से बड़े उद्योग धन्धे स्थापित नहीं हो पाये। तथा यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यो से ही अपना गुजर–बसर करती है।

1.5 जनसांख्यिकी :–

1.5.1 ब्लॉकवार शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या –

ब्लॉक	क्षेत्र	क्षेत्रफल वर्ग किमी. 1991	जनसंख्या 2001			घनत्व प्रति वर्ग	लिंगानुपात प्रति 1000 पु. पर सीमा
			पुरुष	स्त्री	योग		
दौसा	ग्रामीण	907.88	142604	129403	271907	–	907
	नगरीय	11.00	32848	27741	61589	–	845
	योग	918.88	175452	157144	333496	–	896
बाँदीकुई	ग्रामीण	600.80	140565	126418	266983	–	899
	नगरीय	31.27	8679	7613	16292	–	915
	योग	632.07	149244	134031	283275	–	898

लालसोट	ग्रामीण	853.96	131194	120095	251289	—	915
	नगरीय	9.42	14670	13608	28278	—	928
	योग	863.38	145864	133703	279567	—	917
सिकराय	ग्रामीण	502.73	111433	100098	211531	—	898
	नगरीय	—	—	—	—	—	—
	योग	502.73	1114383	100098	211531	—	898
महुवा	ग्रामीण	473.53	95705	83450	179155	—	872
	नगरीय	3.50	15740	13926	29666	—	885
	योग	477.03	111445	97376	208821	—	874

(स्त्रोत : जनगणना 2001)

दौसा जिले में नगरीय क्षेत्र बहुत कम हैं। दौसा खण्ड में सिर्फ 11 वर्ग किमी क्षेत्र शहरी है। जिले में ग्रामीण क्षेत्र की अधिकता है तथा अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। कुल जनसंख्या की ब्लॉक दौसा में 81.53 प्रतिशत, बांदीकुई में 94.58, लालसोट में 89.88 व सिकराय में 100 प्रतिशत एवं महवा में 85.79 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है।

1.5.2 जनसंख्या वृद्धिदर एवं लिंगानुपात –

वर्ष	जनसंख्या	पुरुष	स्त्री	स्त्री पुरुष अनुपात
1991	994431	527747	466684	884
2001	1316790	693438	623352	899
जनसंख्या में वृद्धि	322359	165691	156668	
वृद्धि दर	32.42	31.40	33.57	

(स्त्रोत जनगणना – 2001)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि दौसा जिले मे पुरुष एवं स्त्रियों की वृद्धि दर लगभग समान है फिर भी जिले में स्त्री पुरुष अनुपात में स्त्रियों का अनुपात बढ़ रहा है। जो कि एक शुभ संकेत है।

1.5.3 शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या –

क्षेत्र	जनसंख्या			बच्चे 0–6			साक्षर		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
ग्रामीण	1180965	621501	559464	238055	125121	112934	575374	393062	182312
शहरी	135825	71937	63888	22243	11879	10364	87601	54126	33475
कुल	1316790	693438	623352	260298	137000	123298	662975	447188	215787

(स्त्रोत जनगणना–2001)

शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति से विदित होता है कि **दौसा जिले में 10.24 प्रतिशत व्यक्ति ही शहरों में निवारा करते है जबकि 89.75 प्रतिशत लोग गांवो में निवास करते है। इनमें से 0–6 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की संख्या कुल जनसंख्या की 19.77 प्रतिशत है। जिसमें 19.76 प्रतिशत बालक एवं 19.75 बालिकाएँ हैं।** अतः जिले के विकास के लिए योजनाओं की क्रियान्विति ग्राम एवं वासस्थान स्तर पर करने की आवश्यकता है।

1.5.4. जातिवार जनसंख्या – (अनुमानित)

अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अन्य	प्रतिशत	योग
281003	21.34	346711	26.33	689076	52.33	1316790

(स्त्रोत जनगणना–2001)

जिले की जातिवार जनसंख्या के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिले में अनुसूचित जनजाति के 21.34 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के 26.33 प्रतिशत एवं अन्य जातियों के 52.33 प्रतिशत व्यक्ति निवास करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग आधी है। अर्थात जिले में वंचित वर्ग की बहुलता है। इन वर्गो में शैक्षिक चेतना की कमी है।

1.5.5 0–6 आयु वर्ग की जनसंख्या

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले में 0–6 आयु वर्ग के बालक–बालिकाएँ निम्नानुसार हैं ।

बच्चे 0–6		
पुरुष	महिला	कुल
238055	125121	112934
22243	11879	10364
260298	137000	123298

1.6 प्रशासनिक ढांचा :–

दौसा जिले में दौसा, बांदीकुई, सिकराय, लालसोट व महुवा पांच उपखण्ड है। इस जिले में 225 ग्राम पंचायते, एवं 2725 पंचायत वार्ड है तथा दौसा, लालसोट व बांदीकुई नगरपालिका क्षेत्र है। जिनमें 65 शहरी वार्ड है। इस जिले में कुल 1052 राजस्व ग्राम है।

प्रशासनिक ढ़ांचा	संख्या
सब डिवीजन (उपखण्ड)	5
ब्लॉक	5
तहसील	5
गांव	1059
ढ़ाणी	1643
पंचायत	225

शहरी क्षेत्र	3
पंचायत में वार्ड की संख्या	2725
शहरी क्षेत्र में वार्ड की संख्या	65

1.7 जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनायें :-

1.7.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :-

योजनान्तर्गत वर्ष के प्रारम्भ में 362.10 लाख अवशेष थे वर्ष के दौरान 440.00 लाख रु. और प्राप्त हुए हैं। कुल उपलब्ध राशि 802.10 लाख रु. के विरुद्ध 328.07 लाख रु. व्यय किये जा चुके हैं। नोडल जिले के रुप में 501 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिनके विरुद्ध 257 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं तथा 244 कार्य निर्माणाधीन हैं।

इस योजना के तहत वर्ष 2001–02 में 7 विद्यालयों में विभिन्न निर्माण कार्य करवाये गये तथा इस पर 7.35 लाख रुपये व्यय किये गये।

1.7.2. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :-

योजनान्तर्गत 1.4.2001 को 134.80 लाख रु. अवशेष थे वर्ष 2001–02 में अब तक 300.00 लाख रु. प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल 434.80 लाख उपलब्ध राशि में से 260.65 लाख रु. व्यय किये जा चुके हैं योजना में 108 कार्य विगत वर्ष के अपूर्ण थे। वर्ष के दौरान 314 कार्य स्वीकृत किये गये। अतः कुल स्वीकृत 422 कार्यों में से 296 कार्य पूर्ण करवाये गये, 12 कार्य निरस्त किये गये एवं 85 कार्य प्रगति पर हैं।

इस योजना के तहत वर्ष 2001–02 में 2 विद्यालयों में विभिन्न निर्माण कार्य करवाये गये तथा इस पर 1.50 लाख रुपये व्यय किये गये।

शैक्षिक परिदृश्य

2.1 शैक्षिक विकास का इतिहास :–

स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही देश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रबुद्ध वर्ग का चिन्तन प्रारम्भ हुआ तथा संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की संस्तुति की गई।

इससे पूर्व दौसा जब कि जयपुर जिले का अंग था। यहां आम जनता के लिए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के प्रमाण अप्राप्य है। उस समय कुछ शिक्षित ब्राह्मण, मौलवी आदि धर्म संस्कृति एवं सामान्य हिसाब–किताब और भाषा की शिक्षा प्रदान किया करते थे।

अंग्रेजी सामाज्य के दौरान दौसा में एक राजकीय कॉलेज जो कि आजकल श्री रामकरण जोशी सीनीयर उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम संचालित है तथा दूसरा विद्यालय दौसा के भांण्डारेज कस्बे में स्थापित किया गया था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् दौसा शहर में अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई तथा 48 विद्यालयों से इसकी की शुरुआत की गई।

10 अप्रेल 1991 को दौसा पृथक जिला घोषित किया गया एवं यहां जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हुआ।

तब से अब तक राजकीय योजनाओं की क्रियान्वितियों के फलस्वरुप अनवरत विकास के पश्चात् आज जिले में 637 प्राथमिक विद्यालय, 479 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशालाओं, 104 शिक्षाकर्मी स्कूल, 285 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 32 संस्कृत विद्यालय, 148 सैकण्डरी स्कूल, 63 सी.उ.मा.वि., स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा 3 महाविद्यालय है। वर्ष 1991 में पुरुष साक्षरता दर 56.75 एवं स्त्री साक्षरता दर 14.15 थी। जबकि वर्ष 2001 में पुरुष साक्षरता दर 69.37 व स्त्री साक्षरता दर 43.15 हो गई है। इसी प्रगति के चलते 2001 का सत्येन मैत्रेय पुरुस्कार सौभाग्य भी दौसा जिले को प्राप्त है।

2.2 साक्षरता दर :–

खण्ड का नाम	साक्षरता दर								
	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
बाँदीकुई	67.35	83.03	49.89	66.22	82.23	48.43	84.51	95	72.49
महवा	66.71	73.44	47.59	65	82.35	45.15	76.82	89.95	61.96
सिकराय	62.37	79.28	43.63	62.37	79.28	43.63	-	-	-
दौसा	62.1	80.6	41.39	58.37	78.31	36.15	77.63	90.07	63.47
लालसोट	56.07	75.73	34.73	54.24	74.37	32.3	71.79	87.34	55.29
कुल	**62.75**	**80.37**	**43.15**	**61.02**	**79.19**	**40.83**	**77.13**	**90.12**	**62.54**

(स्त्रोत जनगणना 2001)

उक्त सारिणी प्रदर्शित करती है कि जिले की साक्षरता दर में खासी प्रगति हुई है। वर्ष 1991 में जिले की साक्षरता दर 36.86 प्रतिशत थी जिसमें 56.75 पुरुष एवं 14.15 प्रतिशत महिलायें साक्षर थी। जिले को वर्ष 2001 में साक्षरता के लिए सत्येन मैत्रेय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। फिर भी जिले की महिला साक्षरता दर संतोष जनक नहीं है। ब्लॉक लालसोट में सबसे कम महिला साक्षरता दर 32.30 है तथा अन्य खण्डों में भी यह 40 के आसपास ही है। अतः जिले में बालिका शिक्षा एवं महिलाओं मे शिक्षा चेतना के विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

जिले में साक्षरता प्रगति

वर्ष 1991

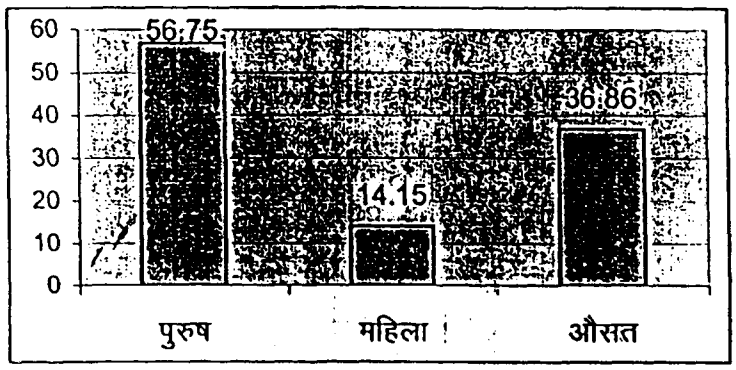

वर्ष 2001

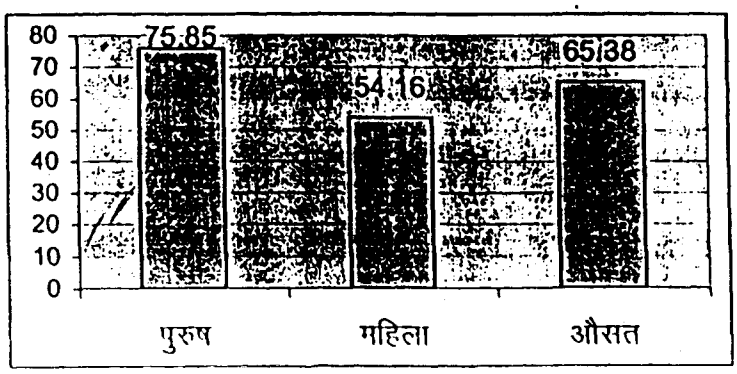

2.4 जिले में पहुँच की स्थिति

दौसा जिले में कुल 1643 ग्रामीण वास स्थान हैं तथा तीन नगर पालिका क्षेत्र हैं जिनमें 65 वार्ड हैं तथा प्रत्येक वार्ड एक वासस्थान के बराबर हैं अतः जिले में कुल 1708 वास स्थान हैं जिनमें राजीव गाँधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला एवं शिक्षाकर्मी विद्यालय सहित कुल 1200 प्राथमिक विद्यालय एवं 317 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।

(i) जिले में वास स्थानों की संख्या = 1708

(ii) जिले में उनवास स्थानों की संख्या जहां पर शैक्षिक सुविधा उपलब्ध है = 1550

(iii) उन वास स्थानों की संख्या जहां पर 1 किमी. की परिधि में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है = 127

तथा उन में अनामांकित बालक/बालिका = बालक(185), बालिका (445)
(6–14 आयु वर्ग)

(iv) उन वास स्थानों की संख्या जहां 3 किमी. की परिधि में उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है। = 78

उनमें 6–10 वर्ष के तथा 11–14 वर्ष के अनामांकित बालक/बालिका बालक(185), बालिका (445) (6–14 आयु वर्ग)

(v) उच्च प्राथमिक = 317

(1) प्राथमिक विद्यालयों की सकल पहुँच दर :–

प्रा.वि/वा.स्थान x 100,

= 1200/1708 x 100

= 70.25 प्रतिशत

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सकल पहुँच दर :–

उ.प्रा.वि / वा.स्थान X 100

= 308 / 1708 X 100

= 18.03 प्रतिशत

(by caste & by teacher category)

District: DAUSA | School management: Department of education | Academic year: 2002-03

Classification	Number of teachers													Total		
	Primary		Primary with upper primary		Pr. with up. pr. & sec. / h.sec.		Upper primary only		Upper primary with sec. / h.sec.		No response in categories & sex					
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Sex	Male	Female	Total
Total teachers																
Total	1761	261	1754	278	125	28	59	7	379	67	0	0	26	4,078	641	4,745
by caste																
General	692	174	786	183	60	23	29	2	199	54	0	0	6	1,766	436	2,208
SC	286	25	247	17	13	3	2	1	49	4	0	0	2	597	50	649
ST	404	25	369	41	22	0	18	1	72	4	0	0	3	885	71	959
OBC	370	32	326	32	21	2	10	2	53	4	0	0	3	780	72	855
ORC	1	0	8	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	10	4	14
Others	5	4	9	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	16	6	22
No response	3	1	9	1	8	0	0	0	4	0	0	0	12	24	2	38
by category																
Head teacher	334	28	215	18	9	2	9	0	7	2	0	0	0	574	50	624
Acting head teacher	56	4	76	12	4	0	2	0	12	6	0	0	2	150	22	174
Teacher	1103	183	1406	137	108	19	40	3	324	45	0	0	7	2,981	387	3,375
Para teacher	242	44	35	111	3	6	0	4	1	0	0	0	2	281	165	448
Part time teacher	3	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	10	0	11
Community teacher	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	8	0	8
Language teacher	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	8
Others	1	0	1	0	0	0	3	0	19	1	0	0	0	24	1	25
No response	20	2	11	0	1	1	3	0	8	13	0	0	12	43	16	71

2.5.2 अध्यापकों के कुल पद एवं रिक्त पद :-

स्वीकृत पद	कार्यरत अध्यापक	रिक्त पद
4107	4056	48

स्त्रोत डाइज 2002

2.5.3 सर्व शिक्षा अभियान में नियमानुसार अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता :-

सर्व शिक्षा अभियान के प्रावधानों के अनुसार 40 बच्चों का 1 अध्यापक होना चाहिए, जिले में 6–14 आयु वर्ग के बालकों की संख्या के आधार पर 1:40 की दर को बनाये रखने के लिये निम्नलिखित सारणी के अनुसार अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4)

वर्ष	अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता
2002–2003	81
2003–2004	200
2004–2005	365
2005–2006	530
2006–2007	652
2007–2008	334
2008–2009	190
2009–2010	196

(जनगणना 2001 के अनुसार)

Enrolment summary
(by school category)

District: DAUSA | School category: Primary with upper primary | Academic year: 2002-03

Enrolment		Classes								Total	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I - V	VI - VIII
General	Boys	2925	1709	1469	1380	1456	1578	1451	1250	8,939	4,279
	Girls	2430	1447	1266	1141	1104	1181	1043	811	7,388	3,035
SC	Boys	3720	2588	2200	1970	1729	2128	1855	1482	12,207	5,465
	Girls	3604	2206	1607	1205	969	1042	680	454	9,591	2,176
ST	Boys	4078	2928	2520	2422	2357	3116	2776	2606	14,305	8,498
	Girls	3937	2425	1834	1406	1276	1586	1242	1006	10,878	3,834
OBC	Boys	5285	3609	3310	2993	2856	3472	2842	2374	18,053	8,688
	Girls	4945	2941	2054	1610	1306	1313	945	720	12,856	2,978
Total	Boys	16,008	10,834	9,499	8,765	8,398	10,294	8,924	7,712	53,504	26,930
	Girls	14,916	9,019	6,761	5,362	4,655	5,122	3,910	2,991	40,713	12,023
% General		17.32	15.90	16.82	17.85	19.61	17.90	19.43	19.26	17.33	18.78
% SC		23.68	24.15	23.41	22.47	20.67	20.56	19.75	18.09	23.14	19.62
% ST		25.92	26.96	26.78	27.10	27.83	30.50	31.31	33.75	26.73	31.66
% OBC		33.08	32.99	32.99	32.58	31.89	31.04	29.51	28.91	32.81	29.95

Enrolment summary
(by school management)

District: DAUSA | School management: Department of education | Academic year: 2002-03

Enrolment		Classes								Total	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I - V	VI - VIII
General	Boys	2274	1699	1227	1059	945	917	868	992	7,204	2,777
	Girls	2394	1949	1437	1246	1042	1012	1003	884	8,068	2,899
SC	Boys	6129	4729	3692	3138	2618	2502	2384	2090	20,306	6,976
	Girls	7230	4812	3221	2299	1673	1213	829	589	19,235	2,631
ST	Boys	6412	4906	3529	3152	2822	2861	2727	2606	20,821	8,194
	Girls	8151	5354	3638	2678	2168	1774	1482	1238	21,989	4,494
OBC	Boys	7521	5866	4207	3667	3174	2632	2376	2271	24,435	7,279
	Girls	9850	6313	4000	2777	2026	1359	1020	814	24,966	3,193
Total	Boys	22,336	17,200	12,655	11,016	9,559	8,912	8,355	7,959	72,766	25,226
	Girls	27,625	18,428	12,296	9,000	6,909	5,358	4,334	3,525	74,258	13,217
% General		9.34	10.24	10.68	11.52	12.07	13.52	14.75	16.34	10.39	14.76
% SC		26.74	26.78	27.71	27.16	26.06	26.03	25.32	23.33	26.89	24.99
% ST		29.15	28.80	28.72	29.13	30.30	32.48	33.17	33.47	29.12	33.00
% OBC		34.77	34.18	32.89	32.19	31.58	27.97	26.76	26.86	33.60	27.24

Enrolment summary
(by school management)

District: DAUSA | School management: All management | Academic year: 2002-03

Enrolment		Classes								Total	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I - V	VI - VIII
General	Boys	5561	3566	3049	2823	2699	2380	2367	2396	17,698	7,143
	Girls	4791	3327	2739	2548	2296	1935	1830	1625	15,701	5,390
SC	Boys	9103	6916	5677	5075	4187	3446	3205	2812	30,958	9,463
	Girls	9496	6500	4505	3441	2453	1592	1106	801	26,395	3,499
ST	Boys	10830	8319	6483	6125	5445	4663	4366	4420	37,202	13,449
	Girls	11655	8038	5599	4485	3471	2379	1997	1693	33,248	6,069
OBC	Boys	13432	10116	8136	7499	6544	5250	4621	4310	45,727	14,181
	Girls	14442	9485	6333	4987	3444	2137	1637	1304	38,691	5,078
Total	Boys	38,926	28,917	23,345	21,522	18,875	15,739	14,559	13,938	131,585	44,236
	Girls	40,384	27,350	19,176	15,461	11,664	8,043	6,570	5,423	114,035	20,036
% General		13.05	12.25	13.61	14.52	16.36	18.14	19.86	20.77	13.60	19.50
% SC		23.45	23.84	23.95	23.03	21.74	21.18	20.40	18.66	23.35	20.17
% ST		28.35	29.07	28.41	28.69	29.20	29.61	30.12	31.57	28.68	30.37
% OBC		35.15	34.84	34.03	33.76	32.71	31.06	29.62	29.00	34.37	29.96

2.7 ठहराव दर (जेण्डर एवं खण्डानुसार)

क्र.	खण्ड	1994 में कक्षा 1 में नामांकन			2001–02 में कक्षा 8 में नामांकन			ठहराव दर		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	लालसोट	2117	837	2954	1186	460	1646	56.02	54.96	55.72
2	महवा	1278	630	1908	612	372	984	47.89	59.05	51.57
3	दौसा	3367	2960	6327	2613	2209	4822	77.61	74.63	76.21
4	सिकराय	2875	870	3745	1824	591	2415	63.44	67.93	64.49
5	बांदीकुई	1208	859	2067	821	449	1270	67.96	52.27	61.44
	कुल	10845	6156	17001	7056	4081	11137	65.06	66.29	65.51

(स्त्रोत BEEO/BRCF's)

जिले में सर्वाधिक ठहराव दर ब्लॉक दौसा की है। जहाँ कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले 76 प्रतिशत बालक कक्षा 8 उत्तीर्ण करते हैं। जबकि ब्लॉक लालसोट में सबसे कम 55 प्रतिशत बच्चे ही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करते हैं।

जिले की औसत ठहराव दर 65.51 है।

2.6 सकल नामांकन अनुपात (GER)

क्र.	खण्ड	जनसंख्या 6 से 14			नामांकन 1 से 8			सकल नांमाकन अनुपात		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	बाँदीकुई	34546	27413	61959	22778	16615	39393	65.94	60.61	63.58
2	सिकराय	27469	21081	48550	26632	19847	46479	96.95	94.15	95.73
3	दौसा	32402	25136	57538	36779	23710	60489	113.51	94.33	105.13
4	महवा	26843	20104	46947	15882	16187	32069	59.17	80.52	68.31
5	लालसोट	32650	25312	57962	31743	23066	54809	97.22	91.13	94.56
	कुल	153910	119046	272956	133814	99425	233239	86.94	83.52	85.45

(स्त्रोत BRCF's)

जिले में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात कम है। तथा जिले का सकल नामांकन अनुपात 85.45 है। अर्थात कुल में से 15 प्रतिशत बालक/बालिकायें नामांकित ही नहीं होती हैं।

Repeaters by type & class
(by school management)

District: DAUSA | School management: Department of education | Academic year: 2002-03

Class	Total enrolment		Repeaters by type				% Repeaters to total enrolment					
			Failure		Long absentees		% Failures		% Long absentees		% Total repeaters	
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
Class I	22336	27625	2504	2772	5006	6048	11.21	10.03	22.41	21.89	33.62	31.93
Class I	17200	18428	727	783	1726	1970	4.23	4.25	10.03	10.69	14.26	14.94
Class III	12655	12296	305	348	339	434	2.41	2.83	2.68	3.53	5.09	6.36
Class IV	11016	9000	150	167	73	127	1.36	1.86	0.66	1.41	2.02	3.27
Class V	9559	6909	37	32	48	44	0.39	0.46	0.50	0.64	0.89	1.10
Class VI	8912	5358	409	221	62	29	4.59	4.12	0.70	0.54	5.29	4.67
Class VII	8355	4334	277	128	60	21	3.32	2.95	0.72	0.48	4.03	3.44
Class VIII	7959	3525	610	212	33	10	7.66	6.01	0.41	0.28	8.08	6.30
Total	97992	87475	5,019	4,663	7,347	8,683	5.12	5.33	7.50	9.93	12.62	15.26

Repeaters by type & class
(by school category)

DAUSA | School category: Primary with upper primary | Academic year: 2002-03

	Total enrolment		Repeaters by type				% Repeaters to total enrolment					
			Failure		Long absentees		% Failures		% Long absentees		% Total repeaters	
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
I	16008	14916	1002	1011	1647	2046	6.26	6.78	10.29	13.72	16.55	20.49
I	10834	9019	311	313	677	646	2.87	3.47	6.25	7.16	9.12	10.63
III	9499	6761	204	156	143	166	2.15	2.31	1.51	2.46	3.65	4.76
IV	8765	5362	140	94	45	60	1.60	1.75	0.51	1.12	2.11	2.87
V	8398	4655	67	26	30	23	0.80	0.56	0.36	0.49	1.16	1.05
VI	10294	5122	268	131	52	24	2.60	2.56	0.51	0.47	3.11	3.03
VII	8924	3910	177	68	42	17	1.98	1.74	0.47	0.43	2.45	2.17
VIII	7712	2991	262	79	22	9	3.40	2.64	0.29	0.30	3.68	2.94
	80434	52736	2,431	1,878	2,658	2,991	3.02	3.56	3.30	5.67	6.33	9.23

2.8 संक्रमण दर :–

कक्षा	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
वर्ष 2000–01 का नामांकन	65286	51810	41536	37835	25326	18328	11161	10865
वर्ष 2001–02 का नामांकन	63037	45166	34502	28356	21335	16610	13096	11137
संक्रमण दर	-	69.18	66.59	68.27	56.39	65.58	71.45	99.78

(स्त्रोत BEEO/BRCF's)

सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रारम्भिक कक्षाओं में बालकों की संक्रमण दर कम रहती है तथा उ.प्रा. कक्षाओं में संक्रमण दर में क्रमिक वृद्धि होती है। अर्थात प्रा.वि. विद्यालयों में से अधिक बच्चे ड्राप आउट होते है। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेने के पश्चात् बच्चों कड्राप आउट की संभावनाएं कम हो जाती हैं।

दौसा जिले की कक्षा 1 से 2 में संक्रमण दर 69 एवं कक्षा 7 से 8 में 99.78 है।

Children with disabilities
(by management)

strict: DAUSA | School management: All management | Academic year: 2002-03

Enrolment		Classes								Total	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I - V	VI - VIII
Blind	Boys	28	20	23	24	20	11	5	8	115	24
	Girls	19	18	14	7	12	6	3	1	70	10
Deaf & dumb	Boys	37	25	27	20	26	6	10	7	135	23
	Girls	15	15	13	8	11	5	5	3	62	13
Orthopedic	Boys	137	113	122	151	131	101	83	90	654	274
	Girls	101	99	85	66	62	53	40	34	413	127
Mentally retarded	Boys	128	72	56	53	27	12	4	2	336	18
	Girls	67	51	33	19	13	4	0	0	183	4
Others	Boys	21	7	9	1	0	2	1	0	38	3
	Girls	2	2	4	3	4	1	3	2	15	6
Total	Boys	351	237	237	249	204	132	103	107	1,278	342
	Girls	204	185	149	103	102	69	51	40	743	160
% Blind		8.47	9.00	9.59	8.81	10.46	8.46	5.19	6.12	9.15	6.77
% Deaf & dumb		9.37	9.48	10.36	7.95	12.09	5.47	9.74	6.80	9.75	7.17
% Orthopedic		42.88	50.24	53.63	61.65	63.07	76.62	79.87	84.35	52.80	79.88
% Mentally retarded		35.14	29.15	23.06	20.45	13.07	7.96	2.60	1.36	25.68	4.38
% Others		4.14	2.13	3.37	1.14	1.31	1.49	2.60	1.36	2.62	1.79

Children with disabilities
(by management)

District: DAUSA | School management: Department of education | Academic year: 2002-03

Enrolment		Classes								Total	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I - V	VI - VIII
Blind	Boys	21	16	16	15	14	8	3	7	82	18
	Girls	19	12	10	5	7	6	2	1	53	9
Deaf & dumb	Boys	33	18	16	12	19	4	6	6	98	16
	Girls	10	10	11	3	4	5	5	2	38	12
Orthopedic	Boys	87	82	77	101	83	72	56	60	430	188
	Girls	75	76	58	44	45	41	30	26	298	97
Mentally retarded	Boys	84	45	27	31	17	8	2	1	204	11
	Girls	45	30	15	7	10	3	0	0	107	3
Others	Boys	6	6	8	1	0	2	1	0	21	3
	Girls	1	2	3	3	3	1	3	1	12	5
Total	Boys	231	167	144	160	133	94	68	74	835	236
	Girls	150	130	97	62	69	56	40	30	508	126
% Blind		10.50	9.43	10.79	9.01	10.40	9.33	4.63	7.69	10.05	7.46
% Deaf & dumb		11.29	9.43	11.20	6.76	11.39	6.00	10.19	7.69	10.13	7.73
% Orthopedic		42.52	53.20	56.02	65.32	63.37	75.33	79.63	82.69	54.21	78.73
% Mentally retarded		33.86	25.25	17.43	17.12	13.37	7.33	1.85	0.96	23.16	3.87
% Others		1.84	2.69	4.56	1.80	1.49	2.00	3.70	0.96	2.46	2.21

2.11 भौतिक सुविधायें (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/राजीव गांधी

कक्षा कक्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	8 से अधिक
प्राथमिक	5	27	45	172	225	225	85	—	—
उच्च प्राथमिक	—	—	—	5	3	15	175	105	5
राजीव गांधी	—	438	—	—	—	—	—	—	—
अन्य	33	—	—	—	30	2	3	5	—

स्त्रोत जि.शि.अ (प्रा.)

भवनहीन विद्यालयों हेतु भवनों की आवश्यकता

खण्ड	प्रा.वि		उप्रावि		रागाँपा		संस्कृत		शिक्षाकर्मी		वै.विद्या.		कुल सुविधा रहित
	सुविधा युक्त	सुविधा रहित	सुविधा युक्त	सुविधा रहित	सुविधा युक्त	सुविधा रहित	सुविधा युक्त	सुविधा रहित	सुविधा युक्त	सुविधा रहित	सुविधा युक्त	सुविधा रहित	
दौसा	158	7	54	1	66	16	5	-	13	3	-	8	34
लालसोट	147	6	64	4	87	70	8	3	15	8	-	7	97
सिकराय	72	6	52	-	65	22	3	2	36	0	-	5	34
बांदीकुई	141	3	61	-	58	3	5	1	18	11	-	6	24
महवा	95	6	49	-	69	3	1	4	-	0	-	4	16
कुल	613	28	280	5	345	114	22	10	82	22	-	30	205

(स्त्रोत DISE 2002)

जिले में 114 रागाँपा हेतु, 24 प्राथमिकी विद्यालयों हेतु, 5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु, 10 संस्कृत विद्यालयों हेतु एवं 22 शिक्षाकर्मी विद्यालयों हेतु भवनों की आवश्यकता है। जिसमें से 85 विद्यालय भवन (वै. विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय) DPEP द्वारा निर्मित किये जावेंगे। अतः SSA प्लान में जब क्रमोन्नत विद्यालयों की संभावित आवश्यकताओं को देखते हुए 112, 5 कक्षीय एवं 161 3 कक्षीय भवन प्रस्तावित किये गये हैं।

2.12 जिले में चल रही अन्य योजनाएं

2.12.1 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

जिले में 5 सितम्बर, 2001 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) संचालित है जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों के संबलन का कार्य किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय वर्ष में 46 शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करवाए गए हैं। जिनमें 459 शिक्षकों को लाभान्वित किया गया तथा 72.44 लाख रूपये में निर्माण कार्य करवाए गए हैं।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यों में 42 संकुलों की 573 महिला जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण शिविर करवाए गये एवं विद्यालयों में रैलियों एवं 380 वास स्थानों पर कलाजत्थे के कार्यक्रम आयोजित किये गये है तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु 813 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण आयोजित किये गये तथा 33 वैकल्पिक विद्यालय और 150 शिक्षा मित्र केन्द्र प्रारम्भ किये गये एवं बड़ी उम्र की बालिकाओं के लिए 15 आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किए गए है।

2.12.2 शिक्षा कर्मी योजना :-

जिले में दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था नियमित करने हेतु शिक्षा कर्मी परियोजना के तहत 99 प्राथमिक एवं 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें 295 शिक्षाकर्मी कार्यरत है। यह योजना जिले में सन् 1989 में लागू की गई थी।

2.12.3 गुरुमित्र योजना :-

यूनिसेफ के वित्तिय प्रावधानों के अन्तर्गत यह योजना ब्लॉक सिकराय मे लागू की गई थी जिसमें खण्ड के 25 शिक्षकों को डाइट गोनेर (जयपुर) में प्रशिक्षण दिया गया।

इसमें प्रशिक्षित सभी शिक्षक ब्लॉक में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत आनन्ददायी शिक्षा प्रदान की जाती है।

2.12.4 **समन्वित बाल विकास योजना (ICDS) :-**

यह योजना 3 – 6 आयुवर्ग के बालकों के लिए तैयार की गई है तथा इसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

- 3 से 6 आयु वर्ग के बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषाहार के लिए कार्य।
- 3 से 6 आयु वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा की अनौपचारिक व्यवस्था।

यह कार्यक्रम दौसा के सभी खण्डों में कार्य कर रही है।

खण्ड	सेन्टरों की संख्या	नामांकन
सिकराय	146	3172
लालसोट	167	8890
महवा	155	6374
दौसा	207	5047
बांदीकुई	190	8057
कुल	865	31540

(स्त्रोत – उ.नि.म.बा.वि.प.)

2.12.5 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड :-

शैक्षिक संस्थाओं में गुणात्मक सुधार एवं भौतिक प्रगति के लिए वर्ष 1986 से दौसा जिले में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 20 पर सृजित किये गये। इस योजना में ब्लॉकवार लाभान्वित विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है :-

ब्लॉक का नाम	ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना में लाभान्वित विद्यालयों की संख्या
दौसा	48
लालसोट	04
बांदीकुई	48
सिकराय	10
महवा	15
कुल योग	125

2.12.6 जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना :-

जिले में विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डीपीआईपी) जुलाई 2000 से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करना, उनकी क्षमता का विकास करना तथा उनको सशक्त किया जाना है, जिसके फलस्वरूप वे अपनी सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं की प्राथमिकता कर सकें एवं उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं सेवाओं एवं संसाधनों का उपयोग कर अपना जीवनयापन स्तर सुधार सकें।

2.12.7 **समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित परियोजना :–**

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विकलांगों के लिये आर्थिक सहायता देने के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही है जिसमें विकलांगों को ट्राईसिकल, श्रवण उपकरण, कैलीपर्स तथा कृत्रिम अंगों जैसे हाथ व पैर आदि दिये जाते हैं । समाज कल्याण द्वारा जो संस्थाओं विकलांगों के लिये कार्य कर रही हैं, उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाती है ।

इस विभाग द्वारा समय–समय पर कैम्प लगाकर विकलांग की प्रतिशत के आधार पर विकलांग प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाता है जिसके आधार पर उनको राजस्थान रोडवेज तथा भारतीय रेल्वे में यात्रा करने के लिये किराया छूट भी देय है।

समाज कल्याण द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले बालक व बालिकाओं को छात्रवृति प्रदान की जाती है।

योजना निर्माण

3 भूमिका :–

प्रत्येक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी योजना अत्यन्त आवश्यक होती है। अब तक अनेक कार्यक्रमों की योजना उच्च स्तर पर तैयार की जाती रही है। जो कि लोक मानस में अपनी पैठ नहीं बना सकी है।

सर्व शिक्षा अभियान की योजना बनाने के लिए प्रत्येक वास स्थान एवं विद्यालय स्तर पर बैठकें आदि आयोजित कर समाज की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करने का प्रयास किया गया है। विद्यालय स्तर पर आवश्यकताओं का ब्लॉक पर एवं ब्लॉक्स की आवश्यकताओं की समीक्षा जिला स्तर पर जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के समक्ष की गई। सर्व शिक्षा अभियान की योजना को वास्तविक स्वरुप एवं समाज के लिए फलप्रद बनाने हेतु योजना निर्माण में समाज की भूमिका निर्धारित की गई है।

3.1 योजना निर्माण कमेटियों का गठन :–

(अ) ग्राम स्तर पर निम्नांकित सदस्यों की गठित समितियों ने योजना निर्माण में कार्य किया है।

वार्ड पंच / सरपंच	–	अध्यक्ष
दो अनुसूचित जाति मेम्बर	–	सदस्य
दो अनुसूचित जनजाति मेम्बर	–	सदस्य
रामी वर्गो की एक–एक महिलाएँ	–	सदस्य
आंगनबाडी कार्यकर्ता	–	सदस्य
ANM	–	सदस्य
सेवानिवृत्त अध्यापक	–	सदस्य

स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि	–	सदस्य
उपेक्षित / शोषित वर्ग का व्यक्ति	–	सदस्य
प्रधानाध्यापक	–	सदस्य सचिव

(ब) खण्ड स्तर पर इस हेतु खण्ड स्तर की निम्नांकित समिति है

<u>खण्ड आयोजना समिति</u>

प्रधान पंचायत समिति	–	चैयरमैन
ग्राम पंचायत की सरपंच (दो महिलाएँ)	–	सदस्य
जिला परिषद की सदस्य (एक महिला)	–	सदस्य
पंचायत समिति की सदस्य (एक महिला)	–	सदस्य
शिक्षाविद्	–	संदस्य
महिला प्रेरक	–	सदस्य
अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य	–	सदस्य
विकास अधिकारी	–	सदस्य
सीनीयर सैकण्डरी स्कूल का प्रधानाचार्य	–	सदस्य
ब्लॉक का महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी	–	सदस्य
चिकित्सा अधिकारी (PHC का इन्जार्च)	–	सदस्य
खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी	–	सचिव

डी.पी.ई.पी.

(स) जिला स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान की योजना के लिए निम्नलिखित सदस्यों की जिला निष्पादक समिति का गठन किया गया

जिला आयोजना समिति

1. जिला प्रमुख – अध्यक्ष
2. जिला कलक्टर – उपाध्यक्ष
3. संसद सदस्य – सदस्य
4. विधानसभा सदस्य – सदस्य
5. प्रधान (समस्त) – सदस्य
6. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य
9. अति. कलक्टर (विकास) – सदस्य
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी – सदस्य
    जिला परिषद्
11. प्रधानाचार्य डाइट – सदस्य
12. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिक्षा – सदस्य
13. जिला शिक्षा अधिकारी (मा..) – सदस्य
14. सचिव जिला साक्षरता समिति – सदस्य
15. अधीक्षण अभियन्ता PWD – सदस्य
16. मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी – सदस्य
17. युवा समन्वयक नेहरु युवा केन्द्र – सदस्य
18. जन सम्पर्क अधिकारी – सदस्य

19. परियोजना निदेशक DWDA – सदस्य

20. दो शिक्षाविद् – सदस्य

21. एक अनुदानित शिक्षण संस्था का प्रतिनिधि – सदस्य

22. शिक्षक संघों के दो प्रतिनिधि – सदस्य
(एक महिला व एक पुरुष)

23. जिला परियोजना समन्वयक – सचिव
डी.पी.ई.पी.

3.2 कोर टीम का गठन :–

सर्व शिक्षा अभियान योजना हेतु निम्नांकित कोर टीम का गठन किया ।

1. जिला परियोजना समन्वयक, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
2. सहायक परियोजना समन्वयक, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (योजना)
3. ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी दौसा / लालसोट / सिकराय / महवा / बांदीकुई
4. खण्ड सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी दौसा / लालसोट / बांदीकुई / गीजगढ़ / महवा

3.3 योजना निर्माण की प्रक्रिया :–

सर्व शिक्षा अभियान की योजना के ग्राम स्तर से विभिन्न आयोजनों के फलस्वरूप प्राप्त आवश्यकताओं को ब्लॉक स्तर पर समेकित कर ब्लॉक स्तरीय कमेटी द्वारा पर्याप्त विचार–विमर्श के पश्चात जिला स्तर पर प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

3.3.1 शिक्षा आपके द्वार :–

शिक्षा आपके द्वार योजना की रुपरेखा राज्य में वर्तमान में चल रही शैक्षिक परियोजनाओं तथा औपचारिक शिक्षा को, जिसमें स्कूल एक केन्द्र बिन्दु होगा, की सम्मिलित कर व ध्यान में रखकर तैयार की गई इस अनूठी योजना का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2003 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को ध्यान केन्द्रित योजनाओं के माध्यम से शिक्षा से जोड़ना सुनिश्चित किया गया।

(1) शिक्षा दर्पण से प्राप्त आँकडों को घर–घर जाकर आदिनांक किया गया।

(2) प्रत्येक निरक्षर बालक/बालिका के अभिभावकों का आमुखीकरण तथा उन्हे अपने बालकों को शिक्षा से जोड़ने हेतु प्रेरित किया गया।

(3) बालकों को औपचारिक शिक्षा से आर्थिक या अन्य विशिष्ट कार्यों से शिक्षा से वंचित बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

शिक्षा आपके द्वार अभियान के सर्वेक्षण आंकडो की मदद से सर्व शिक्षा अभियान की रुपरेखा तैयार की गई है।

3.3.2 प्रशासन गांव/शहर के संग :–

दौसा जिले में 02.10.01 से यह अभियान प्रारम्भ किया गया। जिसके फलस्वरुप प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों ने गांवो एवं शहरो में विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित करके लोगों की समस्याओं का आंकलन एवं निरतारण किया। इस अभियान में नामान्तकरण खोलना/खातेदारी अधिकार/अतिक्रमण नियमन आदि राजस्व संबंधी कार्यो के साथ समाज की शैक्षिक समस्याओं की भी पहचान की गई। अभियान के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा 6 – 14 वर्ष के आयु वर्ग के शिक्षा से वंचित 164 बालक व 262 बालिकाओं की पहचानकी गई तथा 219 बालक

बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा गया शिक्षा से वंचित बालक/बालिकओं को शिक्षा से जोड़नें के लिए 36 वैकल्पिक विद्यालयों की योजना तैयार की गई तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 39 आंगनबाड़ी कार्यकत्ताओं एवं सहायिकाओं का चयन, 60 आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु स्थलों का निर्धारण, 45 हैण्डपम्प लगाने हेतु प्रस्ताव लिये गये।

उक्त प्रस्तावों में से यथा संभव आवश्यकताएँ सर्व शिक्षा अभियान की समेकित कार्य योजना के माध्यम से पूर्ण करने की योजना बनाई गई है।

3.3.3 योजना निर्माण विभिन्न स्तरो पर निम्नानुसार बैठके आयोजित की गई :-

क्र.	बैठक का स्तर	बैठक का नाम	बैठको की संख्या	बैठक में भाग लेने वाले संभागियों की संख्या		
				जन प्रतिनिधि	अधिकारी	अन्य
1	जिला स्तर	DPEP शाषी परिषद् जिला आयेाजना समिति की बैठक	1	15	20	16
2	खण्ड स्तर पर	खण्ड शिक्षा समिति की बैठक	5	5	25	74
3	विद्यालय स्तर/ ग्राम स्तर	SMC की बैठक	136	272	544	679

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – 4)

3.3.4 सामाजिक सर्वेक्षण अध्ययन :–

समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के उद्देश्य से डी.पी.ई.पी. द्वारा समाजिक सर्वेक्षण अध्ययन करवाया गया कि इन समूहों के लोग बच्चों को विद्यालय भेजने में अक्षम क्यों हैं।

3.3.5 ग्राम सभायें :–

जिले में 20 मई 2001, 15 अगस्त 2001 एवं 26 जनवरी 2002 को प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सभायें आयोजित की गई। इन ग्राम सभाओं में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों एवं समुदाय ने बैठक आयोजित कर ग्राम स्तर की मुख्य मुद्दो पर चर्चायें की। इन ग्राम सभाओं के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामवार आवश्यकताएँ चिन्हित कर उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखा गया है।

3.4 जिले की शैक्षिक समस्याएँ :–

कुछ विशेष वर्गों के समाजिक नेताओं जोकि एस.टी. एवं एस.सी. से सम्बन्ध रखते थे, के विचारों को विश्लेषित करने पर परया गया की वे अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे उन्हे नियमित शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। उनमें से कुछ समूह निम्नानुसार हैं :–

1. बंजारा :–

दौसा जिले सैंथल, बापी, बैरास, बान्दीकुई के सोनाडी और गोटूका लालसोट के गोदावास तथा चकजगनेर, गहुआ के गोपर और शाहपुर तथा सिकराय के चांदेरा और भालपुर क्षेत्र में निवास करने वाले बंजारा जाति के लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था होने पर शिक्षा से जोड़ने के लिए तैयार हैं।

2. मीणा :–

बान्दीकुई के खाजा रामसिंहपुरा तथा बासडा और लालसोट के बाडा और कल्याणपुरा की मीणा जाती के व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया।

3. कोली :–

बान्दीकुई के रामपुरा, जाटौलीखुर्द, लालसोट के चक जगनेर, कोलीवाड़ा एवं गोदावास सिकराय के नया गांव एवं सुरेर, ब्रह्मबाद के कोली समाज के व्यक्तियों का सर्वे किया गया।

3.5 शैक्षिक समस्याओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निष्कर्ष :–

- ✓ अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश शिक्षक विज्ञान किट, गणित किट, चार्ट, फ्लेश कार्ड, नक्शे, आदि का उपयोग नहीं करते हैं।
- ✓ दौसा जिले के लगभग 80 प्रतिशत शिक्षकों में पिछले पाँच वर्षो से कोई सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।
- ✓ दौसा जिले में शैक्षिक सुविधाओं की कमी है।
- ✓ दौसा जिले में शिक्षकों के 25 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त है।
- ✓ दौसा जिले में विद्यालयें में भवन आदि सुविधायें संतोष जनक है।
- ✓ दौसा जिले के 60 प्रतिशत विद्यार्थियों की 80 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति रहती है।
- ✓ शैक्षिक संस्थाओं के क्षमता विकास के लिए समुदाय की सहयोगी समितियाँ सक्रिय नहीं हैं।

- ✓ दौसा जिले में सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल व्यवस्था लगभग 60 प्रतिशत विद्यालयों में ही उपलब्ध है।
- ✓ शौचालयें की सुविधा केवल 30 प्रतिशत विद्यालयों में ही उपलब्ध है।

3.6 समस्यायें एवं मुख्य मुद्दे :-

क्र.सं.	समस्या	कारण
1	कम ठहराव	– उचित विद्यालय सुविधाओं का अभाव – भीड़ भरे कक्षाकक्ष – घरेलू कामकाज – छोटे बच्चों की देखरेख – कम उम्र में विवाह
2	पलायन	– बालकों का कृषि कार्य में सहयोग – शिक्षकों की अरुची – अरुचिकर एवं बोझिल पाठ्यक्रम – जेण्डर से सम्बन्धित कारण
3	कम उपलब्धी स्तर	– स्कूलों में शिक्षा की कम गुणवत्ता – स्कूलों में नवाचारों का नहीं होना – शिक्षकों का कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का अभाव तथा शिक्षण विधियों का सक्षम नहीं होना – एकल विद्यालय – शिक्षकों में जबाबदेही की कमी होना – भाषागत समस्याएँ – क्रिया अधारित शिक्षण का अभाव – अरुचिकर पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें
4	शैक्षिक प्रबन्ध और प्रशासनिक कारण	– विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में समन्वय का अभाव – अलग–अलग शैक्षिक कार्यक्रमों के अलग–अलग निरीक्षकों का होना – राजनैतिक हस्तक्षेप – कमजोर रिकॉर्ड संधारण

3.6.1 जागृति की कमी :-

जिले में विभिन्न बैठकों के दौरान यह जानकारी में आया है कि जन सामान्य शिक्षा के फायदों से वाकिफ नहीं हैं तथा वे विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन हैं। वे सोचते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा समय की बर्बादी और बेकार की मेहनत है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग कम उम्र में ही बालकाओं की शादी कर देते है तथा बालिकाओं को पराये घर की सम्पत्ति समझ कर शिक्षा से वंचित रखते हैं।

3.6.3 बाल श्रम एवं कामकाजी बालक :-

मातापिता की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अनेक बच्चे उनके पारिवारिक काम धन्धों एवं दुकानों, छोटे उद्योग धन्धों आदि में काम करते हैं। जिले के सैंथल और लवाण के गलीचा उद्योग, सिकन्दरा के पत्थर उद्योग, दौसा अल्पसंख्यक वर्ग के नगीना उद्योग आदि में सैंकडो बालक–बालिकाएँ मजदूरी करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक बच्चे घरेलू कामकाज केकारण भी शिक्षा से वंचित हैं।

3.6.4 पलायन :-

गरीबी और बेरोजगारी के कारण अनेक परिवार आसपास के कस्बों और महानगरों में मजदूरी, ईंट भट्टों पर कार्य, रिक्शा चालन, राजगिस्त्री, बेलदारी, रंगाई, पुताई आदि के लिए पलायन कर जाते हैं। इनके साथ उनके बालक भी पलायन करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे परिवारों के बच्चों शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

3.6.5 निःशक्तता :–

विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रुप से विकलांग बालक शिक्षा की मूल धारा से विलग हैं। शिक्षा दर्पण 2000 सर्वे के अनुसार 0.46 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी प्रकार की निशक्तता से पीडित है। इनमें से ओर्थोपेडिक, मानसिक, सुनने और बोलने की अशक्तता तथा दृष्टि संबन्धी अशक्तताओं से पीडित हैं। ऐसे बच्चों की संख्या 2321 है। इस प्राकर के बच्चों केलिए विशेष योजनाओं की आवश्यकता है।

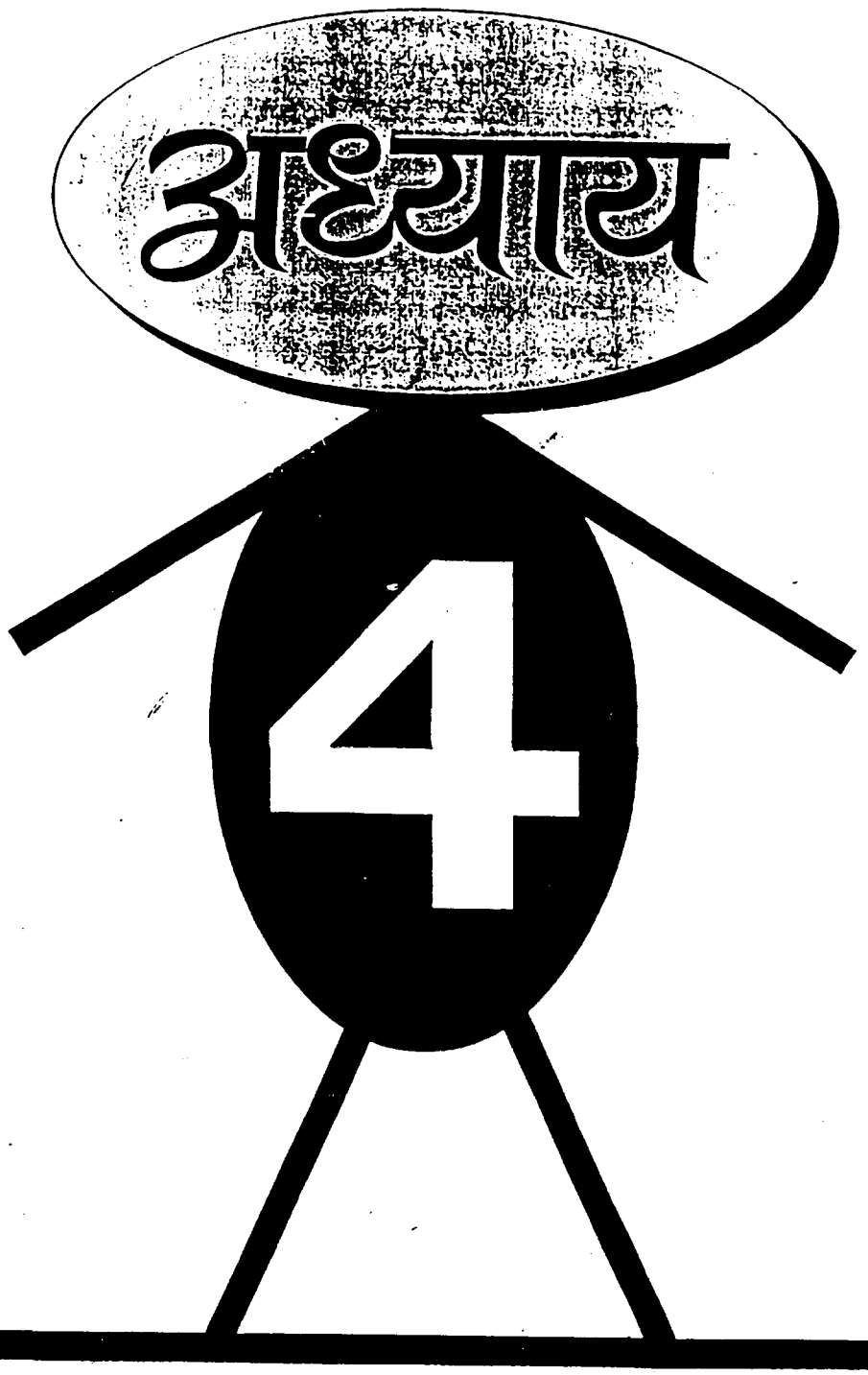

लक्ष्य एवं उद्देश्य

4.1 भूमिका :–

14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुसरण में सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षाका प्रावधान स्वतंत्रता प्राप्ति से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्य योजना 1992 में, इस संकल्प की मुखर अभिव्यक्ति हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा निति तथा कार्य योजना में दिए गए महत्व के अनुसरण में कई योजनाएं तथा कार्यकम आरंभ किये गये। इन योजनाओं में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, महिला समाख्या, राज्य विशेष बुनियादी शिक्षा परियोजनाएं जैसे आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा संबंधी परियोजनाएं, राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियेाजना, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम शामिल हैं।

सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय तथा समानता अपने आप में ही एक ठोस तर्क है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा मानवकल्याण, विशेषकर जीवन–प्रत्याशा, शिशु मृत्युदर, बच्चों का पोषाहार स्तर आदि के स्तर में सुधार करती है। अध्ययनों से पता चलता है कि सर्वसुलभ बुनियादी शिक्षा आर्थिक विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाती है।

प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रूप में सर्वसुलभ बनाए जाने पर राष्ट्रीय समिति की 1999 की रिपोर्ट :– प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं की तैयारी पर बल देकर, समग्र एवं संकेन्द्रित दृष्टिकोण से युक्त मिशन के रूप में प्रांरभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिये। इसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का समर्थन

किया और प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को मिशन के रूप में प्राप्त करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की इच्छा व्यक्त की।

प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। लेकिन दुख की बात है कि 6–14 आयु वर्ग के 20 करोड़ बच्चों में से 5.9 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इनमें 3.5 करोड़ लड़कियाँ तथा 2.4 करोड़ लड़के हैं। ये समस्याएं पढ़ाई बीच में छोड़ने की अधिक दर, अधिगम उपलब्धि का निम्न स्तर और लड़कियों, जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों की कम सहभागिता से संबंधित है। अभी भी देश में कम से कम एक लाख ऐसी बस्तियां/टोले हैं जहाँ एक किलोमीटर की दूरी के भीतर स्कूली सुविधाएं नहीं हैं। इसके साथ ही स्कूलों को अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, स्कूलों की असंतोषप्रद कार्य प्रणाली, शिक्षकों की अनुपस्थिति की अधिकता, शिक्षक रिक्तियों की अधिक संख्या, शिक्षा का असंतोषप्रद स्तर तथा अपर्याप्त निधियों जैसे विभिन्न संबद्ध कारण भी हैं। संक्षेप में, देश को अभी भी प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (यू.ई.ई.) के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसका तात्पर्य है सभी बस्तियों में स्कूली सुविधाएं प्रदान करके शत–प्रतिशत नामांकन तथा बच्चों को स्कूल में बनाए रखना। इसी अन्तरको पूरा करने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरंभ किया है।

4.2 सर्व शिक्षा अभियान क्या है ? (What is SSA /) :

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम है यह सम्पूर्ण देश में आधारभूत गुणात्मक शिक्षा की मांग के जवाब में प्रारम्भ किया गया एक प्रयास है। जिसमें सामाजिक न्याय की भावना को सुदृढ़ करने का विचार समाहित है। यह कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था में पंचायती राज संस्थान, शाला प्रबन्धन समितियों, गांव तथा शहरों की स्थानीय

समितियों, अभिभावक अध्यापक समितियों, माता शिक्षक समितियों एवं स्थानीय के सहयोग एवं सहभागिता पर आधारित है। यह कार्यक्रम केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों का साझा कार्यक्रम है। तथा यह राज्य को प्राथमिक शिक्षा के बारे में स्वंय के दृष्टिकोण को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।

सर्व शिक्षा अभियान की अवधारणा में निम्न गुणवत्ताओं का समावेश किया गया है:–

- यह प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का स्पष्ट समयबद्ध रूपरेखा (Clear Time Frame) का कार्यक्रम है।
- यह संपूर्ण राष्ट्र की मौलिक गुणवत्ता शिक्षा की मांग के लिए अनुक्रिया है।
- यह सामाजिक न्याय को मौलिक शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहन का अवसर देना है।
- यह पंचायती राज की संस्थाओं को प्रभावशाली ढंग से सम्मिलित करने का उपकम है। जिसमें सभी आधारभूत संस्थाएँ जो प्रारंभिक शिक्षा से सम्बद्ध हैं यथा – विद्यालय प्रबन्ध समिति गॉव तथा शहर की गन्दी बस्तियों के स्तर की शैक्षिक समितियाँ, माता शिक्षक समिति, आदिम जाति स्वशासित परिषदें को सकिय करनेका प्रयास है।
- सर्व शिक्षा अभियान संपूर्ण राष्ट्र में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के प्रति राजनैतिक उत्कंठा का व्यक्तीकरण है।
- यह केन्द्रीय, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन का साझा कार्यक्रम है।
- यह सभी राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा के प्रति अपनी निजी दृष्टिकोण (Own Vision) को विकसित करने का अवसर है।

4.3 सर्व–शिक्षा अभियान के लक्ष्य (Aims of SSA) :-

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य 2010 तक सभी 6–14 आयु वर्ग के बालकों को उपयोगी व संबंधित प्रारंभिक शिक्षा देना है। स्कूल के प्रबन्ध में समुदाय के सकिय सहभागिता के साथ समाज में लिंग भेद, क्षेत्रीयता तथा सामाजिक भेद की दूरी को पाटना भी एक लक्ष्य है। उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा का अर्थ उस खोज से है जो ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो समाज कोजोड़ समाज में भाईचारा पैदा करे।

इसका लक्ष्य बच्चों को उनके नैसर्गिक वातावरण को समझने, सीखने व अधिकार करने से ही है। जो उनकी समस्त शक्तियों (आध्यात्मिक व भौतिक शक्तियों) को काम में ला सके। इसकी खोज मूल्य आधारित अधिगम (Value Based Learning) भी है। जो बच्चों के एक दूसरे की भलाई के लिए काम करने के अवसर देता है। जिसमें उनके निजी स्वार्थ से वे ऊपर उठते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान शिशु शिक्षा व देखभाल के महत्व को भी अनुभव करती है और 0–14 वर्ष तक इसे निरन्तर प्रकिया समझती है। अतः स्कूल पूर्व शिक्षा के केन्द्रों (ICDS) की मदद करना, और जहाँ ICDS के स्कूल पूर्व केन्द्र नहीं हैं नये केन्द्र खोलने का उद्देश्य है ताकि महिला व बच्चों का विकास विभाग (Department -Women and Child Development) को सहयोग व समर्थन दिया जा सके।

4.4 सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य (Objectives - SSA) :-

- सभी बच्चों को विद्यालय या शिक्षा गारन्टी केन्द्र (Education Guaratnee Centers) वैकल्पिक विद्यालय (Alternate School) या अन्य स्कूल शिविर में 2003 तक लाना।

- सभी बच्चे 2007 तक प्रारंभिक शिक्षा के 5 वर्ष पूर्ण करे।
- सभी बच्चे 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के 8 वर्ष पूर्ण करे।
- जीवन शिक्षा को प्रमुखता देते हुए प्रारंभिक शिक्षा की संतोषजनक (Satisfactory Quality) गुणवत्ता का केन्द्रीकरण।
- प्राथमिक स्तर की सभी सामाजिक व लिंग भेदों की दूरी को 2007 तक पाटना (Bridge all gender and social category gaps) और यही कार्य प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का 2010 तक पूरी करना।
- सभी बालकों का समग्र 2010 तक ठहराव (Universal Retention by 2010)

सर्व शिक्षा अभियान के दो पहलू निर्धारित किये गये हैं –

1. यह प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं के कियान्वयन हेतु विस्तृत समावेश (Wide Conrergent) का ढांचा प्रदान करता है।
2. यह वित्तीय प्रावधानों (Budget Provision) का कार्यकम है जिससे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु गीरत क्षेत्रों (Hital Areas) को सुदृढ़ किया जा सके।

अतः सभी केन्द्रीय योजनाओं व राज्य योजनाओंके विशेष खर्च जो प्रारंभिक शिक्षा मद में निवेश होंगे वे सभी SSA का एक हिस्सा ही प्रदर्शित करेंगे। वे सभी SSA कार्यकम में आने वाली कुछ सालों में समाहित हो जायेंगे। अतः SSA एक कार्यकम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा सार्वजनीकरण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रावधान को प्रदर्शित या प्रतिबिम्बित करता है।

4.5 ठहराव :–

जिले में वर्ष 2010 तक बालकों का ठहराव 100 प्रतिश करने का लक्ष्य है।

प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
2007 तक 100 प्रतिशत	2010 तक 100 प्रतिशत

उप्रावि में ठहराव लक्ष्य :

वर्ष	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
ठहराव दर	60	65.5	70	75	80	85	90	95	100

4.6 गुणात्मक सुधार :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा करवाये गये बेस लाईन सर्वे के उपलब्धि स्तर के आधार पर DPEP द्वारा निर्धारित लक्ष्य (25 प्रतिशत उपलब्धि) यदि DPEP द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। तो उक्त लक्ष्य को सर्व शिक्षा अभियान में अर्जित किया जायेगा।

4.7 नामांकन –

वर्ष 2003 तक जिले के शत् प्रतिशत नामांकन के लक्ष्यों को निम्नानुसार प्राप्त करने की योजना है –

वर्ष	6 से 14 आयुवर्ग के बालकों की संख्या		
	कुल बालक/बालिकाएं	नामांकन	नामांकन का प्रतिशत
2001-02	272956	251247	92%
2002-03	281990	277000	98%
2003-04	290705	290000	99.75%

4.8 जिले के लक्ष्य :-

सर्व शिक्षा अभियान के तहत दौसा जिले के निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये है–

1. वर्ष 2002–03 तक शत्–प्रतिशत बच्चों का नामांकन।

2. प्रत्येक वास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में प्राथमिक एवं 3 किलोमीटर परिधि में उप्रावि स्थापित करना जिले में प्रावि एवं उप्रावि का वर्तमान अनुपात निम्न है।

प्राथमिक विद्यालय	:	उच्च प्राथमिक विद्यालय
784	:	308

अतः जिले में प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1 : 2 करने के लिए 161 प्राथमिक विद्यालयों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जावेगा।

3. वर्ष 2003 में नामांकित बच्चों को वर्ष 2007 में प्राथमिक एवं 2010 में उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करवाना।

4. इसके अतिरिक्त सर्वशिक्षा अभियान की क्रियान्विति के दौरान दौसा जिले के निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

   - जिले में वर्ष 2004–05 तक 188 प्राथमिक विद्यालयों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति।

- राजीव गांधी विद्यालयों को शिक्षा गारन्टी योजना से जोडकर नामांकन वृद्धि के आधार पर अतिरिक्त पैराटीचर एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना।
- जिले के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भवन रख–रखाव राशि 5000 रुपये प्रतिवर्ष का वितरण।
- जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना।
- विद्यालयों में आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन (2/3 कमरे), अतिरिक्त कक्षाकक्ष, शौचालय, हैण्डपम्प, पी.एच.ई.डी. कनेक्शन, रैम्पस का निर्माण करवाना। (विस्तृत विवरण District Proposals of SSA में अंकित है।)
- वर्ष 2006–07 तक 65 EGS/AS का PS में क्रमोन्नयन।
- जन समुदाय में शिक्षा के प्रति चेतना जागृत कर शैक्षिक संस्थाओं के प्रबन्धन में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करें।
- 250 पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रो की स्थापना।
- जिले के प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2000 रुपये प्रतिवर्ष विद्यालय अनुदान राशि का वितरण एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सम्पूर्ण हो जाने पर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में भी इस राशि का वितरण किया जायेगा।
- शिक्षकों एवं पैराटीचर्स के सतत प्रशिक्षण आयोजित करना।

- गुणात्मक सुधार हेतु अतिरिक्त कक्षायें, उपाचात्मक कक्षायें, आवासीय एवं गैरआवासीय ब्रिज कोर्स का आयोजन।
- समाज में व्याप्त लिंग विभेद एवं बालक एवं बालिकाओं के प्रति भेदभाव को मिटाना।
- डी.पी.ई.पी. के सम्पूर्ण हो जाने पश्चात् डी.पी.ई.पी. द्वारा स्थापित किये गये जिला परियोजना कार्यालय, खण्ड सन्दर्भ केन्द्रों, संकुल सन्दर्भ केन्द्रों का प्रबन्धन एवं संचालन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जाएगा।
- पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों (महिला एवं पुरुष) को जागरुक करने हेतु इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।

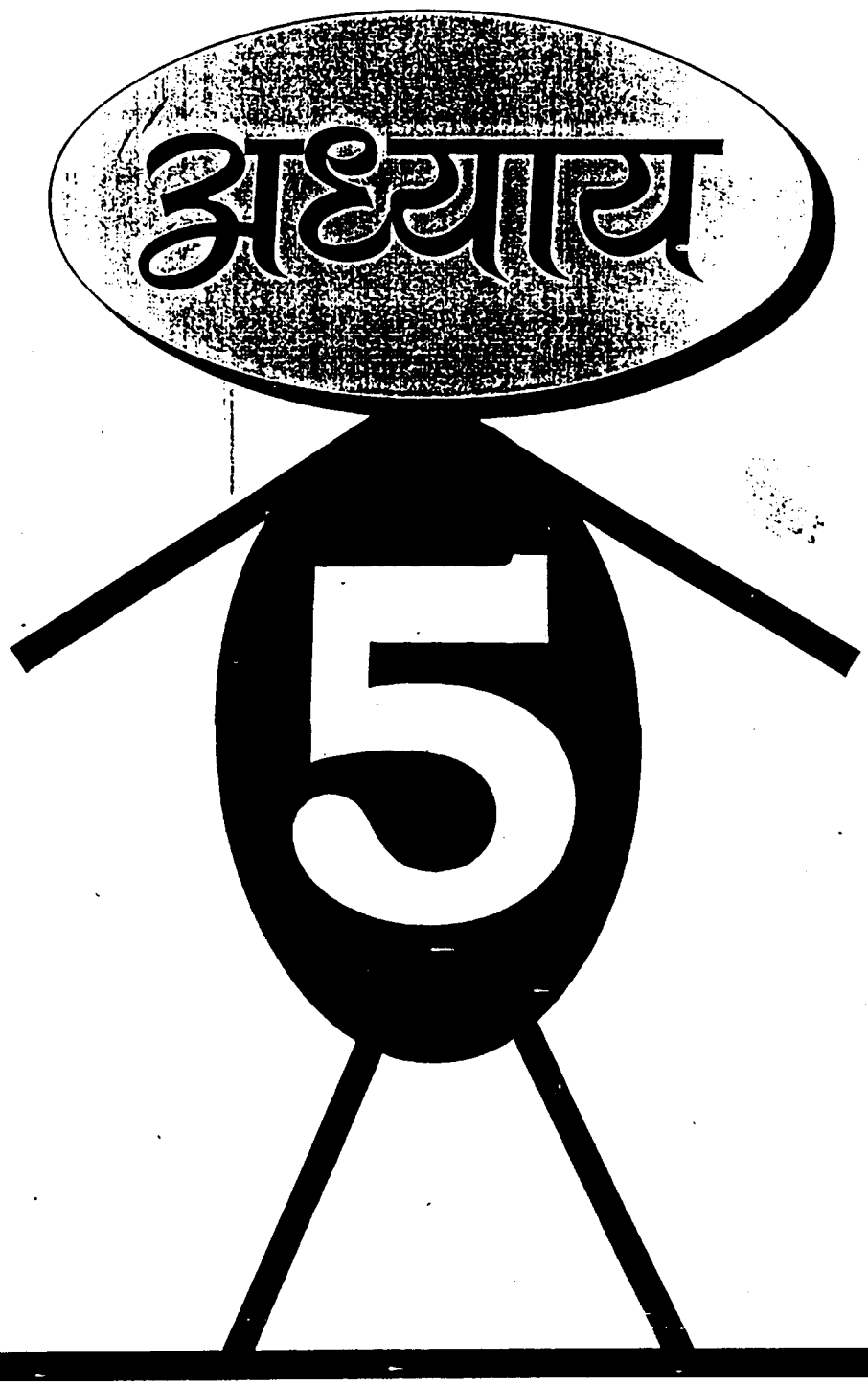

पहुँच एवं ठहराव

5.1 भूमिका :-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु आवश्यक है कि समुदाय एवं बालकों की पहुँच में शिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाय। वर्तमान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए राजस्व ग्राम की एक निश्चित आबादी एवं अन्य विद्यालय की दूरी को आधार बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में जो छोटे वासस्थान हैं, जहाँ कि अध्ययन हेतु कम बच्चे उपलब्ध हैं उन स्थानों पर शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फलस्वरुप उन बच्चों का नामांकन नहीं हो पाता है और नामांकन होने की स्थिति में ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पाता है। जिले की वर्तमान में औसत ठहराव दर 65.51 है।

सर्व शिक्षा अभियान में उपरोक्त चुनोतियों को महसूस करते हुए प्रत्येक वासस्थान के 1 किमी. परिधि में प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किमी. परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

5.2 जिले की सकल पहुँच दर (जी. ए. आर.) :-

दौसा जिले में कुल 1643 ग्रामीण वास स्थान हैं तथा तीन नगर पालिका क्षेत्र हैं जिनमें 65 वार्ड हैं तथा प्रत्येक वार्ड एक वासस्थान के बराबर हैं अतः जिले में कुल 1708 वास स्थान हैं जिनमें राजीव गाँधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला एवं शिक्षाकर्मी विद्यालय सहित कुल 1200 प्राथमिक विद्यालय एवं 317 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।

(1) प्राथमिक विद्यालयों की सकल पहुँच दर :-

प्रा.वि / वा.स्थान ग 100.

= 1200 / 1708 ग 100

= 70.25 प्रतिशत

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सकल पहुँच दर :–

उ.प्रा.वि/वा.स्थान ग 100

= 317/1708 ग 100

= 18.56 प्रतिशत

5.3 उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति

दौसा जिले में 2002–2003 में कुल 784 प्रा0वि0, 308 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 459 रा0गॉ0स्वर्ण जयंती पाठशाला, शिक्षाकर्मी 105 तथाा बैकल्पिक विद्यालय 33 कुल 1690 प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय हैं जिनमें से सन् 2003–04 में प्रतिवर्ष 100 रा.गा.पा. को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा (जिनमे कि नामांकन 100 तथा 5 कक्षाएँ हों)।

जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का वर्तमान अनुपात 784:308 इस अनुपात को 2:1 तक करने हेतु निम्नानुसार प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।

वर्तमान अनुपात 784:308

वांछित अनुपात 728:364 (2:1 हेतु)

क्रमोन्नत प्राथमिक विद्यालयों की संख्या = 161

इस प्रकार 161 प्रा. विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जावेगा तथा 27 वैकल्पिक विद्यालय खोले जावेंगे ।

क्रमोन्नत विद्यालयों हेत् एक प्रधानाध्यापक तथा एक अध्यापक प्रतिवर्ष के हिसाब से कुल तीन अध्यापक दिये जायेंगे।

शिक्षाकर्मी विद्यालयों को वर्ष 2004–05 में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जायेगा।

वैकल्पिक विद्यालयों को वर्ष 2006–07 में प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जावेगा। परिवर्तित विद्यालयों में एक अध्यापक तथा 2 पैराटीचर लगाये जायेंगे। शिक्षाकर्मी परियोजना द्वारा चलाई जा रही प्रहर पाठशालाओं को ईजीएस में परिवर्तित किया जायेगा तथा ऐसे वास स्थान जहां कि अनामांकित बालक–बालिकाएँ कम संख्या में हैं उन बालकों को ईजीएस से जोडा जायेगा।

प्राथमिक विद्यालय में परिवर्ततन करने पर 10,000 प्रति विद्यालय टी.एल.ई. के दिये जावेंगें । एक नियमित अध्यापक व 4 पैराटीचर दिया जावेगा, 2000 प्रतिवर्ष विद्यालय विकास फण्ड 500 प्रति अध्यापक टी.एल.एम. दी जावेगी ।

परिवर्तन की प्रक्रिया निम्नानुसार तय की गई है –

–सत्र 2003–2004 मे :– सम्पूर्ण रा, गा, पा, के 40 प्रतिशत को प्रा, वि, में।

–सत्र 2004–2005 में :– रा,गा, पा, के 20 प्रतिशत तथा समस्त शिक्षा कर्मी विद्यालयों को प्रा, वि, में परिवर्तित किया जायेगा।

–सत्र 2005–2006 में :– रा, गा, पा, के 20 प्रतिशत विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाना है।

–सत्र 2006–2007 में :– रा, गा, पा, की 20 प्रतिशत विद्यालयों को प्रा, वि, में परिवर्तित किया जाना है। शिक्षा कर्मी विद्यालयों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमोन्नत 2004–2005 में किया जाना प्रस्तावित है। शिक्षा कर्मी विद्यालय की प्रहर पाठशालाओं को ई0जी0एस0 में बदला जाना प्रस्तावित है।

राजीव गांधी पाठशाला जिनमें कक्षा एक से पॉच तक सौ छात्र अध्ययनरत हों उनको ही प्राथमिक विद्यालय में बदला जाएगा।

वैकल्पिक विद्यालय 2006–2007 मे प्राथमिक विद्यालयों में बदले जाएंगे उन विद्यालयों में भी कम से कम सौ छात्र अययनरत हों, जहां सौ से कम छात्र अध्ययनरत हैं वो वैकल्पिक विद्यालय ई0जी0एस0 के अन्तर्गत संचालित किये जाऐंगें।

परियोजना अवधि में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमोन्नत सभी विद्यालयों को शिक्षण अधिनाम सामग्री की व्यवस्था हेतु 50000 रूपये प्रति विद्यालय बजट प्रावधान रखा गया है। इन विद्यालयों को भी विद्यालय सुविधा अनुदान रूपये 2000/– प्रति वर्ष उपलब्ध करवाए जाने है तथा इनमें नियुक्त शिक्षको को 500 रूपये प्रति शिक्षक प्रति वर्श शिक्षण अधिग्रम सामग्री के रूप में उपलब्ध कराने का बजट में प्रावधान रखा गया है। कमोन्नत विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक व 6 अध्यापक उपलब्ध करवाए जायेगे।

उपरोक्त सारणी के अनुसार 551 ईजीएस शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रावधान है। परिवर्तन के पश्चात् इन विद्यालयों को शिक्षण अधिग्रम सामग्री हेतु 10000 रूपये प्रति विद्यालय उपलब्ध करवाए जाने का बजट प्रावधान रखा गया है।इन विद्यालयों के अध्यापको को 500 रूपये प्रति वर्ष प्रति अध्यापक के रूप में शिक्षण अधिग्रम सामग्री हेतु उपलब्ध कराए जावेगें। साथ ही इन विघालयो को पूर्ण स्तर करने के पश्चात् प्रति वर्ष 2000 रूपये विद्यालय सुविधा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जायेगें। इन परिवर्तित विद्यालयों में एक अध्यापक एवं चार पैराटीचर प्रति विद्यालय उपलब्ध करवाए जावेगे। नये पैराटीचर को 41,30 व 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जावेगा ।

अध्यापकों की आवश्यकता :–

वर्तमान में छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार 384 अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता महसूस की गई है।

ठहराव दर :

जिले में बालक बालिकाओं की ठहराव दर 65.51 प्रतिशत है ।

ब्रिज कोर्स :– 9 से 14 वर्ष बच्चियों के लिए 3–3 माह का पैकेज प्रारम्भ किया जावेगा ।

वोकेशनल :– 6 से 8 के लिए जिले के प्रत्येक ब्लॉक के हिसाब से 1 लाख रूपे प्रतिवर्ष उपयोग किये जावेगें ।

जो वैकल्पिक विद्यालय के रूप में दो साल पूरे कर चुके हैं उन्हें प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित करना है।जो 6–14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा गारन्टी योजना व वैकल्पिक विद्यालय से जोडना होगा। इसके साथ जो अक्षम बच्चे उनको 18 वर्ष तक की उम्र तक भी जोडा जायेगा।

इस योजना में तीन प्रकार की व्यवस्था होगी।

1– राज्य सरकार द्वारा संचालित EGS/AS/या विद्यालय वापसी शिविर

2– EGS/अधिगम केन्द्र या वैकल्पिक विद्यालय जो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जायेगें।

5.4 नवाचारी व प्रायोगिक प्रयोजना

EGS व AS का मूल आधार है प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सभी 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए समग्र ढग से योजना चलाना। सर्व शिक्षा अभियान में जिले में सभी 6–8 वर्ष के बच्चों को अनिवार्यतः विद्यालय से जोडा जायेगा। 6–11 वर्ष के बच्चों के लिए औपचारिक विद्यालय अथवा ब्रिज कोर्स व आवासीय शिविरों के द्वारा उन्हें जोडना शामिल है अतः जहॉ तक हो सके उनका ठहराव व नामांकन पूर्ण हो। अक्सर यह देखनें में आता है कि गली के बच्चे, घुमन्तु बच्चों, बंधुआ मजदूरों के बच्चे जो एक बार विद्यालय में नामांकित हुए विद्यालय छोड चुके हैं और

अब औपचारिक विद्यालयों में तो आ नहीं सकते अतः उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही करनी होगी।

क्योंकि सर्वशिक्षा UEE अभियान में के अभिन्न भाग की तरह EGS को क्रियान्वित करना होगा। जिले में जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के तहत करना होगा। प्रति वर्ष 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है ।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

कम्पयूटर शिक्षा

व्यावसायिक शिक्षा

कमजोर बालकों के लिए अतिरिक्त कक्षायें

आदर्श विद्यालय की स्थापना

मदरसा सुदृढिकरण

15 लाख से अधिक एक कार्य पर व्यय नहीं किया जायेगा ।

5.4 शिक्षा गारन्टी स्कीम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकार के अन्तर्गत 6–14 वर्ष के बच्चों को आवश्यक रूप से प्रारम्भिक शिक्षा दी जावे अतः सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा के सार्वजनीकरण में निर्धारित समय बद्ध कार्यक्रम को पूरा किया जाय।

- सभी बच्चे 2003 तक विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी स्कूल EGS, वैकल्पिक शिक्षा या Back to School में प्रवेश दिलाया जाये।
- सभी बच्चे 2007 तक प्राथमिक शिक्षा पूरी करें।
- सभी बच्चे 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें।

EGS में 6–14 आयु वर्ग के बालकों को व अक्षमतायुक्त बालकों को 18 वर्ष तक शिक्षा देने का प्रावधान है। EGS का आधार सभी 6–14 आयु वर्ग के

बच्चों के लिए सार्वजनीकरण की व्यवस्था करना है। जिले में 6–8 वर्ष के प्रत्येक बालक का नामांकन होना चाहिए। EGS को SSA में एक अभिन्न अंग के रूप में चलाया जायेगा जो प्रत्येक जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा योजना DPEP योजना के तहत विद्यालय सुधार बच्चों को प्रोत्साहन, अध्यापकों की पूर्ति, प्राथमिक विद्यालयों में गुणात्मक सुधार,किया जायेगा। सांयकालीन विद्यालयों का उद्देश्यं कार्य करने वाले, घुमन्तू, गलियों के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। ये केन्द्र वहॉ खोले जायेंगे जहॉ 1 किमी तक कोई विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। समाज की मॉग पर राज्य सरकार EGS खोलेगी।

व्यूह रचना :–

1– विद्यालयहीन बस्तियों में EGS स्कूल खोलना।

2– ब्रिज कोर्स को Back to School वापिस विद्यालय से जोडना

3– स्कूल से न जुडने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रयास।

समुदाय की भागीदारी :– समुदाय की भागीदारी EGS/AS में होगी। समुदाय की भागीदारी विद्यायल समिति PTA, MTA, VERS तथा पंचायत द्वारा जी जायेगी। EGS का संचालन समुदाय द्वारा बच्चों के अभिभावकों द्वारा होगा।1

कार्यान्वयन के चरण :–

1– सूक्ष्म योजना/घर घर सर्वेक्षण

2– योजना बनाना तथा EGS का स्थान सूक्ष्म योजना के आधार पर

3– आध्यात्मिक चयन

4– अधिगम केन्द्र के लिए पानी, लाइट व स्थान देना।

5– केन्द्र का समय निर्धारण

6– प्रतिदिन की देखभाल निगरानी

7– अभिभावकों का प्रेरण

8– अध्यापक को पारश्रमिक देना

9– शिक्षण सहायक सामग्री खरीदना

स्वयं सेवी का चयन :– स्वंय सेवक स्थानीय समुदाय से चयन होगा। स्वंय सेवक 18 वर्ष का व 10वीं पास हो। महिला कम शिक्षित भी चयन हो सकती है।

शिक्षार्थी :– ये सभी 6–14 आयु वर्ग के बालक जो विद्यालय कभी गये ही न हों इन विद्यालयों में औपचारिक पाठ्यक्रम ही लागू होगा।

प्रशिक्षण :– इन अध्यापकों का 30 दिन PS तथा 40 दिन UPS को आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। विद्यालय 4 घण्टे तक चलेंगे उनका समय निर्धारण आवश्यकता करना होगा।

लागत – केन्द्र प्रति शिक्षायी PS रु0 845/– व UPS पर 1200/– देय होगा।

शिक्षा गारन्टी स्कूल खोलने के लिए ऐसे वंचित व छोटे आवासीय गॉव या ढाणी आदि में घर पर सर्वे के उपरानत 6–14 वर्ष के स्कूल नहीं जाने वाले कम से कम 25 बच्चे मौजूद हों एवं उनके निवास स्थान 1 किमी परिधि में कोई विद्यालय नहीं है। जिले में इस योजना के तहत 459 राजीव गॉधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला चल रही है।

5.5 वैकल्पिक शिक्षा

संकल्पना : वैकल्पिक विद्यालयी व्यवस्था 6–14 आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए है जिनकी किन्हीं कारणों से औपचारिक विद्यालयों में पहुँच नहीं है। वैकल्पिक विद्यालय व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित है :–

1– दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों अर्थात् छोटे–छोटे आवास स्थलों (जहॉ की आबादी 100 व 15 बच्चे उपलब्ध हों) तक विद्यालयी पहुँच प्रदान करना।

2– अनामांकित तथा विद्यालय छोडने वाले बच्चों विशेष कर लडकियों के लिए शैक्षिक सुविधायें प्रदान करना।

3– कामगार बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना।

4– अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों विशेषकर लडकियों के लिए मदरसों में सामान्य शिक्षा प्रदान करना।

5– प्रभावी संचालन के लिए वैकल्पिक विद्यालयों के प्रभावी संचालन के लिए शाला प्रबन्धन समितियों का गठन करना।

6– वैकल्पिक विद्यालयों को भी औपचारिक विद्यालयों में दी जाने वाली समस्त सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

प्रस्तावित व्यूह रचनाओं की विशेषतायें :–

(अ) वैकल्पिक विद्यालय (6 घण्टे) खोलने के मानदण्ड

1– जिन गॉवों/आवास स्थलों में 100 प्लस आबादी हो।

2– जहॉ एक किमी दायरे में विद्यालय सुविधा उपलब्ध न हो।

3– जहॉ 15–20 स्कूल जाने वाले छात्र/छात्रायें उपलब्ध हो।

(ब) वैकल्पिक विद्यालय (4 घण्टे)

1– जहॉ कामगार, अनामांकित तथा विद्यालय छोड चुके बच्चे विशेषकर छात्रायें उपलब्ध हों।

2– जहॉ 10–15 विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे उपलब्ध हों।

(स) मदरसा :–

1– वैकल्पिक शिक्षा विद्यालय के रूप में मदरसों को एडोप्ट किया जाएगा। चयनित मदरसों में सामान्य शिक्षा यथा – हिन्दी, गणित, विज्ञान के शिक्षण हेतु एक शिक्षा सहयोगी दिया जायेगा।

2– मदरसा की व्यवस्था एवं संचालन हेतु मदरसा मैनेजमेंट समिति का गठन किया जायेगा।

(द) घुमन्तु परिवारों के बच्चों के लिए आवासीय सुविधा

1– जो परिवार व्यवसाय के लिए 3 से 6 माह तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हों उनके बच्चों की पढाई के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

2– घुमन्तु परिवार के बच्चों के लिए लघु अवधि ब्रिज कोर्स लगाकर गेप को पूरा कर पुनः विद्यालयों में प्रवेश दिलवाना।

(य) ब्रिज कोर्स

1– अनामांकित तथा ड्राप आउट बालिकाओं के लिए 3–3 माह के लघु अवधि पैकेज के रूप में शिक्षण व्यवस्था की गई है।

2– बालिकाओं की आयु शैक्षिक आवश्यकता के आधार पर अलग–अलग अवधि के आवासीय कोर्स संचालित किये जाने का प्रावधान है।

3– प्रत्येक ब्रिज कोर्स के लिए 3 पैरा टीचर लगाए जायेंगे।

5.6 अध्यापकों की आवश्यकता

वर्तमान में जितने अध्यापक कार्यरत हैं उनकी संख्या जिले की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। रिक्त स्थान पडे हैं। अतः विद्यालय में ज्यों ज्यों

नामांकन बढ़ रहा हैं। अध्यापकों की आवश्यकता बढ़ेगी। भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान में अध्यापकों की आवश्यकता व पूर्ति को सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक 40 बच्चों पर 1:40 एक अध्यापक होता है तथा एक प्राथमिक विद्यालय में 2 अध्यापक का प्रावधान है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6 अध्यापकों की जरूरत है जैसे ही छात्र संख्या 24 को पार करेगी अध्यापकों की संख्या में 1:40 के अनुसार एक अध्यापक अतिरिक्त लगाया जायेगा।

2002–03	में 81
2003–04	में 200
2004–05	में 365
2005–06	में 530
2006–07	में 652

भौतिक सुविधायें :–

विद्यालयों के लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 5 कमरें तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8 कमरों की आवश्यकता होगी। UPS में अतिरिक्त कक्षाकक्ष के प्रस्ताव निम्नानुसार रखे गये हैं :–

2003–04	में 149
2004–05	में 219
2005–06	में 149
2006–07	में 133

प्रत्येक विद्यालय को 5000/– रूपये विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव हेतु प्रत्येक वर्ष दिये जायेंगे। प्रा.वि., उच्च प्रा.वि., संस्कृत विद्यालय एवं वे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें कक्षा 6 से 8 तक चलती है उन्हें भी यह राशि दी जावेगी। इसी प्रकार प्रत्येक विद्यालय को 2000/– स्कूल फेसीलिटी ग्रांट भी दी जावेगी।

शिक्षक प्रशिक्षण :– सभी उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 20 दिवस का प्रशिक्षण दिया जावेगा। जिसमें 9 दिसवीय विषय वस्तु पर आधारित तीन दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री तथा 1–1 दिवस की बैठक प्रत्येक माह 8 माह करके प्रशिक्षण पूरा किया जावेगा। यह ब्लॉक स्तर पर होंगे।

दक्ष प्रशिक्षण डाईट द्वारा तैयार किये जावेंगे।

अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण :– 60 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण डाईट आयोजित करेगी। 30 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जावेगी।

5.7 सामुदायिक गतिशीलता

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य है। और इसको प्राप्त करने के लिए जन सहभागिता ही एक निश्चित आधार है। जब तक जनता का सीधा जुड़ाव न होगा शिक्षा का प्रत्येक कार्यक्रम अधूरा ही रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि आम जनता इसकी गतिविधियों को जाने, क्रिया विधि से परिचत हो तथा इसके कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लें। जन समुदाय में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति रूचित जाग्रति पैदा करना और शिक्षा से वंचित

बालक–बालिकाओं को औपचारिक अथवा वैकल्पिक विद्यालय से जोडना अध्यापक और समुदाय का साझा दायित्व है। विद्यालयों में शैक्षिक स्तर का उन्नयन करना, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ साथ उदराव मुक्त नामांकन को बढाना सामुदायिक गतिशीलता से सम्भव हो पायेगा। विद्यालय से सम्बन्धित कार्यो में विद्यालय समितियों का प्रावधान में पूर्ण सहयोग का होना आवश्यक है। और कार्यक्रम में पारदर्शिता से समुदाय जुड सकता है।

प्रत्येक एस.एम.सी. के 8 सदस्यों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जावेगा । जिससे उन्हें सर्व शिक्षा अभियान की अवधराणा समस्त गतिविधियों की जानकारी व उनके सहयोग की जानकारी दी जावेगी ।

सामुदायिक प्रतिनिधियों का अभिमुखीरकण एवं मीटिंग का आयोजन किया जावेगा ।

मुख्य विशेषताये :–

1– यह कार्यक्रम काफी लचीलापन लिए हुए है लक्ष्य प्राप्ति हेतु इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन सम्भव है।

2– जन प्रतिनिधियों का सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व है।

3– विभिन्न समितियों के माध्यम से गतिविधियों का सम्पादन करवाया जाता है।

व्यूह रचना :– सर्व शिक्षा अभियान के सफल संचालन हेतु DPEP की तरह व्यूह रचना बनाई गई है।

1– जिला संदर्भ समूह का गठन किया गया है।

2– ब्लॉक स्तर, संकुल स्तर व ग्रामीण स्तर पर समितियॉ बनाई गई हैं।

3– समितियों के अभिनवन प्रशिक्षण कराये जायेंगे।

गतिविधियॉं :– समुदाय की गतिशीलता के लिए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इनका संचालन समितियों द्वारा ही किया जायेगा जैसे :–

1– **बाल मेला** – उद्देश्य

कार्य विधि – प्रति विद्यालय 1 दिवस

2– **कला जत्था** :– उद्देश्य विभिन्न नुक्कड नाटक व भजन संगीत के कलाकारों के द्वारा शिक्षा के प्रति समाज में जागरुकता लाने के लिए कार्य करना।

कार्यविधि :– प्रति विद्यालयों – 1 दिवस

3– **रैली निकालना** – उद्देश्य – विद्यालय के शिक्षार्थियों व जन प्रतिनिधियों द्वारा गॉव व मौहल्लों में जाग्रति के लिए जुलूस व रैली निकालना।

कार्य विधि – प्रत्येक गांव में रैली निकालना।

4– **महिला बैठकों का आयोजन** – उद्देश्य – महिलाओं के सक्रिय सहयोग व भागीदारी के लिए बढावा देना।

कार्य विधि – महिला मीटिंग प्रति विद्यालय एक वर्ष में एक बार

5– **जन प्रतिनिधि बैठक** – उद्देश्य – सभी जन प्रतिनिधि सामूहिक रूप से समुदाय व विद्यालय कार्यों में भाग

कार्य विधि –

6– **पोस्टर व ब्राशर के माध्यम से प्रचार प्रसार** – उद्देश्य – हर व्यक्ति को सम्पूर्ण जानकारी हो सके ताकि

कार्यविधि – नारे कविताओं द्वारा पोस्टरों पर चित्रों द्वारा समाज में प्रचार प्रसार किया जायेगा।

7– मीडिया ग्रुप गठन – उद्देश्य – अखबार पत्रिका आदि के कवरेज के लिए पत्रकारों व इस धन्धे से जुडे लोगों का समूह अधिक से अधिक शिक्षा के समाचार देने के लिए जोडना।

8– विज्ञान मेला – ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय

9– स्वास्थ्य मेला – प्रति विद्यालय स्वास्थ्य कार्ड, वजन, सीना, लम्बाई ऑख, नाक, कान आदि।

5.8 व्यावसायिक शिक्षा :–

सर्व शिक्षा अभियान लक्ष्य शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाना है। सीखने के कौशल को जीवन कौशल बनाना भारत का प्राचीन प्रयास है अतः महात्मा गॉधी की Basic Education System व डॉ0 जाकिर हुसैन की नई तालीम जैसी जीवन क लिए उपयोग शिक्षा प्रदान करना मूल उद्देश्य है। अतः विद्यालयों की ऐसी शिक्षा दीपनाम जो जीविकोपार्जन से जुडी हो मात्र साक्षरता व गणित (Literacy &) ही न दें। यह सोचा गया है कि विद्यालय में विशेष सम्बन्ध विशिष्ट व्यवसाय व कलाओं में दक्ष श्रमिकों, दस्तकारों व कारीगरों से कराया नाम जैसे कृषि विस्तार कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, कला आधारित कार्य करने वाले श्रमिक, खादी व ग्रामोद्योग निगम, क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव से लाभान्वित होने के लिए विद्यालय को समाज से व जीवन की आवश्यकताओं से जोडा जाये। व्यावसायिक शिक्षा में कढाई, सिलाई, बुनाई, कागज कार्य, बढई, लुहार, पुस्तक वाइंडिंग, टाइप जीवन से जुडी हुई अनेक दस्तकारियों व दक्षताओं से परिचय कराया जाये।

5.9 विद्यालय की भौतिक सुविधायें :–

विद्यालयों में कक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा कक्ष बनाना तथा भवन के अतिरिक्त शौचालय, पानी की सुविधा, चार दीवारी आदि की व्यवस्था करने का प्रावधान है। यह सुविधा प्रत्येक विद्यालय में नहीं है। लडकियों के लिए अलग से शौचालय व्यवस्था होगी।

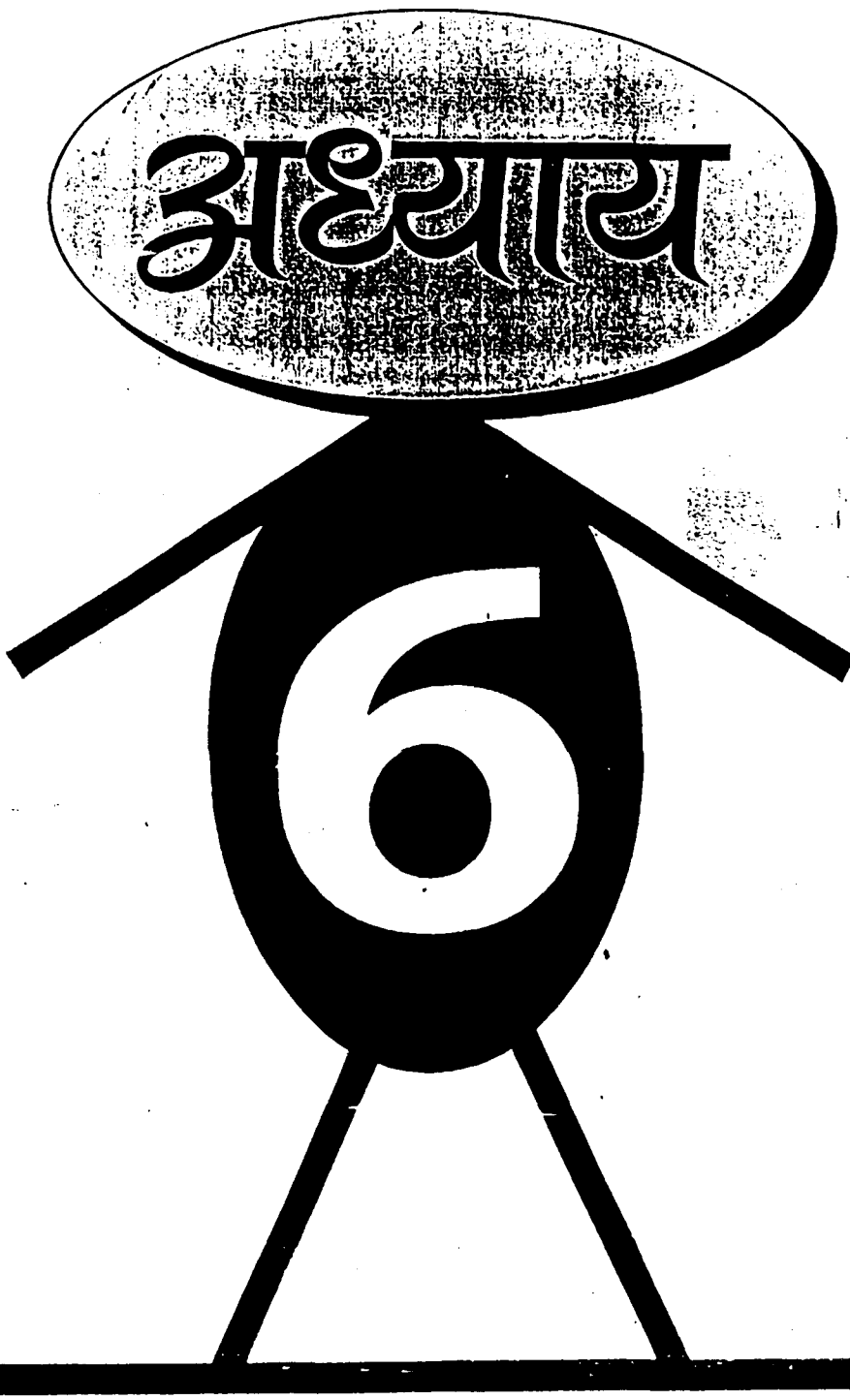

गुणात्मक शिक्षा

6.1 भूमिका :–

सर्व शिक्षा अभियान में बालक–बालिकाओं के वर्तमान गुणात्मक स्तर में 25 प्रतिशत तक की वृद्वि के लक्ष्य हैं। वर्तमान में इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा यह लक्ष्य न प्राप्त कर सकने की स्थिति में यह लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान में समाहित कर लिया जायेगा।

गुणवत्ता शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान में विधालय की भौतिक,मानवीय एवं शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये अनेक कार्यकम प्रस्तावित किये गये है जिन्हे आगे बिन्दुवार स्पष्ट किया गया है।

नामांकन, नियमित उपस्थिति और आनन्ददायी शिक्षण के साथ–साथ शिक्षा के स्तर में वांछनीय सुधार के लिए शिक्षण में गुणात्मक उन्नयन जरुरी हैं। शिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यदि शिक्षक अपने विषय में पूर्ण पारंगत है और पूरी तैयारी के साथ कक्षा में छात्रों के साथ मेहनत करता है तो उसका शिक्षण कार्य पूर्ण, प्रभावी सिद्ध होगा। इसलिए आवश्यक है कि वह स्वयं नियमित रहे और छात्र केन्द्रित शिक्षण पद्धति से शिक्षण कार्य करें, इसारो भी अधिक उपयुक्त रहेगा कि छात्रों की कक्षा शिक्षण में अधिकाधिक भागीदारी हो, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति व श्यामपट्ट पर लिखने का अवसर प्रदान किया जावे। सहभागी व प्रश्नोत्तर पद्धति से शिक्षण कार्य किये जाने पर विद्यार्थियों का जुड़ाव बढ़ता है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों व माध्यम से अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जावें । साथ ही दैनिक जीवन से सम्बन्धित विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाए। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन करें और कक्षा में पूर्ण तैयारी के साथ पढ़ावें। शिक्षण कार्य को प्रभाव पूर्ण बनाने के लिए सहायक सामग्री का विशेष

महत्व है इसके लिए सहायक सामग्री निर्मित की जाए और शिक्षण कार्य में अधिकाधिक उपयोग किया जाये। बालकों को भी निर्देश देकर सहायक सामग्री निर्मित कराई जा सकती है। बालकों को नियमित रुप से गृह कार्य दिया जाए और उसकी जाँच कर संशोधन कराया जाए। सुन्दर हस्तलिपि की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। गलतियों पर बालकों को प्रताड़ित व डांट फटकार न करके उन्हें प्यार से धीरे–धीरे समझाया जाये। श्रेष्ठ कार्य करने वाले और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने वाले बालकों को शाबासी देकर व पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाये। इससे उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास हो सकेगा और उनकी अधिगम क्षमता बढ़ेगी । मूल्यांकन प्रकिया को अधिक वस्तु परक व न्याय संगत बनाया जाए, जिससे ऐसा लगे कि शिक्षक ने बालकों के साथ बिना भेदभाव के व्यवहार किया है।

6.2 भौतिक सुविधाओ में विस्तार : –

गुणवतापूर्ण शिक्षा देने के लिये विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ (भवन, श्याम पट्ट, शिक्षण सामग्री, शिक्षण उपकरण) आदि मुहैया करवाये जावेगें । साथ ही अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, हैण्डपम्प, के निर्माण का प्रस्ताव भी सर्वशिक्षा योजना में रखा गयाहै ।

6.3 शैक्षिक सुविधाये : –

शिक्षा में गुणवता लाने के लिये पाठयपुस्तको में सुधार की भी आवश्यकता है अतः कक्षा 6–8 की पाठयपुस्तकों की समीक्षा कराने का प्रावधान भी सर्व शिक्षा योजना में रखा गया हैं ताकि पाठयपुस्तकों को बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल एवँ सामाजिक अपेक्षाओं के अनुकूल बनाया जासके । शिक्षकों में शिक्षण कौशल विकसित करने विषय वस्तु का ज्ञान करवाने एवँ अभीष्ठ क्षमता विकसित करने की दृष्टि से प्रतिवर्ष शिक्षकों के

प्रशिक्षणों का आयोजन किया जावेगा । शिक्षण को रूचिपूर्ण एवँ आकर्षक बनाने के लिये व शिक्षणं अधिगम सामग्री बनाने हेतु उच्च प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के लिये रूपये 500/रू प्रति अध्यापक दिया जावेगा ।

प्रत्येक विषय के अध्यापकों को डाइट/बी.आर.सी. के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण के सदंर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण दिया जावेगा ताकि वे शिक्षकों को विषय शिक्षण की नवीनतम जानकारी तथा शिक्षणं की नवीन तकनीकियों से समय समय पर अवगत करवा सके ।

6.4 विद्यालय अनुदान राशि :-

गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विद्यालय अनुदान राशि दी जायेगी। जिससे विद्यालय मे आवश्यक सुविधा जुटाने मे मदद मिले। इस राशी मे से विद्यालय रखरखाव पुताई, घूघरी बनाने हेतु आवश्यक संसाधन जुंटाने आदि मे किया जा सकता है। इस हेतु 2000/– रु प्रति विद्यालय अनुदान राशि का प्रावधान है।

6.5 शिक्षण सहायक सामग्री (टी.एल.एम.)

कक्षा कक्ष शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने हेतु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयो के अध्यापको कौ 500/ - रु प्रति वर्ष प्रति अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण हेतु दिये जायेगें, जिसमे से अध्यापक अपने विषय से सम्बन्धित शिक्षण राहायक सामग्री का निर्माण कर राकंगे एवं अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकेगें ।

6.6 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी बालक बालिकाओ को निःशुल्क पाठय पुस्तक वितरित करने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान मे है। वर्तमान मे समस्त राज. प्राथ. विद्यालयों मे पढ रहे बालक बालिकाओं को निशुल्क पाठय पुस्तके मिल रही है तथा कक्षा 6 से 8 तक के बालिकाओ को भी निःशुल्क पाठय पुस्तके प्राप्त हो रही है।

6.7 पुस्तकालय अनुदान

विद्यालयो मे पुस्तकालयो का विशेष महत्व है । प्राथमिक कक्षा मे पढनें वाले बालक बालिकाओ को बालगीत, कविता, कहानियां तथा उनके अनुरुप सामान्य ज्ञान आदी की पुस्तके साथ ही अध्यापको को भी उनके विषय से सम्बन्धित शिक्षण सन्दर्भ पुस्तके पुस्तकालय अनुदान द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगीं । इन पुस्तको मे से विद्यालय का वातावरण शैक्षिक एवं आनन्ददायी बन सकेगा।

6.8 प्रशिक्षण

गुणवत्ता युक्त शिक्षण हेतु शिक्षको को विशेष रुप से आनन्ददायी शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के द्वारा –

- गतिविधि आधारित शिक्षण
- बाल केन्द्रित शिक्षण विधिया
- शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री निर्माण
- बहूवर्ग एवं बहूकक्षा शिक्षण
- अनुपयोगी वस्तुओ से शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण

- शिक्षण सहायक सामग्री के समुचित उपयोग की जानकारी
- सामुदायिक गतिशीलता
- जैण्डर संवेदनशीलता
- विकलांगों की एकीकृत शिक्षा
- शिक्षण में हो रहे नवाचारों से अवगत करवाना

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जावेगा। ये प्रशिक्षण निम्न प्रकार होंगे। सभी उच्च प्रा. कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को 20 दिवसीय सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर दिया जायेगा। जिसमें 9 दिवसीय विषय वस्तु पर आधारित तीन दिवसीय शिक्षण सामग्री निर्माण और 8 दिवसीय मासिक बैठक प्रत्येक माह एक दिन दिया जावेगा। दक्ष प्रशिक्षक डाईट तैयार करेगी, अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए 60 दिवसीय प्रशिक्षण (आवासीय) डाईट करवायेगी। 30 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक पर होंगे।

कम्प्यूटर शिक्षा :– कक्षा 6 से 8 तक प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर का समावेश एक नवाचारी प्रयोग है जो आज की मांग को लेकर आवश्यकता भी है। क्योंकि अब समय आ गया है जब शिक्षा को जीविकोपार्जन के व्यवसाय से जोड़ा जाये। विज्ञान के प्रयोग व ज्ञान के विस्फोट ने कम्प्यूटर का ज्ञान लाजमी बना दिया है। अतः दौसा जिले में कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय 308 है। उनमें कम्प्यूटर लगाये जायेंगे जिनकी लागत का भार सर्व शिक्षा अभियान में बहन किया जायेगा।

विशिष्ट फोकस समूह

7.1 भूमिका

दौसा जिले मे कुछ जातियों, समूहों एवं वर्गों को देखें तो इनमे से अधिकांश प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं जिसमे मुख्यतः गाड़िया लुहार, बंजारा, नट, जोगी, सिकलीगर, चरवाहे आदि हैं। चूँकि यह जातियाँ अपनी आजीविका एवं व्यवसाय के कारण एक स्थान पर स्थित नहीं रहती है एवं अपने परिवार के लालन–पालन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करती रहती हैं। यह समूह हार्डकोर समूह में आता हैं। सर्व शिक्षा अभियान में इन समूहो पर विशेष ध्यान दिया जाना है ताकि इनकी शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था हो सके, जिससे ये शिक्षा की मुख्य धारा मे आ जायें।

7.1.1 विशिष्ट फोकस समूह की समस्याएँ –

- कार्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन।
- घुमन्तू जीवन शैली ।
- माता–पिता की रुचि का अभाव ।
- जाति, धर्म व लिंग के आधार पर भेदभाव ।
- उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का अभाव ।
- पलायन करने वाले बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं का अभाव ।

7.1.2 शहरी वंचित बच्चों की समस्याएँ –

- पॉलिथिन, कागज, गत्ते, चिथड़े उठाने वाले बच्चों की शिक्षा ।
- नगीने, गलीचे, रंगाई आदि के कारखानों, होटलों में कार्यरत बच्चों की शिक्षा ।
- गृह कार्यों में कार्यरत बच्चों की शिक्षा ।
- चाय की दुकानों पर कार्यरत बच्चों की शिक्षा ।
- कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले बच्चों की समस्याएँ।
- अन्य रोजगारों में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों की समस्याएँ।

7.2 जेण्डर संवेदनशीलता :–

दौसा जिले मे महिला एवं पुरुष तथा बालक एवं बालिका विभेद की आम समस्या है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। दौसा जिले में भी महिलाओं के जागरण की अत्यन्त आवश्यकता है। यहां की महिला साक्षरता दर हालांकि विगत वर्षों में बढ़ी है परन्तु फिर भी संतोषजनक नहीं है। अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों एवं वंचित वर्गों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता है तथा बालिकाओं की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। जेण्डर के इस अन्तर को पाटने हेतु सर्व शिक्षा अभियान में विभिन्न स्तरों पर जेण्डर संवेदनशीलता कार्यशालायें, शिक्षक प्रशिक्षणों में जेण्डर संवेदनशीलता से संबंधित सत्र आदि का प्रावधान रखा गया है।

विशिष्ट फोकस समूह की बालिकाओं के लिए विशिष्ट शिक्षा सुविधायें एवं नवाचारों यथा – ब्रिज कोर्स आवासीय, ब्रिज कोर्स गैर आवासीय, शिक्षा गारन्टी योजना आदि का प्रावधान रखकर विशिष्ट फोकस समूह को शिक्षा की मूल धारा में जोडकर उनकी शैक्षिक चेतना एवं सामाजिक स्तर में सुधार करना सर्व शिक्षा अभियान की मूल भावना है।

7.3 ब्रिज कोर्स

जिले मे कुछ दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रो की कच्ची बस्तियों/ स्लम्स एवं कामकाजी मजदूरों के बच्चे अथक प्रयासो के बावजूद प्रारम्भिक शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनकी अपनी परिस्थितियाँ हैं। सर्व शिक्षा अभियान मे इन बच्चों की परिस्थतियो को दृष्टिगत रखते हुये ब्रिज कोर्स के सम्बन्ध मे सोचा गया इसके अन्तर्गत जो बालक बालिकाएं परिस्थितियोंवश नियमित विद्यालय से अथवा समय सुविधायुक्त विद्यालयो से नही जुड़ पा रहे हैं उनके लिए 3–3 माह का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (कन्डेन्सड कोर्स) होगा। इसके कक्षावार 4 पैकेज होंगे। इनमे घूमन्तु, कमजोर आर्थिक स्थति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को विशेष लाभ पहुचेगा। इस कोर्स को पूर्ण करने के बाद ये बालक बालिकाएं शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाँएगें।

7.4 विकलांग बालक बालिकाओं के लिए समेकित शिक्षा (I.E.D.)

विकलांग बालक बालिकाएं मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित शिक्षा की मुख्य धारा से अपनी शारिरिक अक्षमता के फलस्वरुप नहीं जुड पाते। यह विकलांगता विभिन्न प्रकार की हो सकती है जैसे शारिरिक, इस तरह की विकलांगता मे पोलियो, हाथ, पैर, शारीरिक विकृति (कूबड), सूरजमुखी, आँखें, कान (गूंगे बहरे) आदि। मानसिक विकलांगता मे सेरीब्रल पोलिरी, मानसिक मन्दता आदि। ग्रामीण क्षेत्रो मे इन बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नही होता। ऐसे बालक बालिकाओं हेतु उनके गाँव के विद्यालय मे ही अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षित कर उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढाने की व्यस्था करना तथा ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देना है । विद्यालय भवन मे भी इनके आने जाने के लिए रैम्प की व्यवस्था करना ।

7.5 अन. जा., अनु. जनजा., अल्पसंख्यक वर्ग के बालक बालिकाओं की शिक्षा :-

जयपुर जिले में पिछड़ी जातियों में रैगर, बैरवा, हरिजन, मीणा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बाल बालिकाएं शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं। इनमें विशेषतः बालिकाओं की संख्या अधिक है क्योंकि यह वर्ग मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते हैं। मजदूरी के अतिरिक्त इस वर्ग के लोग अपना पैतृक व्यवसाय भी करते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे गलीचे नगीने, रंगाई एवं बंधेज का कार्य करते हैं। ऐसे वर्ग के बच्चों को ब्रिज कोर्स, आवासीय शिक्षण शिविर जैसी आदि से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

इन वर्गों के बच्चों को शैक्षिक विकास पर सर्व शिक्षा अभियान में विशेष ध्यान दिया गया है इसके अन्तर्गत इन समुदाय के बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इन वर्ग के बच्चों का सूक्ष्म नियोजन कर इनके प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता का आंकलन किया जाये।

इसके लिए निम्न प्रयास किये जायेंगे :–

- समुदाय के विभिन्न संगठनों की सहायता लेकर
- आवश्यकता के अनुरूप विशेष शिक्षण
- विद्यालयों से सर्वाधिक विभिन्न समितियों में इन समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
- शैक्षिक सुविधा रहित वास स्थानों पर वैकल्पिक विद्यालयों की व्यवस्था
- समुदाय के शिक्षकों की नियुक्ति
- बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव का नियमित अनुश्रवण

7.6 घुमन्तु परिवार के बालकों के लिए शिक्षा :–

घुमन्तु परिवारों में गाड़िया लुहार, बंजारा, सपेरे, नट, कंजर, जोगी आदि वर्गों में शिक्षा के प्रति जागृति का अभाव है ऐसे परिवारों के बच्चे अपने परिवार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आजीविका अर्जन हेतु घूमते रहते हैं। इनकी कमजोर आर्थिक स्थिति एवं एक स्थान पर नहीं रहने के कारण शिक्षा से वंचित हैं। इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

7.7 कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा :–

इस समूह के बच्चे विभिन्न प्रकार के मजदूरी के कार्य कर परिवार की आय वृद्धि में सहयोग करते हैं। ये बच्चे सुबह से ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं एवं देर शाम तक कार्य करते हैं। लम्बे समय तक कार्य करने एवं संतुलित आहार नहीं मिलने पर ये बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं।

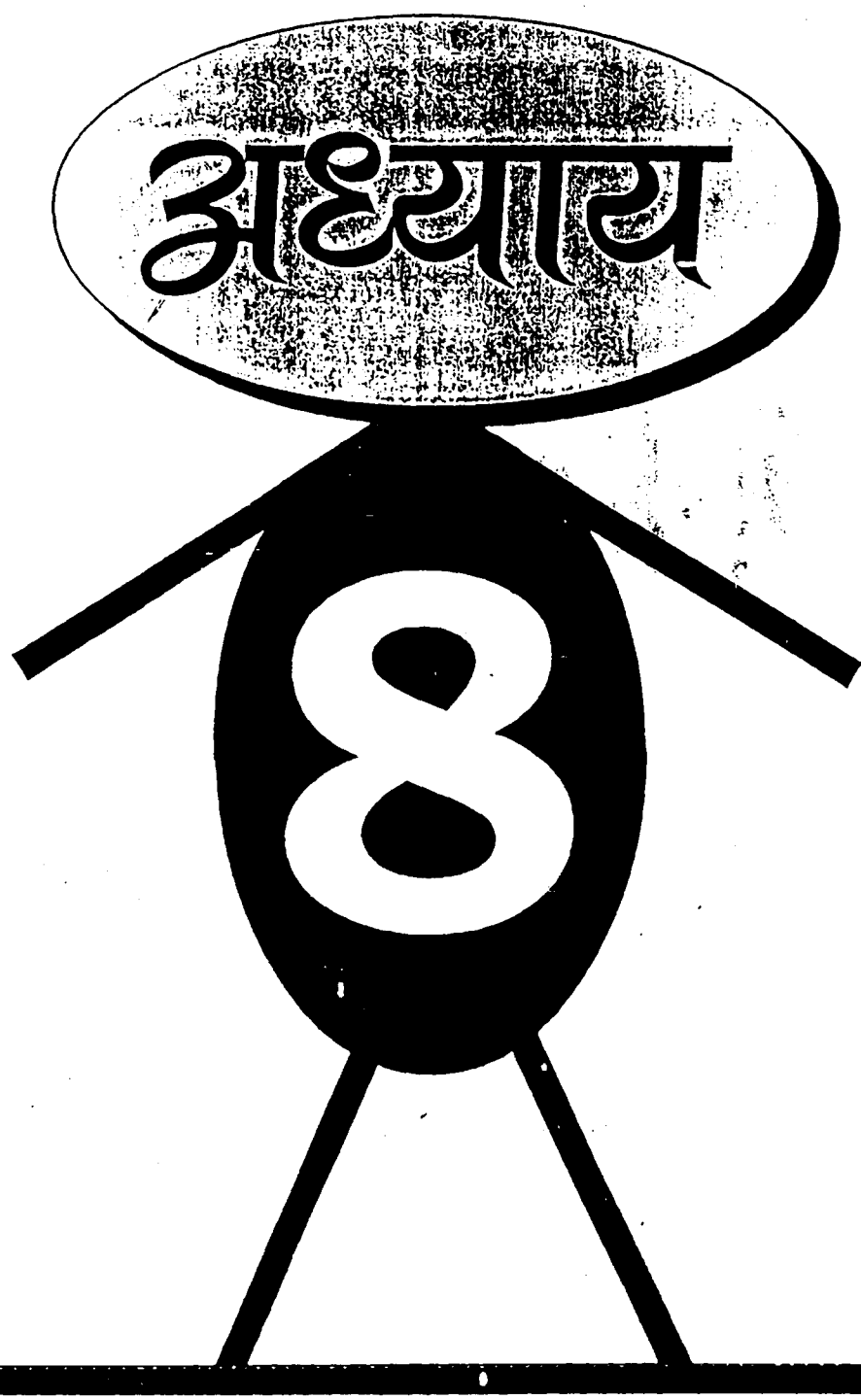

अनुसंधान, मूल्यांकन, निरीक्षण एवं प्रबोधन

8.1 भूमिका :–

प्रत्येक अभियान की क्रियान्विति एवं गुणवत्ता पर नजर रखने एवं अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों की समयानुसार प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रबन्धन, अनवरत निरीक्षण सतत मूल्यांकन एवं प्रादर्श अनुसंधानों की आवश्यकता होती है।

सर्व शिक्षा अभियान की क्रियान्विति के दौरान भी इन सबका समावेश किया गया है तथा राज्य, जिला, ब्लॉक एवं संकुल स्तर पर तद्नुसार प्रबोधन एवं विभिन्न स्तरों पर नियोजित प्रबोधन तथा निरीक्षण एवं मूल्यांकन प्रस्तावित किया गया है।

8.2 विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण :–

सर्वशिक्षा अभियान की गतिविधियाँ एवं कार्यक्रमों के सतत निरीक्षण किये जायेंगे ताकि कार्यक्रमों की चुनौतियों एवं विशिष्टताओं का अध्ययन कर अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके फिर भी सर्व शिक्षा अधिभयान में निरीक्षण की योजना किसी स्तर के कार्मिक की कमियों या गलतियां ढूँढना नहीं बल्कि कार्मिकों का उत्साहवर्द्धन कर उसे सहयोग एवं संबलन प्रदान कर और अधिक जोश के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित करना है। तथा निरीक्षण एवं मूल्यांकन में समाज के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित करना है तथा निरीक्षण एवं मूल्यांकन में समाज के साथ साझेदारी कर विद्यालय प्रबन्धन को सुदृढ़ करना है।

8.2.1 ग्राम/विद्यालय स्तर पर :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालयों का विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

8.2.2 संकुल स्तर पर :–

संकुल स्तर पर CRC स्तरीय गतिविधियों का निरीक्षण, जिला/राज्य स्तरीय कार्यालयों के कार्मिक, BRCF जनप्रतिनिधि, समाज के अन्य लोग समय–समय पर करेंगे।

8.2.3 ब्लॉक स्तर पर :–

BRC स्तरीय गतिविधियों के निरीक्षण के जिला प्रशासन DPO/SPO के कार्मिक, जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, शिक्षक वर्ग एवं अन्य सामाजिक व्यक्ति जिम्मेदार हैं।

8.2.4 जिला स्तर पर :–

जिला स्तर की प्रगति एवं कार्यक्रमों का जिला प्रशासन के लोग, जनप्रतिनिधि, SPO के कार्मिक सामाजिक प्रतिनिधि शिक्षक प्रतिनिधि आदि निरीक्षण कर अपने सुझावों एवं मार्गदर्शनों से कार्यक्रम को प्रभावात्पादक बनाने में कार्मिकों का सहयोग करेंगे।

8.3 मूल्यांकन :–

जिला परियोजना प्राथमिक शिक्षा द्वारा करवाये गये बेस लाइन सर्वे के आंकड़ों में सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के पश्चात् प्रतिवर्ष क्या बदलाव आ रहा है तथा यह बदलाव क्या इंगित करता है। इसका प्रतिवर्ष मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन किया जावेगा।

जिले में नामांकन, ठहरावदर, गुणात्मक शिक्षा आदि में प्रतिवर्ष की प्रगति मूल्यांकन द्वारा ज्ञात कर उसे और अधिक दर से बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाएंगे

साथ मूल्यांकन के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उपयोगी एवं अनुपयोगी होने की जानकारी तथा नये कार्यक्रमों जोड़ने की आवश्यकताओं का पता चल सकेगा। इस हेतु प्रतिवर्ष ब्लॉक एवं जिला स्तर पर क्रियानुसंधान द्वारा अभियान की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जावेगा।

इस प्रकार के विभिन्न स्तरीय मूल्यांकन अभियान एवं इससे जुड़े कार्मिकों की कसौटी होंगे।

8.4 अनुसंधान :–

सर्व शिक्षा अभियान के तहत किये गये किसी कार्यक्रम विशेष को लेकर प्रत्येक ब्लॉक में एक–एक तथा जिला स्तर पर एक अनुसंधान कार्य किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा करवाया जाएगा।

इस शोध कार्य (क्रिया अनुसंधान) द्वारा चयनित कार्यक्रम की आवश्कयता, उपयोगिता, क्रियान्वयन का तरीका, क्रियान्विति का स्तर, कार्यक्रम से संबंधितों में बदलाव, पूर्व स्थिति में अन्तर आदि का गहराई से अध्ययन हो सकेगा। इससे हमें सर्व शिक्षा अभियान में रखे गये विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता एवं इनसे होने वाले सामाजिक परिवर्तनों की जानकारी मिल सकेगी।

8.5 प्रबोधन :–

सर्व शिक्षा अभियान के प्रबोधन के लिए प्रबन्ध सूचना तन्त्र (MIS) विकसित किया जायेगा इसमें कार्यक्रम के प्रबन्ध सूचना तंत्र के तहत कार्यक्रम की प्रगति निम्नानुसार संकलित एवं संधारित की जायेगी।

i. EMIS (शैक्षिक प्रबन्ध सूचना तंत्र) :–

इस तंत्र द्वारा जिले की कार्यक्रम क्रियान्वयन से पूर्व एवं क्रियान्वयन के पश्चात की उत्तरोत्तर प्रगति की शैक्षिक सूचनाओं का विभिन्न प्रपत्रों एवं कम्प्यूटर द्वारा संधारित की जावेगी।

वर्ष में एक बार EMIS के निर्धारित प्रपत्रों में एकत्रित सूचनाओं को DISE-2001 सॉफ्टवेयर में संकलित किया जायेगा एवं इन सूचनाओं का एक समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा।

ii. PMIS (परियोजना प्रबन्ध सूचना तंत्र) :–

इस कार्यक्रम द्वारा परियोजना के विभिन्न कम्पोनेण्टस की प्रगति सूचनाओं का एकत्रीकरण, अध्याय एवं विश्लेषण प्रस्तावित है। PMIS की सूचनाओं का संचलन निम्न प्रकार होगा –

छः माह के अन्तराल में प्रबन्ध सूचना तन्त्र की मूल्यांकन रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जावेगी।

iii. FMIS (वित्तीय प्रबन्ध सूचना तंत्र) :–

इस तंत्र के माध्यम से वित्तीय सूचनाओं का संकलन होगा तथा कार्यक्रम, वर्ष एवं मदवार व्यय पर नियन्त्रण किया जावेगा

8.6 MIS स्टॉफ :–

प्रबन्ध सूचना तंत्र के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए निम्नानुसार स्टॉफ नियुक्त होगा।

जिला स्तर पर MIS इन्चार्ज –1

डाटा एण्ट्री ऑपरेटर –2

खण्ड स्तर पर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर –1

8.7 MIS संसाधन :–

प्रबन्ध सूचना तंत्र के संचालन हेतु निम्नानुसार संसाधन उपलब्ध करवाये जावेंगे –

जिला स्तर पर – 2 कम्प्यूटर

खण्ड स्तर पर – 1 कम्प्यूटर

तथा 1500 रु प्रति स्कूल प्रति वर्ष के हिसाब से सूचना तंत्र पर व्यय हेतु राशि उपलब्ध करवाई जावेगी इस राशि को सूंचनाओं के संकलन एवं प्रवाह पर व्यय किया जा सकेगा।

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

9.1 भूमिका :–

वर्तमान में शिक्षण संस्थाएँ समाज से अलग–थलग हो गई हैं। समाज का संस्थाओं के प्रति कोई लगाव नहीं है तथा समुदाय शिक्षा में कोई रुचि नहीं रखता है। इससे विद्यालय प्रबन्धन सिर्फ अध्यापकों एवं शिक्षा अधिकारियों के हाथों में सिमट कर रह गया है।

सर्व शिक्षा अभियान की भावना है कि प्रत्येक विद्यालय से उसके आसपास का समुदाय जुड़े, विद्यालय की गतिविधियों में भाग ले तथा विद्यालय प्रबन्धन में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। अपने बालक–बालिकाओं की प्रतिदिन की गतिविधियो एवं प्रगति का अवलोकन करें एवं विद्यालय की छोटी–मोटी आवश्यकताओं की सामुदायिक सहयोग से पूर्ति करें समाज में शिक्षण संस्थाओं के प्रति अपनत्व की भावना जागृत हो।

प्रबन्धन शब्द का संबंध न केवल औद्योगिक क्षेत्र मे अपितु शिक्षा के क्षेत्र में भी भरपूर प्रयोग में लाया जा रहा है । प्रबंधन लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रभावी माध्यम है । प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में बालक को पूर्णतः शिक्षार्थी के रूप में ही प्रतिस्थापित नहीं करता वरन् बालक में सद्वृतियों का विकास कर अच्छे नागरिक का निर्माण करता है ।वास्तव में समुदाय भी अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता महसूस करता है ताकि विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां बालक के सर्वतोन्मुखी विकास में सहायक बन सके। प्रबंधन में तीन तथ्य महत्वपूर्ण है :–

1 उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण

2 पर्याप्त संसाधन (शिक्षक, शिक्षण विधाएं, भौतिक संसाधन, खेल मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय) तथा उनका उपयोग ।

3 सभी गतिविधियों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन। प्रबंधन न केवल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधन उपलब्ध कराता है अपितु लक्ष्यों के अर्जन हेतु कार्मिकों

के कार्यों का परिवीक्षण कर यथा स्थान निर्देशन व सुझाव देकर उपलब्धियों एवं कमजोरियों को दूर करने का कार्य भी करता है ।सर्व शिक्षा अभियान में भी विभिन्न स्तरों पर परिवीक्षण की समुचित व्यूह रचना की गई है ।

9.2 जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यालय है जहां जिला परियोजना समन्वयक सहित सहायक जिला परियोजना समन्वयक, कार्यक्रम सहायक एवं निर्माण कार्य हेतु सहायक व कनिष्ठ अभियंता तथा लेखा संधारण कार्य हेतु सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाकार व केशियर कार्यरत है ।

- जिला परियोजना समन्वयक
- सहायक परियोजना (वै.शि.)
- सहायक परियोजना समन्वयक (प्रशिक्षण)
- सहायक परियोजना समन्वयक (ई.सी.ई. जैण्डर)
- सहायक परियोजना समन्वयक (सामु.गति.)
- कार्यक्रम सहायक
- सहायक अभियन्ता
- कनिष्ठ अभियन्ता
- लेखाकार
- कैशियर
- एम.आई.एस. ईन्चार्ज
- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
- कार्यालय सहायक

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

एक सहायक परियोजना समन्वयक अधिकारी एवं कार्यक्रम सहायक व एक वरिष्ठ लिपिक या लिपिक का पद अतिरिक्त रहेगा ।

जिला स्तर पर – 1.50 लाख का संसाधन हेतु प्रावधान किया गया है । 5 कम्पयूटर किराये पर (मय ऑपरेटर) प्रत्येक ए.पी.सी. को एक एक उपलब्ध करवाया जायेगा।

डी.पी.सी. का एक कम्पयूटर मय इन्टरनैट सुविधा व घर के लिए एक टेलिफोन तथा एक मोबाईल फोन भी उपलब्ध करवाया जायेगा तथा 1 लाख की फर्नीचर सुविधा व 2 अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध करवाये जायेगें ।

खण्ड स्तर पर – खण्ड संदर्भ केन्द्र को सुदृढीकरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक बी.आर.सी.एफ. पर एक कम्पयूटर मय ऑपेरटर तथा एक अकाउन्टेन्ट व इसके साथ ही टी.वी. व वी.सी.आर./वी.सी.डी. भी उपलब्ध करवाया जायेगा ।

संकुल संदर्भ केन्द्र – प्रत्येक संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी को उसके द्वारा किये गये भ्रमण के लिए अधिकतम 600 रू. या प्रत्येक कि.मी. के लिए 1 रू. दोनो में जो भी कम हो की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी ।

जिला शिक्षा अधिकारी :– जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को सुदृढीकरण प्रदान करने हेतु एक कम्पयूटर मय ऑपरेटर, फैक्स मशीन, फोटो कॉपीयर, की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा एक टेलीफोन निवास के लिए भी उपलब्ध करवाया जायेगा ।

ब्लॉक स्तर पर – बी.ई.ई.ओ. कार्यालय हेतु भी एक कम्पयूटर मय ऑपरेटर, एक फोटो कॉपीयर व अधिकतम 1000 रू. वाहन भत्ता या प्रति कि.मी. व्यय दोनों में जो भी कम हो की सुविधा उपलबध करवाई जायेगी ।

प्रबन्धन तंत्र

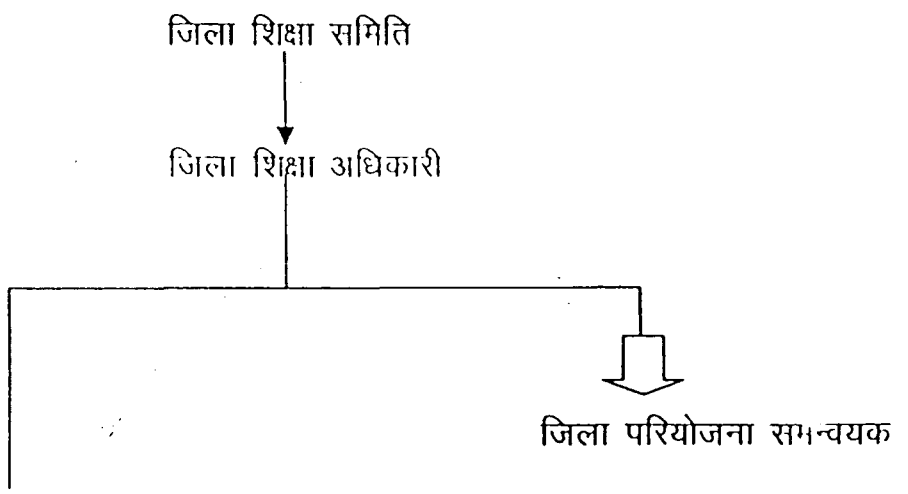

डाइट के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं परियोजना के लक्ष्यों हेतु प्रशिक्षण एवं परिवीक्षण में सहभागिता हेतु संस्थान को वाहन उपलब्ध कराना, मशीनरी, मरम्मत एवं रखरखाव हेतु संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं । दूरस्थ शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं अधिकतम उपयोग हेतु डिश ऐन्टीना एवं कैरोट्स दिए गये तथा दैनिक प्रसारण को रिकार्ड कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग किया जा रहा है ।

9.6 जिले की आवश्यकताओं की पहचान, स्थानों का निर्धारण एवं योजना निर्माण में जनभागीदारी हेतु जिला स्तर पर शाषीपरिषद् का गठन जिला प्रमुख की अध्यक्षता में किया गया है जिसमें सम्पूर्ण जिले के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी एजेन्सीज स्वंयसेवी संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिसमें निम्न सदस्य है :–

शाषी परिषद(जी.सी.).

- जिला प्रमुख (अध्यक्ष)–1
- सांसद–2
- समस्त विधायक –05
- समस्त प्रधान –05
- समस्त विकास अधिकारी –05
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् –1
- जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक –1
- अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा.शि.–1
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–1
- परियोजना निदेशक, महिला बाल विकास–1

- समाज कल्याण अधिकारी–1
- प्राचार्य डाइट–1
- स्वयं सेवी संगठन प्रतिनिधि–2
- अधिशाषी अभियंता जलदाय विभाग –1
- सचिव, जिला साक्षरता समिति –1

9.7 जिले में निर्मित योजना को कार्यरूप में परिणित करने, बेहतर लक्ष्यों की प्राप्ति एवं सम्बन्धित विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति (निष्पादक समिति) का गठन किया गया है जिसमें निम्न सदस्य है:–

निष्पादक समिति (ई.सी.)

- जिला कलक्टर, अध्यक्ष
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
- प्रधानाचार्य, डाइट
- समाज कल्याण अधिकारी
- उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास
- सचिव, जिला साक्षरता समिति
- शिक्षाविद्–दो
- स्वंय सेवी संगठन प्रतिनिधि–2
- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.)
- जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
- जिला परियोजना समन्वयक, डी.पी.ई.पी.
- अधिशाषी अभियन्ता जलदाय विभाग
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- सहायक परियोजना समन्वयक , डी.पी.ई.पी.–3
- कार्यक्रम सहायक डी0पी0ई0पी0–3

9.8 जिला सन्दर्भ समूह

जिला परियोजना समन्वयक एवं कार्यकारी व निष्पादक समिति को संबलन प्रदान करने हेतु कार्यक्रमवार 5 जिला संदर्भ समूह का गठन किया गया है प्रत्येक समूह में 6 सदस्य मनोनीत है ।

जिला निष्पादन समिति वर्ष में चार बार त्रैमासिक बैठकें कर जिला निष्पादन समिति के प्रस्तावों /निर्णयों को कियान्वित करेगी साथ ही विगत तीन माह में की गई गतिविधियों की प्रगति का कम्पोनेंटवार समीक्षा करेगी।

9.8.1 जिला संदर्भ समूह -- सर्व शिक्षा अभियान के बौद्धिक एवं अकादमिक पक्ष को व्यवस्थित, नियमित, लोकतांत्रिक एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान करने हेतु जिला संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तावित की गई हैं। औपचारिक प्राथमिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, प्रशिक्षण, सिविल कार्य हेतु चार जिला संदर्भ समूह गठित करने एवं इनकी त्रैमासिक बैठकों का प्रावधान प्रस्तावित हैं, प्रत्येक जिला संदर्भ समूह में एक कार्यक्रम प्रभारी, एक डाईट का संदर्भ व्यक्ति, एक सेवानिवृत शिक्षाविद्, एक अभियन्ता एवं एक योग्य अनुभवी अध्यापक सदस्य होगें।

9.8.2 **खण्ड संदर्भ केन्द्र** :– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर खण्ड संदर्भ केन्द्र संचालित हैं। सर्व शिक्षा अभियान में खण्ड संदर्भ केन्द्र के महत्व को स्वीकार करते हुए उनको मौजूदा स्वरूप में ही चलाने का प्रावधान हैं। खण्ड संदर्भ केन्द्र द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाने हैं ।

1. शिक्षकों के प्रशिक्षण – प्रेरण प्रशिक्षण, अभिनवन प्रशिक्षण एवं विषयगत प्रशिक्षण, सेवारत एवं पैरा टीचर हेतु प्रशिक्षण करवाना।

2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का प्रशिक्षण आयोजित करना।

3. संकुल प्रभारियों की मासिक बैठक आयोजित करना।

4. माह में न्यूनतम् एक संकुल का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना।

5. किसी एक संकुल एवं एक संदर्भ व्यक्ति को चयन कर आदर्श संकुल तथा आदर्श संदर्भव्यक्ति निर्मित करना।

6. माह में न्यूनतम एक प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/वैकल्पिक विद्यालय /ई.सी.ई. केन्द्र का खण्ड संदर्भ व्यक्ति अथवा संकुल संदर्भ व्यक्ति द्वारा अवलोकन करवाना।

7. समुदाय से सहभागिता स्थापित करना।

8. जनप्रतिनिधियों एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित गैर सरकारी संगठनों से समन्वय स्थापित करना।

9. जिला परियोजना कार्यालय / डाईट / संकुल केन्द्र तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

10. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।

11. जिला स्तरीय सूचना तन्त्र को संकुल एवं ब्लॉक की सूचना उपलब्ध करवाना।

12. शाला प्रबन्धन समितियों को गति प्रदान करना।

13. वातावरण निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाना।

14. निर्माण कार्यो की विद्यालय वार सूचना संकलित करना एवं निर्माण कार्यो की सामान्य प्रगति प्राप्त करना।

15. प्रत्येक खण्ड संदर्भ केन्द्र पर एक खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी, तीन संदर्भ व्यक्ति, एक कैशियर कम टाईपिस्ट, एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, एक लिपिक, एक सहायक कर्मचारी के पद प्रस्तावित किये गये हैं। प्रत्येक खण्ड संदर्भ केन्द्र के संचालन का वार्षिक बजट 6.00 लाख रूपयें हैं।

9.8.3 खण्ड शिक्षा समिति -- ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों, प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़े अधिकारियों एवं सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े पदाधिकारियों के बीच सार्थक संवाद एवं रचनात्मक सहयोग की निरन्तरता बनाये रखने हेतु खण्ड शिक्षा समिति के गठन एवं त्रैमासिक बैठकों के आयोजन का प्रावधान हैं। खण्ड शिक्षा समिति में निम्न सदस्य हैं-

ब्लॉक स्तर पर :-

1. प्रधान (अध्यक्ष)
2. ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, ड़ी.पी.ई.पी.(सचिव)
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
4. पंचायत समिति की शिक्षा समिति के दो सदस्य
5. प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय

विशेष आगन्तुक

6. सी.ड़ी.पी.ओ.
7. ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी
8. सेवानिवृत अध्यापक

त्रैमासिक बैठकों में विगत तीन माह की परियोजना के कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा एवं आगामी तीन माह हेतु होने वाली गतिविधियों हेतु रणनीति तैयार करना तथा लक्ष्य निर्धारित करने हेतु विचार विमर्श किया जायेगा।

9.9 **संकुल संदर्भ केन्द्र–** सर्व शिक्षा अभियान में डी.पी.ई.पी. द्वारा संचालित पूरे जिले में 56 संकुलों को यथा स्थिति स्वीकार किया गया हैं। तथा संकुलो की संख्या 56से बढाकर 71संकुल किया जाना प्रस्तावित है । वर्तमान में पूरे जिले में ब्लॉक वार संकुलों की संख्या निम्नानुसार हैं।

क.सं.	ब्लॉक	संकुल संख्या	प्रस्तावित संकुल संख्या
1.	दौसा	17	17
2.	सिकराय	9	9
3.	लालसोट	16	16

4.	महवा	11	11
5.	बांदीकुई	15	15
	योग	**68**	**68**

वर्तमान में संकुल संदर्भ केन्द्र 2 से 3 ग्राम पंचायतों, एक नगरपालिका की परिधि में स्थित हैं। प्रत्येक संकुल पर संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी पदस्थापित हैं। इनके वर्तमान स्वरूप को सर्व शिक्षा अभियान में यथावत प्रस्तावित किया गया हैं प्रत्येक संकुल संदर्भ केन्द्र का वार्षिक संचालन बजट 2.00 लाख रूपयें हैं। संकुल संदर्भ केन्द्र द्वारा निम्न कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। (वर्तमान में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत ये सभी कार्य किये जा रहे हैं)

1. प्रत्येक विद्यालय का शाला मानचित्रीकरण, सूक्ष्मनियोजन एवं विद्यालय का कैचमेन्ट एरिया निर्धारित करना।
2. शाला प्रबन्धन समितियों का गठन एवं अभिमुखीकरण।
3. शिक्षक / पैरा टीचर की मासिक बैठके आयोजित कराना।
4. ई.सी.ई. प्रेरक / बालिका मंच की त्रैमासिक बैठके आयोजित करना।
5. संकुल स्तर पर बाल–मेला, कला जत्था एवं महिला बैठकों का आयोजन करवाना।
6. विद्यालयों में निर्माण कार्यो के लिए भवन निर्माण समितियों का गठन करवाना।
7. विद्यालयों से नामांकन, ठहराव की मासिक सूचनाऐं प्राप्त कर खण्ड संदर्भ केन्द्र पर पहुंचाना।
8. ब्लॉक स्तर की संकुल प्रभारियों की मासिक मीटिंग में भाग लेना।
9. विद्यालयों में शाला सुविधा अनुदान राशि (SFG) एवं शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) हेतु दी गई राशि के प्रभावी उपयोग की सुनिश्चितता करना।

शाला प्रबन्धन समितियां एवं उनकी कार्य पद्धति को सर्व शिक्षा अभियान में यथावत् स्वीकार किया गया हैं। शाला प्रबन्धन समिति में निम्न सदस्य प्रस्तावित हैं –

1. सरपंच / वार्ड पंच (अध्यक्ष)
2. प्र.अ.,प्रा.वि. / उ.प्रा.वि. / रा.गां.स्व.पा. (सचिव)
3. वार्ड सदस्य – 5 (1 अ.जा.,1 ज.जा., 1 महिला,2 अन्य)
4. ग्राम सेवक
5. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
6. अध्यापक – 2 (प्र.अ द्वारा मनोनीत)
7. अभिभावक / संरक्षक –2 (प्र.अ द्वारा मनोनीत)

विशेष आगन्तुक

8. ए.एन.एम.
9. सेवानिवृत कर्मचारी
10. सामाजिक कार्यकर्ता

शाला प्रबन्धन समिति मे कुल सदस्यों का एक तिहाई महिलाओं का होना अपेक्षित हैं। वर्ष में एक बार शाला प्रबन्धन समिति का संकुल स्तर पर अभिमुखीकरण प्रस्तावित हैं। अभिमुखीकरण में निम्न बिन्दुओं पर विशेष चर्चा एवं जानकारी का आदान–प्रदान किया जाना प्रस्तावित हैं–

1. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की मूल अवधारणा।
2. नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक अभिवृद्धि पर विशेष बल।
3. सर्व शिक्षा अभियान के उद्धेश्य एवं व्यूह रचनाऐं।
4. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में जन सहभागिता।
5. जैण्डर संवेदनशीलता।

6. शाला प्रबन्धन समितियों तथा ई.सी.ई. केन्द्रों द्वारा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण एवं छोटे बच्चों की सार–संभाल पर अपनी–अपनी सेवाऐं प्रदान करना।

शाला प्रबन्धन समिति के कार्य :–

1. ग्राम स्तर पर शाला मानचित्रीकरण, सूक्ष्मनियोजन तथा कैचमेंन्ट एरिया संबंधी कार्य करना।
2. भवन रहित विद्यालय हेतु भवन की भूमि का चिन्हीकरण, पट्टा प्राप्त करना, भवन निर्माण समिति का गठन एवं सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त राशि से ब्लॉक के कनिष्ठ अभियन्ता के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्माण कार्य करवाना
3. शाला भवन की मरम्मत, पेयजल सुविधा, विद्यालय सौन्दर्यकरण में सक्रिय सहयोग प्रदान करना।
4. भवन निर्माण संबंधी सामग्री का क्रय करना एवं तत्संबंधी लेखों का संधारण करना।
5. शत् प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित् करना।
6. विद्यालय में सभी शिक्षकों की पूरे समय उपस्थिति सुनिश्चित् करना।
7. सर्व शिक्षा अभियान में दी गई भवन रख–रखाव राशि 5000/–रूपये विद्यालय अनुदान राशि 2000/–रू. तथा प्रत्येक शिक्षक को दी जाने वाली राशि 500/–रूपयें के प्रभावी उपयोग की रणनीति बनाना, सामग्री क्रय करना एवं समस्त बिल वाउचर का संधारण एवं केश बुक (रोकड़) का संधारण करना।
8. विद्यालय स्तर के सांस्कृतिक एवं खेल–कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

9. गांव के वैकल्पिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र / ई.सी.ई. केन्द्रो के प्रभावी संचालन में सहयोग प्रदान करना।

10. शिक्षकों को पुररकृत करना।

11. ग्राम स्तर पर महिला मीटिंग एवं संकुल स्तर पर बाल–मेला, कला–जत्था के आयोजन में सक्रिय सहयोग प्रदान करना।

12. 15 अगस्त, 26, जनवरी, 2 अक्टूबर एवं 20 मई को होने वाली ग्राम–सभाओं में शैक्षिक प्रस्तावों को यथा – पैराटीचर / जी.सी.एम. /ई.सी.ई. प्रेरक के चयन संबंधी कार्यवाहीं करना।

13. विकलांग बालकों की पहचान कर मेडिकल कैम्प में बालकों को भेजना तथा उपकरण दिलवाना।

14. शाला से वंचित बालकों को जोड़ने के नियमित प्रयास करना।

9.12 भवन निर्माण समिति :– विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य करवाने हेतु शाला प्रबन्धन समिति के सहयोग के लिए भवन निर्माण समिति का गठन सर्व शिक्षा अभियान में डी.पी.ई.पी. की अवधारणा एवं कार्यशैली को यथावत् रूप से स्वीकार किया गया हैं।भवन निर्माण समिति में निम्न सदस्य रखे गये हैं–

1. सरपंच / वार्ड पंच (अध्यक्ष)
2. संस्था प्रधान, संबंधित विद्यालय (सचिव)
3. ग्राम / वार्ड में उपलब्ध निर्माण कार्यो का जानकार कारीगर / मिस्त्री (दो व्यक्ति– सदस्य)
4. शाला प्रबन्धन समिति से मनोनीत उत्साहित व्यक्ति (सदस्य)।
5. संस्था प्रधान द्वारा मनोनित संस्था में कार्यरत एक अध्यापक (सदस्य)

भवन निर्माण समिति के वर्ष में एक बार कनिष्ठ अभियन्ता के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर B.N.S. प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित हैं। इस प्रशिक्षण में सभी सदस्यों, सचिव एवं अध्यक्ष को निर्माण कार्यो की विस्तृत तकनीकी जानकारी ले–आऊट, निर्माण कार्यो का तखमीना बिन्दूवार स्पष्ट किया जाता हैं। प्रशिक्षण के उपरान्त तय सीमा एवं प्राप्त राशि का निर्माण कार्यो में उपयोग कर पूर्णता के बाद उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना, भवन–निर्माण समिति का कार्य हैं। भवन निर्माण से संबंधित सामग्री यथा–पत्थर, ईट, रेत, सीमेंट, लोहा आदि न्यूनतम् बाजार मूल्यों पर एवं गुणवत्ता युक्त स्तर का क्रय करना तथा मजदूरों एवं कारीगरों की व्यवस्था करना एवं निर्माण से संबंधित बिल वाउचर तथा केश बुक संधारित करना, भवन निर्माण समिति का कार्य हैं। निर्माण का अधूरा रहना, मज़दूरों का भुगतान नहीं करना, घटिया सामग्री लगाना तथा घटिया स्तर का निर्माण कार्य करवाने तथा बिना जरूरत के अपने पास नगद धन–राशि रखना तथा लेखा संधारण नहीं करने पर भवन निर्माण समिति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं ऐसी स्थिति में सर्व शिक्षा अभियान में भवन निर्माण समिति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाहीं करने की पूर्ण स्वीकृति प्रस्तावित की गई हैं।

कोष प्रवाह :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कोष प्रवाह हेतु सुनिश्चित तंत्र विकसित किया गया हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त धन जो जिलें के विभिन्न गतिविधियों की कियान्विति हेतु दी गई वार्षिक कार्य योजना एवं बजट अनुमोदन पश्चात् ही दी जाती है को निदेशक, रा.प्रा.शि.प. के बैंक खाते में जमा करने का प्रावधान हैं। निदेशालय स्तर से जिला परियोजना समन्वयक के खाते में चैक द्वारा धन राशि जमा होती हैं। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अपनी मासिक / दैनिक गतिविधियों हेतु राशि आहरित कर खण्ड संदर्भ केन्द्र / संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारियों के खाते में स्थानान्तरित करदी जाती है। खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी / संकुल केन्द्र प्रभारी द्वारा एस.एम.सी. सीधे संबंधित व्यक्ति को राशि चैक द्वारा दी जाती हैं।

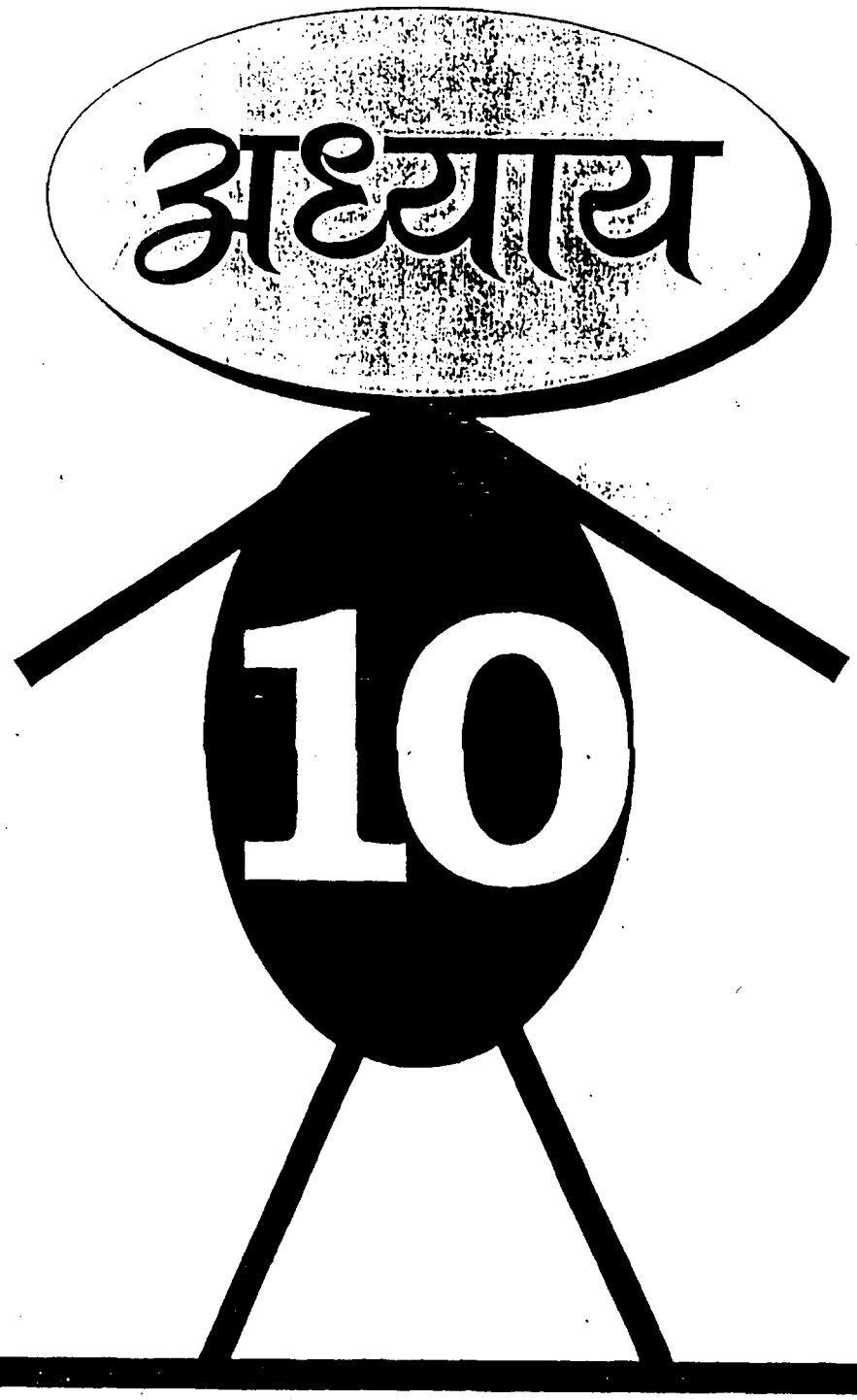

निर्माण कार्य

10.1 भूमिका :-

नामांकन एवं ठहराव की दृष्टि से भवन निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। परियोजनान्तर्गत विद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं नये भवनो का निर्माण प्रस्तावित है। शिक्षण संस्थाओं एवं शिक्षा तंत्र का सुदृढ़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये भवन निर्माण भी उतना ही आवश्यक है

भवनहीन विद्यालयों के भवन का निर्माण भी इस योजना में प्रस्तावित है। एवं जिन विद्यालयों में छात्रानुपात में शिक्षण कक्ष कम है वहां भी अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण करवाया जाना है। तथा शौचालयों, पेयजल सुविधाओं का निर्माण कार्य भी इसमें प्रस्तावित है। जिससे छात्रों को अधिक से अधिक नामांकित किया जा सके।

नामांकित छात्रों का ठहराव निश्चित करने हेतु बच्चों की सुविधानुसार सुसज्जित एवं आकर्षक कक्षाकक्ष, शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था तथा बालक बालिकाओं के लिए पृथम–पृथक शौचालयों की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालयों में आवश्यक है। इसी दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान में निर्माण कार्यो का प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान में किये जाने वाले निर्माण कार्यो में अनेक नवाचार समाहित होगें। जैसे कि – विभिन्न आकार (आम, अमरुद, खरगोश) एवं रंगों के श्याम पट्ट, बच्चों की पहुँच में श्याम पट्ट ताकि बालक उन पर आसानी से कार्य कर सकें।

10.1.1 निर्माण कार्य विधि :-

निर्माण कार्य कराने के लिए प्रत्येक विद्यालय के गठित शाला प्रबन्धन समिति में से तीन–चार सदस्यों की एक भवन निर्माण समिति का गठन किया जावेगा जो कि निर्माण कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करेंगी। जिनका सुपरवीजन कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता करेंगे। लेखा जोखा शाला प्रबन्ध समिति रखेगी। विद्यालय भवन के लिए जगह शाला प्रबन्ध समिति सरकारी भूमि या दान की हुई जमीन में से स्थान सुनिश्चित करेगी व खेलने के लिए मैदान हो यह भी ध्यान में रखा जायेगा ।

निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो इसके लिए समाज को विद्यालय प्रबन्धन के साथ जोडा जायेगा तथा विद्यालयों को तकनीकी मदद सर्व शिक्षा अभियान के कनिष्ठ एवं सहायक अभियन्ता प्रदान करेंगे। निर्माण कार्यो के लिए विद्यालयों का चयन आवश्यकताओं की वरीयता के आधार पर किया जायेगा तथा यह वरीयतायें विभिन्न स्तरों पर गठित की गई समितियों द्वारा निर्धारित की जावेगी।

10.2 भवन विहीन विद्यालय :-

निर्माण कार्यों के अन्तर्गत जहॉ विद्यालय भवन अभी उपलब्ध नहीं है तथा जो विद्यालय किराये के भवनों में या किसी अन्य स्थान पर चल रहे हैं वहॉ विद्यालय भवनों का निर्माण किया जायेगा।

जिले के नवक्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 2 कक्षीय भवन एवं भवनहीन विद्यालयों को 3 कक्षीय भवन निर्मित किये जायेंगे। जिले में 161 दो कक्षीय भवन तथा 112 तीन कक्षीय भवनों की आवश्यकता है। जिनका निर्माण

सर्वशिक्षा अभियान के तहत करवाया जायेगा। जिन पर कुल लागत निम्नानुसार होगी।

भवन का प्रकार	इकाई लागत	संख्या	कुल लागत
दो कक्षीय भवन	2.56	161	412.16
तीन कक्षीय भवन	3.6	112	403.2

10.3 अतिरिक्त कक्षा कक्ष :-

जिन विद्यालयों में कमरों की संख्या बहुत कम है और नामांकन बहुत अधिक है उन विद्यालयों में बालक बालिकओं के बैठने के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण किया जायेगा। कक्षा कक्षों का निर्माण 40 बालक–बालिकाओं पर एक कक्षा कक्ष हो यह सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा। जिला प्रांथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये निर्माण कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकताओं के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 650 अतिरिक्त कक्षाकक्षों का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया है।

10.4 शौचालय निर्माण :-

राजकीय विद्यालय में जहॉ शौचालय नहीं है या बालक बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय नहीं है। वहां शौचालय का निर्माण किया जायेगा।

जिले में बालक एवं बालिकाओं की ठहराव दर में वृद्वि एवं गुणात्मक सुधार के लिए विद्यालयों में शौचालय निर्माण की दृष्टि से 550 शौचालयों की आवश्यकता महसूस की गई हैं।

10.5 जल सुविधा :–

जहाँ विद्यालय भवनों में पीने के पानी की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है वहां जल सुविधा की व्यवस्था की जायेगी। जल सुविधा दो प्रकार से की जायेगी।

1. PHED कनेक्शन्स
2. हैण्ड पम्प

जल सुविधाओं पर निम्नानुसार वित्तीय प्रावधान हैं

जल सुविधाएं	संख्या	इकाई लागत	कुल राशि (लाखों में)
हैण्डपम्प	440	0.5	220
PHED कनेक्शन	30	0.2	6
योग			226

10.6 रैम्प :–

जिले में विकलांग बालक बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय भवनों में रैम्प्स बनाने का निर्माण किया जाना है। वर्तमान में किसी भी विद्यालय में विकलांग बालकों के लिए रैम्प निर्मित नहीं है।

जिले में कुल रैम्प्स 825 का निर्माण किया जाना है। जिनकी कुल लागत 165 लाख रू. है।

रैम्प्स की संख्या	इकाई लागत	कुल राशि (लाख में)
825	0.20	165
कुल राशि		165

10.7 बॉउण्डरी वॉल :-

जिल के विद्यालयों में बॉउण्डरी वॉल अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में प्रत्येक रागापा चारदीवारी रहित है तथा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, शिक्षाकर्मी एवं संस्कृत विद्यालयों में भी सिर्फ 18 प्रतिशत विद्यालयों में भी बॉउण्डरी वॉल निर्मित है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 1 यूनिट बॉउण्डरी वॉल का प्रावधान रखा गया है। जिस पर 50 लाख रूपये प्रतिवर्ष बजट प्रावधान रखा गया है।

10.8 छोटी एवं बड़ी मरम्मत :-

जिले के विद्यालय भवनों में डीपीईपी प्लान के अतिरिक्त मरम्मत की आवश्यकता पाई गई है। उनके लिए 360 बड़ी एवं 490 छोटी मरम्मत सर्व शिक्षा अभियान के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई है।

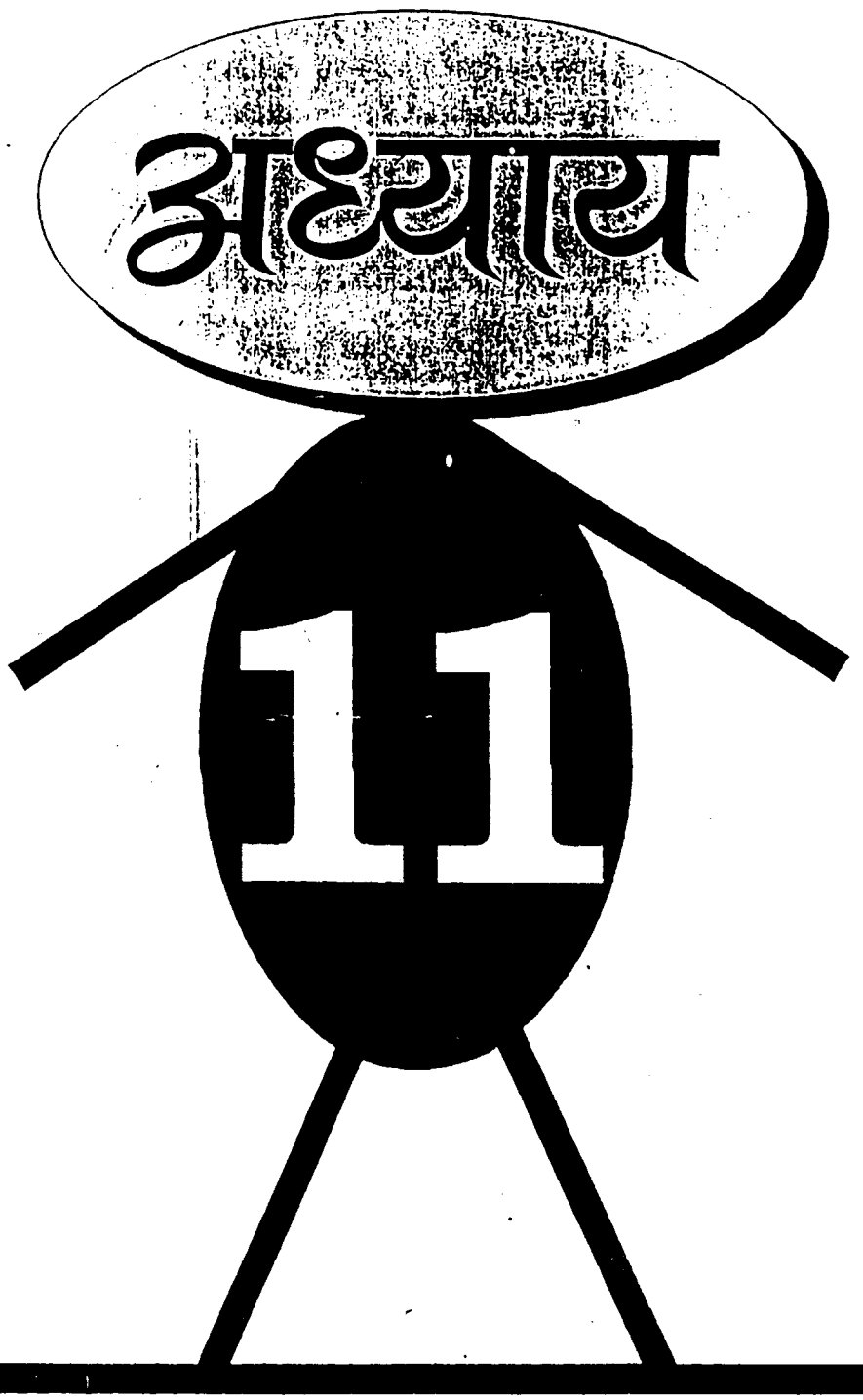

आयोजना लागत

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05							
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	28405	240.022	26065	220.24925	23608	199.4876	21029	177.695	09107	837.454
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**			16		11		16		49		92	
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	16	8.000	11	5.500	16	8.000	49	24.500	92	46.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	16	14.400	11	9.900	16	14.400	49	44.100	92	82.800
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	22	26.400	38	45.600	49	58.800	65	78.000	174	208.800
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	16	10.080	11	6.930	16	10.080	49	30.870	92	57.960
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	44	36.960	98	82.320	136	114.240	179	150.360	457	383.880
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	20	24.000	50	60.000	80	96.000	80	96.000	230	276.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	20	10.000	40	20.000	60	30.000	80	40.000	200	100.000
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	16000	16.000	16500	16.500	17000	17.000	17500	17.500	67000	67.000
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	5	12.800	20	51.200	30	76.800	42	107.520	97	248.320
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	16	57.600	33	118.800	16	57.600	49	176.400	114	410.400
	6.3	Toilets	Number	0.1	40	4.000	80	8.000	80	8.000	80	8.000	280	28.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	25	12.500	50	25.000	75	37.500	80	40.000	230	115.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2		0.000		0.000	10	2.000	10	2.000	20	4.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	40	8.000	60	12.000	60	12.000	60	12.000	220	44.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	40	5.000	60	7.500	50	6.250	80	10.000	230	28.750
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	30	7.500	60	15.000	80	20.000	80	20.000	250	62.500
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500	100	25.000	100	25.000	100	25.000	350	87.500
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	620		651		687		819		2777	0.000
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	293	14.650	309	15.450	320	16.000	336	16.800	1258	62.900
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**			47		47		148		47		289	
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	47	4.700	47	4.700	148	14.800	47	4.700	289	28.900
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	47	29.610	47	29.610	148	93.240	47	29.610	289	182.070
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	47	39.480	94	78.960	242	203.280	383	321.720
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	47	6.345	47	6.345	148	19.980	47	6.345	289	39.015
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	47	9.588	47	9.588	148	30.192	242	49.368
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	47	10.716	47	10.716	94	21.432
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	47	11.844	47	11.844
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	620		651		687		819		2777	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	293	5.860	309	6.180	320	6.400	336	6.720	1258	25.160
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	1888		1982		2278		2372		8520	0.000
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2414	12.070	2474	12.370	2533	12.665	2658	13.290	10079	50.395
12		**Teachers Training**												
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	1841		1888		2036		2083		7848	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2414		2474	34.636	2533	35.462	2658	37.212	10079	107.310

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000	484	20.328		0.000		0.000	484	20.328
	13.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	47	0.987	94	1.974	242	5.082	289	6.069	672	14.112
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2344	1.406	2472	1.483	2560	1.536	2688	1.613	10064	6.038
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	502	6.024	502	6.024	502	6.024	502	6.024	2008	24.096
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	620	8.680	651	9.114	687	9.618	819	11.466	2777	38.878
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	293		309	4.326	320	4.480	336	4.704	1258	13.510
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000		0.000		0.000	1	2.200	1	1.200
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	1	2.040	1	2.040	1	2.040	4	5.100	7	11.220
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	1	1.440	1	1.440	1	1.440	3	2.880	6	7.200
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		0.000		0.000		0.000	1	0.900	1	0.900
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000		0.000		0.000	1	0.840	1	0.840
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		0.000		0.000		0.000	1	0.600	1	0.600
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000		0.000		0.000	1	0.300	1	0.300
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	1	0.480	1	0.480	1	0.480	4	0.960	7	2.400
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306		0.000		0.000		0.000	3	0.459	3	0.459
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000		0.000		0.000	1	0.153	1	0.153
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000		0.000		0.000	5	2.100	5	2.100
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	[illegible] Phy	Fin	[illegible] Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000		0.000		0.000		[illegible]
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	[illegible]
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0.000		0.000		0.000	5	4.900	5	4.900
	17.3.2	Salary of Resource Person APO	Number	1.44		0.000		0.000		0.000	15	10.800	15	10.800
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		0.000		0.000		0.000	5	3.600	5	3.600
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	5	5.400	5	5.400	5	5.400	5	5.400	20	21.600
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000	0	0.000	0	0.000	5	1.500	5	1.500
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48		0.000	0	0.000	0	0.000	5	1.200	5	1.200
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0.000	0	0.000	0	0.000	5	0.765	5	0.765
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***												
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	5	4.250		0.000		0.000		0.000	5	4.250
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	5	0.600	5	0.600	5	0.600	5	0.600	20	2.400
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	5	0.500	5	0.500	5	0.500	5	0.500	20	2.000
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	5	4.200	5	4.200	5	4.200	5	4.200	20	16.800
	17.5	***CRCF Office***												
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0.000		0.000		0.000	68	40.800	68	40.800
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**												
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	5	0.625	5	0.625	5	0.625	5	0.625	20	2.500
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	5	0.300	5	0.300	5	0.300	5	0.300	20	1.200
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	5	0.250	5	0.250	5	0.250	5	0.250	20	1.000
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	68	1.700	68	1.700	68	1.700	68	1.700	272	6.800
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	68	1.632	68	1.632	68	1.632	68	1.632	272	6.528
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	68	0.680	68	0.680	68	0.680	68	0.680	272	2.720
20		**Interventions for Out of School Children**												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	3000	25.350	2500	21.125	2000	16.900	1500	12.675	9000	76.050
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	293	2.930	309	3.090		0.000		0.000	602	6.020
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	225	4.500	225	4.500	225	4.500	225	4.500	900	18.000
		Grand Total				**768.152**		**1091.249**		**1270.536**		**1684.229**		**4814.166**
		Total of Civil work				203.900		392.500		421.150		586.920		1604.470
		% of Civil works				26.54		35.97		33.15		34.85		33.33
		Total of Management				28.490		20.640		20.640		32.172		101.942
		% of Management				3.71		1.89		1.62		1.91		2.12

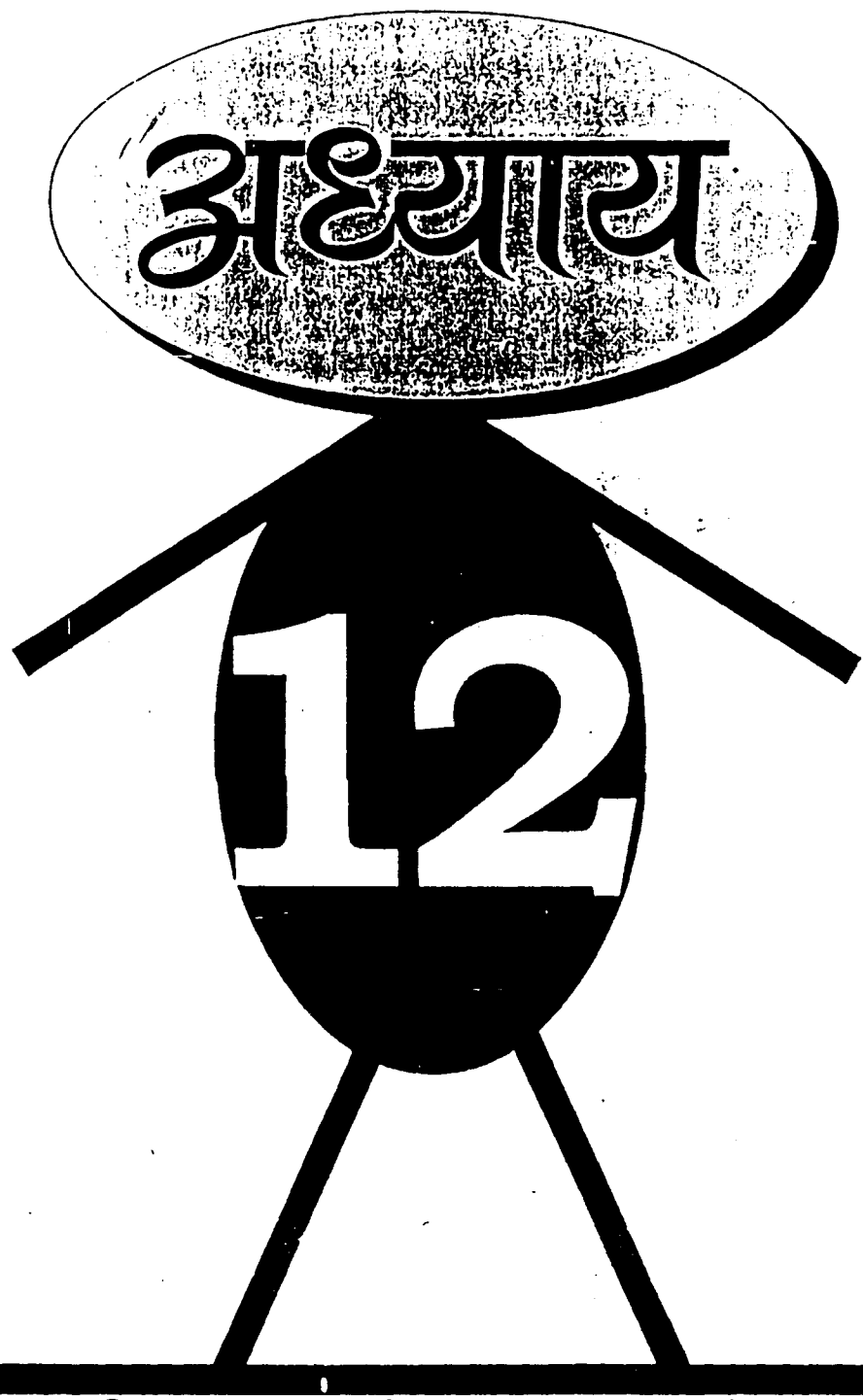

वार्षिक आयोजना एवं बजट

2003-2004

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	28405	240.022		0.000	28405	240.022
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	16	8.000	22	11.000	38	19.000
	3.2	**Salary of Head Master in Ist year**	Number	0.9	16	14.400		0.000	16	14.400
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	22	26.400		0.000	22	26.400
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	16	10.080		0.000	16	10.080
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	44	36.960		0.000	44	36.960
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	20	24.000	78	93.600	98	117.600
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	20	10.000		0.000	20	10.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	16000	16.000		0.000	16000	16.000
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	5	12.800		0.000	5	12.800
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	16	57.600		0.000	16	57.600
	6.3	Toilets	Number	0.1	40	4.000	135	13.500	175	17.500
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	25	12.500		0.000	25	12.500
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	40	8.000		0.000	40	8.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	40	5.000		0.000	40	5.000
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	30	7.500		0.000	30	7.500
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	620	0.000		0.000	620	0.000
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	293	14.650		0.000	293	14.650
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	47	4.700		0.000	47	4.700
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	47	29.610		0.000	47	29.610
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	47	6.345		0.000	47	6.345
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								
	10.1	Primary School	Number	0.02	620	0.000		0.000	620	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	293	5.860		0.000	293	5.860
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	1888	0.000			1888	0.000

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2414	12.070		0.000	2414	12.070
12		**Teachers Training**								
	12.1	**Teachers in PS & New PS (20 days)**	Number	0.014	1841	0.000			1841	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2414	0.000	1440	20.160	3854	20.160
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	47	0.987		0.000	47	0.987
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2344	1.406		0.000	2344	1.406
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	502	6.024		0.000	502	6.024
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	620	8.680		0.000	620	8.680
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	293	0.000	321	4.494	614	4.494
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	1	2.040		0.000	1	2.040
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	1	1.440		0.000	1	1.440
	17.1.4	Salary of Asstt. Engg. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	1	0.480		0.000	1	0.480
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	**Salary of Junior Engg.**	**Number**	**1.44**	**0**	**0.000**		**0.000**	**0**	**0.000**
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	5	5.400		0.000	5	5.400
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	5	4.250		0.000	5	4.250
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	5	0.600		0.000	5	0.600
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	5	0.500		0.000	5	0.500
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	5	4.200		0.000	5	4.200
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	5	0.625		0.000	5	0.625
	19.1.3	**Travel Allowance**	**Number**	**0.06**	**5**	**0.300**		**0.000**	**5**	**0.300**
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	5	0.250		0.000	5	0.250
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	68	1.700		0.000	68	1.700
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	68	1.632		0.000	68	1.632
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	68	0.680		0.000	68	0.680
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	3000	25.350		0.000	3000	25.350
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	293	2.930		0.000	293	2.930
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	225	4.500		0.000	225	4.500
		Grand Total				**768.152**		**142.754**		**910.906**
		Total of Civil work				203.900		107.100		311.000
		% of Civil works				26.54		75.02		34.14
		Total of Management				**28.490**		0.000		28.490
		% of Management				3.71		0.00		3.13

क्रियान्वयन योजना

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRCT : DAUSA

Norms	S.N.	Name of Activities	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1		**Additional Teacher**				
	1.1	Honorarium of Additional Para teacher				
		Ist Year	*			
		IInd Year				
		IIIrd Year				
		IVth Year				
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**				
	2.1	No. of Children in Primary School	*	*	*	*
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**				
	3.1	Teaching Learning Equipments	*	*	*	*
	3.2.	Salary of Head Master Ist Year	*	*	*	*
		Salary of Head Master in Next Year	*	*	*	*
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	*	*	*	*
		Salary of Teacher in Next Year	*	*	*	*
4		**Class Room**				
	4.2	Additional Class Room in UPS	*	*	*	*
	4.3	HM Room in UPS	*	*	*	*
5		**Free Text Book**				
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	*	*	*	*
6		**Civil Work**				
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	*	*	*	*
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	*	*	*	*
	6.3	Toilets	*	*	*	*
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	*	*	*	*
	6.5	PHED Connections	*	*	*	*
	6.6	Ramps	*	*	*	*
	6.7	Construction of BRC				
	6.8	Construction of CRC				
	6.9	Boundary Wall	*	*	*	*
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	*	*	*	*
	6.11	Major Repairs (per classrooms	*	*	*	*
	6.11	Provision of Play Elements to School	*	*	*	*
7		**Maintinance & Repairs**				
	7.1	Primary School	*	*	*	*

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRCT : DAUSA

Norms	S.N.	Name of Activities	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	7.3	Upper Primary School	*	*	*	*
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**				
	8.1	Teaching Learning Equipments	*	*	*	*
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	*	*	*	*
		Teacher Salary in Next Year		*	*	*
	8.3	Honorarium of Para Teacher (2)				
	8.3.1	Ist Year	*	*	*	*
	8.3.2	IInd Year		*	*	*
	8.3.3	IIIrd Year			*	*
	8.3.4	IVth Year				*
10		**School Grant**				
	10.1	Primary School				
	10.3	Upper Primary School	*	*	*	*
11		**Teachers Grant**				
	11.1	Teachers in Primary School	*	*	*	*
	11.3	Teachers in Upper Primary School	*	*	*	*
12		**Teachers Training**				
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	*	*	*	*
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	*	*	*	*
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	*	*	*	*
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	*	*	*	*
14		**Training for Community Leaders**				
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	*	*	*	*
15		**Provision for Disabled Children**				
	15.1	Disabled Children	*	*	*	*
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**				
	16.1	Primary School	*	*	*	
	16.3	Upper Primary School	*	*	*	*
17		Management Cost				
	17.1	*District Project Office*				
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)				*
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	*	*	*	*
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	*	*	*	*
	17.1.4	Salary of Asstt. Engg. (1)				*

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRCT : DAUSA

Norms	S.N.	Name of Activities	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	17.1.5	Salary of AAO (1)				*
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)				*
	17.1.7	Salary of UDC (1)	*	*	*	*
	17.1.8	Salary of LDC (1)				*
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	*	*	*	*
	17.1.10	Peon on Contract (3)				*
	17.1.11	Watchmen (1)				*
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	*	*	*	*
	17.1.13	Equipment	*			
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	*	*	*	*
	17.1.15	Furniture	*			
	17.1.16	Reccuring Expanditure	*	*	*	*
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***				
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	*	*	*	*
	17.2.2	Equipment	*	*	*	*
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	*	*	*	*
	17.2.4	Reccuring Expanditure	*	*	*	*
	17.3	***BRCF Office***				
	17.3.1	Salary of BRCF				*
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO				*
	17.3.3	Salary of Junior Enng.				*
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	*	*	*	*
	17.3.5	Salary of LDC (1)				*
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)				*
	17.3.7	Peon on Contract (1)				*
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***				
	17.4.1	Equipment	*			
	17.4.2	Vehicle Allowance	*	*	*	*
	17.4.3	Reccuring Expanditure	*	*	*	*
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	*	*	*	
	17.5	*CRCF Office*				
	17.5.1	Salary of CRCF				*
18		**Innovation**	*	*	*	*
19	19.1	**Block Resource Center**				

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRCT : DAUSA

Norms	S.N.	Name of Activities	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	19.1.1	Furniture				
	19.1.2	Contingency	*	*	*	*
	19.1.3	Travel Allowance	*	*	*	*
	19.1.4	TLM Grant	*	*	*	*
	19.2	**Cluster Resource Center**				
	19.2.1	Furniture				
	19.2.2	Contingency	*	*	*	*
	19.2.3	Travel Allowance	*	*	*	*
	19.2.4	TLM Grant	*	*	*	*
20		**Interventions for Out of School Children**				
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	*	*	*	*
21		**Community Mobilisation**				
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	*	*	*	*
	21.2	Doveloping Awarness Material	*	*	*	*
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	*	*	*	*

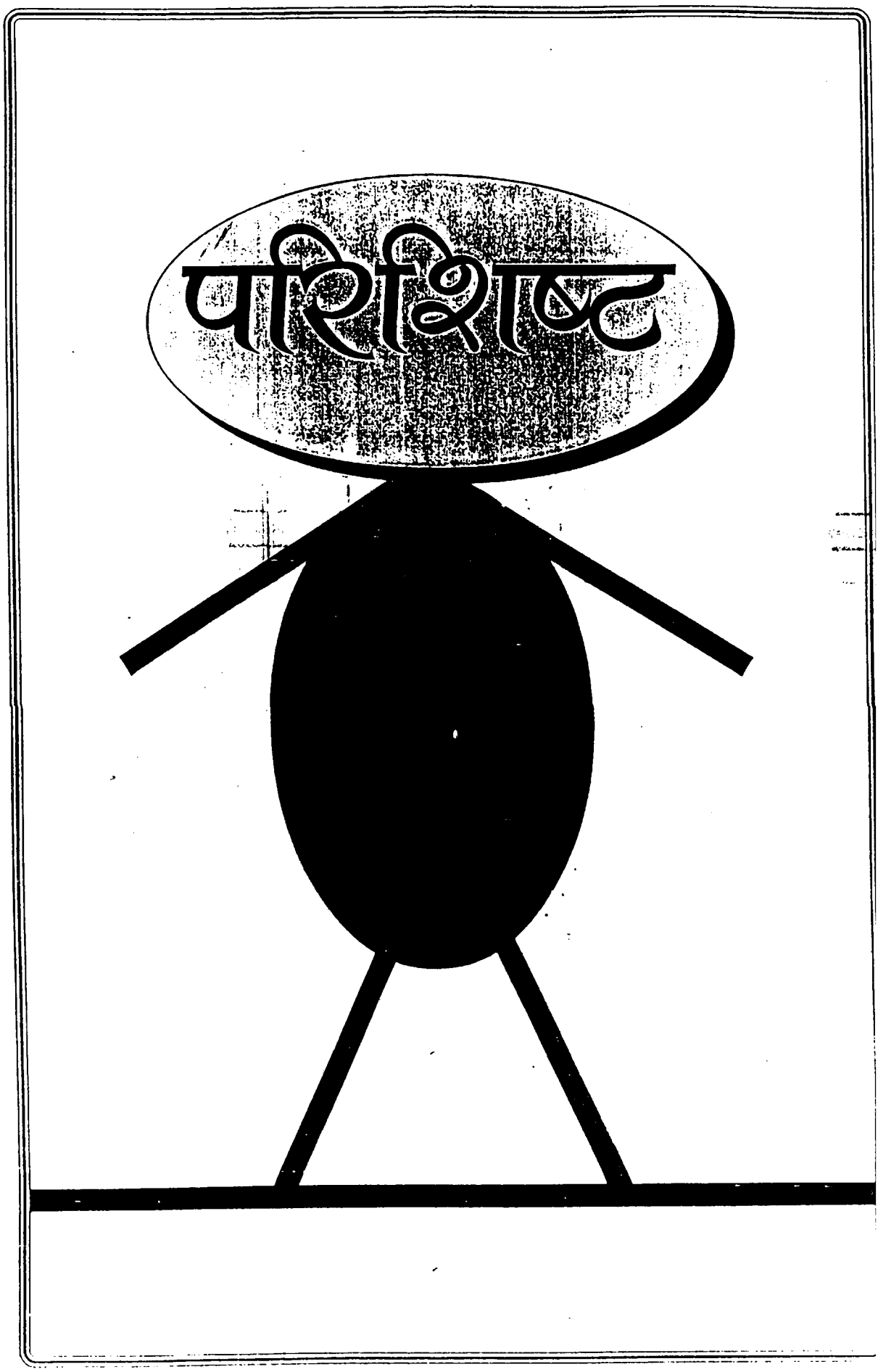
परिशिष्ट

Status Schools & Upgradition

DISTRICT

Year	Position of Schools						Upgadation		Position after upgradition					
	PS	UPS	RGSJP	SKS	AS 6Hours	Total	PS	UPS	PS	UPS	RGSJP	SKS	AS 6Hours	Total
2002-03	642	283	459	105	33	1522		22	620	305	459	105	33	1522
2003-04	620	305	459	105	27	1516	184	16	788	321	275	105	60	1549
2004-05	788	321	275	105	60	1549	197	49	936	370	183	0	60	1549
2005-06	936	370	183	0	60	1549	92	65	963	435	93	0	60	1551
2006-07	963	435	93	0	60	1551	143	31	1075	466	0	0	0	1541
2007-08	1075	466	0	0	0	1541		48	1027	514				1541
2008-09	1027	514	0	0	0	1541		0	1027	514				1541
2009-10	1027	514	0	0	0	1541		0	1027	514				1541
								0	0	0				0

ADDITIONAL PARA TEACHERS & CLASSROOMS

DISTRICT : DASUA

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-010
No. of childern 6-11 age group	176732	182462	188378	194485	200790	207300	214020	220959
No. of childern 11-14 age group	105224	108635	112157	115793	119547	123423	127424	131555
No. of childern 6-14 age group	281956	291097	300535	310278	320337	330723	341444	352514
Enrolment in I To VIII class	277308	291097	300535	310278	320337	330723	341444	352514
Enrolment in AS/EGS	30633	23273	15393	11713	5993			
Enrolment in Private school	79278	84418	87155	89981	92898	95910	99019	102229
Enrolment in Govt school	167397	183406	197987	208584	221446	234813	242425	250285
No. Teacher 1:40	4185	4585	4950	5215	5536	5870	6061	6257
Post Sanctioned	4104							
No.of additional teacher required	81	400	365	265	322	334	190	196
No of classrooms required	384	400	365	265	322	334	190	196

PHYSICAL NUMBERS 2003-07

DISTRCT : DAUSA

S.N.	Name of Activities	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	Additional Teacher				
1.1	Honorarium of Additional Para teacher				
	Ist Year	1			
	IInd Year				
	IIIrd Year				
	IVth Year				
	Education Gaurantee Scheme (EGS)				
2.1	No. of Children in Primary School	23273	15393	11713	5993
	Upgradation Primary School to Upper Primary School				
3.1	Teaching Learning Equipments	16	49	65	31
3.2	Salary of Head Master Ist Year	16	49	65	31
	Salary of Head Master in Next Year	21	64	71	40
3.3	Salary of Teacher in Ist Year	16	49	65	31
	Salary of Teacher in Next Year	42	75	112	156
	Class Room				
4.2	Additional Class Room in UPS	149	219	149	133
4.3	HM Room in UPS	75	100	100	45
	Free Text Book				
5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	15806	16201.2	16606.1788	17021.33
	Civil Work				
6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	16	49	65	31
6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	20	20	30	42
6.3	Toilets	100	191	150	109
6.4	Handpump/ Water Harvesting	100	160	95	85
6.5	PHED Connections	15	5	5	5
6.6	Ramps	200	300	175	150
6.7	Construction of BRC	0	0	0	0
6.8	Construction of CRC	0	0	0	0
6.9	Boundary Wall	1	1	1	1
6.10	Minor Repairs (per classrooms)	180	150	85	75
6.11	Major Repairs (per classrooms)	100	150	75	35
6.11	Provision of Play Elements to School	385	250	240	125
	Maintinance & Repairs				
7.1	Primary School	788	936	963	1075

PHYSICAL NUMBERS 2003-07

DISTRCT : DAUSA

S.N.	Name of Activities	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
7.3	Upper Primary School	321	370	435	466
	Upgradation of EGS/AS to Primary School				
8.1	Teaching Learning Equipments	184	197	92	143
8.2	Teacher Salary in 1st Year	184	197	92	143
	Teacher Salary in Next Year		246	246	124
8.3	Honorarium of Para Teacher (2)				
8.3.1	Ist Year	368	394	184	286
8.3.2	IInd Year		368	394	184
8.3.3	IIIrd Year			368	394
8.3.4	IVth Year				368
	School Grant				
10.1	Primary School				
10.3	Upper Primary School	321	370	435	466
	Teachers Grant				
11.1	Teachers in Primary School	2574	3165	3441	3870
11.3	Teachers in Upper Primary School	2096	2292	2552	2676
	Teachers Training				
12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	2758	3546	3914	4486
12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	2128	2438	2893	3193
12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	484	484	484	484
12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	368	762	946	1232
	Training for Community Leaders				
14.1	Training of SMC Membars (2 days)	12392	12392	12408	12328
	Provision for Disabled Children				
15.1	Disabled Children	2523	2523	2523	2523
	Research, Evailuation, Supervision & Monitoring				
16.1	Primary School	788	936	963	0
16.3	Upper Primary School	321	370	435	466
	Management Cost				
17.1	**District Project Office**				
17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)				1
17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	1	1	1	4
17.1.3	Programme Asstt. (3)	1	1	1	3
17.1.4	Salary of Asstt. Engg. (1)				1

PHYSICAL NUMBERS 2003-07

DISTRCT : DAUSA

S.N.	Name of Activities	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
17.1.5	Salary of AAO (1)				1
17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)				1
17.1.7	Salary of UDC (1)	1	1	1	1
17.1.8	Salary of LDC (1)				1
17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	1	1	1	4
17.1.10	Peon on Contract (3)				3
17.1.11	Watchmen (1)				1
17.1.12	Hire of Vehicles (2)	2	2	2	2
17.1.13	Equipment	1			
17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	5	5	5	5
17.1.15	Furniture	1			
17.1.16	Reccuring Expanditure	1	1	1	1
17.2	**Strengthening of DEEO Office**				
17.2.1	Hire of Vehicle (1)	1	1	1	1
17.2.2	Equipment	1	1	1	1
17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	1	1	1	1
17.2.4	Reccuring Expanditure	1	1	1	1
17.3	**BRCF Office**				
17.3.1	Salary of BRCF				5
17.3.2	Salary of Resource Person/APO		0	0	15
17.3.3	Salary of Junior Enng.		0	0	5
17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	5	5	5	5
17.3.5	Salary of LDC (1)		0	0	5
17.3.6	Computer Operator on Contract (1)		0	0	5
17.3.7	Peon on Contract (1)		0	0	5
17.4	**Strengthening of BEEO Office**				
17.4.1	Equipment	5			
17.4.2	Vehicle Allowance	5	5	5	5
17.4.3	Reccuring Expanditure	5	5	5	5
17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	5	5	5	5
17.5	**CRCF Office**				
17.5.1	Salary of CRCF				68
	Innovation	1	1	1	1
19.1	**Block Resource Center**				

PHYSICAL NUMBERS 2003-07

DISTRCT : DAUSA

S.N.	Name of Activities	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
19.1.1	Furniture				
19.1.2	Contingency	5	5	5	5
19.1.3	Travel Allowance	5	5	5	5
19.1.4	TLM Grant	5	5	5	5
19.2	**Cluster Resource Center**				
19.2.1	Furniture				
19.2.2	Contingency	68	68	68	68
19.2.3	Travel Allowance	68	68	68	68
19.2.4	TLM Grant	68	68	68	68
	Interventions for Out of School Children				
20.1	Different Interventions for Out of School Children	1000	1000	1000	1000
	Community Mobilisation				
21.1	Mobilisation Activities at Village Level	1061	1061	1061	1061
21.2	Doveloping Awarness Material	1	1	1	1
21.3	Panchayat Library / Reeding Room	225	225	225	225

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, दौसा

योजना निर्माण बैठकों का विवरण

क्र.	बैठक का नाम	आयोजन दिनांक	आयोजन स्थान	उपस्थित संभागी	मुख्य मुद्दे
1.	जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक	5.8.02	कलैक्ट्रेट सभागार दौसा	जिला प्रभारी मंत्री, उच्च शिक्षा मत्री, जिला प्रमुख, जिला कलक्टर, विधायकगण, अधिकारीगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि व सगाजसेवी	नामांकन, ठहराव, शिक्षा मित्र केन्द्र, निर्माण कार्य, पैराटीचर्स नियुक्ति, वंचित वर्ग हेतु विशेष व्यवस्था, प्रशिक्षणों की आवश्यकता
2.	ब्लॉक शिक्षा समिति की बैठक	01.07.02	पं.स. सभाकक्ष, लालसोट	प्रधान, विकास अधिकारी, अतिविकास अधिकारी, पाषर्दगण, बी.आर.सी.एफ., शिक्षक प्रतिनिधि, समाजसेवी, स्वयं सेवी संगठन, तहसीलदार, महिला पर्यवेक्षक	स्वास्थ्य परिक्षण, आंगनबाडी कार्यकताओ का संम्बलन, निर्माण, मरम्मत, प्रशिक्षण, पेयजल एवं शौचालयें की व्यवस्था, वंचित वर्ग की बाकिओं के लिए व्यवस्था
3.	ब्लॉक शिक्षा समिति की बैठक	30.7.02	पं.स. सभाकक्ष, बांदीकुई	प्रधान, विकास अधिकारी, अतिविकास अधिकारी, पाषर्दगण, बी.आर.सी.एफ., शिक्षक प्रतिनिधि, समाजसेवी, स्वयं सेवी संगठन,	स्वास्थ्य परिक्षण, आंगनबाडी कार्यकताओ का संम्बलन, निर्माण, मरम्मत, प्रशिक्षण, पेयजल एवं शौचालयें की व्यवस्था
4.	ब्लॉक शिक्षा समिति की बैठक	9.8.02	परशुराम धर्मशाला दौसा	प्रधान, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, अतिविकास अधिकारी, पाषर्दगण, बी.आर.सी.एफ., शिक्षक प्रतिनिधि, समाजसेवी, स्वयं सेवी संगठन,	पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र, सामाजिक जागरुकता, आंगनबाडी कार्यकताओ का संम्बलन, निर्माण, मरम्मत, प्रशिक्षण, पेयजल एवं शौचालयें की व्यवस्था
5.	ब्लॉक शिक्षा समिति की बैठक	1.3.02	पं.स. सभाकक्ष, महवा	प्रधान, विकास अधिकारी, अतिविकास अधिकारी, पाषर्दगण, सी.डी.पी.ओं. बी. आर.सी.एफ., शिक्षक प्रतिनिधि, समाजसेवी, स्वयं सेवी संगठन, पंचायत समिति सदस्य	स्वास्थ्य परिक्षण, आंगनबाडी कार्यकताओ का संम्बलन, निर्माण, मरम्मत, प्रशिक्षण, पेयजल एवं शौचालयें की व्यवस्था, सामाजिक चेतना के कार्यक्रम
6.	ब्लॉक शिक्षा समिति की बैठक	10.4.02	पं.स. सभाकक्ष, सिकराय	डाक्टर, प्रधान, विकास अधिकारी, अतिविकास अधिकारी, पाषर्दगण, बी.आर.सी.एफ., शिक्षक, सरपंच, प्रतिनिधि, समाजसेवी, स्वयं सेवी संगठन,	आंगनबाडी कार्यकताओ का संम्बलन, निर्माण, मरम्मत, प्रशिक्षण, पेयजल।

क्र.	बैठक का नाम	आयोजन दिनांक	आयोजन स्थान	उपस्थित संभागी	मुख्य मुद्दे
7.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	11.4.02	राउप्रावि बांदीकुई	वार्ड पार्षद, अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, सामाजिक जुडाव, शिक्षाण सामग्री
8.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	21.07.02	राप्रावि बांदीकुई	वार्ड पार्षद, अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य, एन. जी.ओ. प्रतिनिधि	निर्माणकार्य, मरम्मत, नामांकन में मदद, सामाजिक जुडाव, शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त कक्षाकक्ष
9.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	28.8.02	वार्ड नं. 6 बांदीकुई	ए.एन.एम. अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, सामाजिक जुडाव, शिक्षाण सामग्री
10.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	07.01.02	राउप्रावि नीमाली	अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी,बार्ड मेम्बर कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	ठहराव मे मदद, नामांकन में मदद, सामाजिक जुडाव, मरम्मत,
11.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	05.07.02	रागापा खोर्रा कलां	शिक्षा सहयोगी, वार्ड पार्षद, अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	पेयजल व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था अतिरिक्त पैराटीचर
12.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	21.07.02	राउप्रावि महेश्वरा खुर्द	सी.आर.सी.एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
13.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	22.07.02	रागापा बैरवा ढ़ाणी महेश्वरा खुर्द	महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी. एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
14.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	16.8.02	प्रावि सिरयाण ढाणी	सेवानिवृत्त अध्यापक, महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी.एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, अन्य सदस्य	पेयजल व्यवस्था, मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
15.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	20.07.02	राउप्रावि व्यासों का नोहरा	प्रधानाध्यापक, महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी.एफ. वार्ड मेम्बर, सरपंच, अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, विद्यालय साजसज्जा
16.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	22.07.02	रागापा बैरवा ढ़ाणी व्यासों का नोहरा	शिक्षा सहयोगी, महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी.एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	बाउण्ड्री वाल, कुर्सी टेबिल, स्टेशनरी, पेयजल व्यवस्था
17.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	28.07.02	राउप्रावि राहुवास	महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी. एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	पेयजल व्यवस्था, मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर

क्र.	बैठक का नाम	आयोजन दिनांक	आयोजन स्थान	उपस्थित संभागी	मुख्य मुद्दे
18.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	27.07.02	शि.क.विद्या. हरिपुरा	महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी. एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
19.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	29.07.02	राप्रावि रामगढ़	महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी. एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
20.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	27.07.02	राप्रावि बुरजा	शिक्षा सहयोगी, महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी.एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	बाउण्ड्री वाल, कुर्सी टेबिल, स्टेशनरी, पेयजल व्यवस्था
21.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	03.08.02	राउप्रावि मानपुरिया	महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी. एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
22.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	07.08.02	राप्रावि रालावास	शिक्षा सहयोगी, वार्ड पार्षद, अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	पेयजल व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था अतिरिक्त पैराटीचर, शिक्षा मित्र केन्द्र, आवासीय बालिका शिविर
23.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	06.08.02	राउप्रावि डीडवाना	सी.आर.सी.एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
24.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	14.08.02	राउप्रावि देवली	महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी. एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
25.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	16.08.02	राउप्रावि डिगो	प्रधान, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, अतिविकास अधिकारी, पार्षदगण, बी.आर.सी.एफ., शिक्षक प्रतिनिधि, समाजसेवी, स्वयं सेवी संगठन,	पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र, सामाजिक जागरुकता, आंगनबाडी कार्यकताओ का संम्बलन, निर्माण, मरम्मत, प्रशिक्षण, पेयजल एवं शौचालयें की व्यवस्था, आवासीय बालिका शिविर, अतिरिक्त पैराटीचर,
26.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	20.08.02	राप्रावि बिदरखां	प्रधान, विकास अधिकारी, अतिविकास अधिकारी, पार्षदगण, सी.डी.पी.ओं. बी. आर.सी.एफ., शिक्षक प्रतिनिधि, समाजसेवी, स्वयं सेवी संगठन, पंचायत समिति सदस्य	स्वास्थ्य परिक्षण, आंगनबाडी कार्यकताओ का संम्बलन, निर्माण, मरम्मत, प्रशिक्षण, पेयजल एवं शौचालयें की व्यवस्था, सामाजिक चेतना के कार्यक्रम

क्र.	बैठक का नाम	आयोजन दिनांक	आयोजन स्थान	उपस्थित संभागी	मुख्य मुद्दे
27.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	21.08.02	राप्रावि सोनड	डाक्टर, प्रधान, विकास अधिकारी, अतिविकास अधिकारी, पार्षदगण, बी.आर.सी.एफ., शिक्षक प्रतिनिधि, समाजसेवी, स्वयं सेवी संगठन,	आंगनबाडी कार्यकताओ का संम्बलन, निर्माण, मरम्मत, प्रशिक्षण, पेयजल, , आवासीय बालिका शिविर, शिक्षा मित्र केन्द्र, चारी दीवारी
28.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	24.08.02	राउप्रावि कल्लावास	वार्ड पार्षद, अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, सामाजिक जुडाव, शिक्षाण सामग्री
29.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	19.08.02	राउप्रावि नयाबास	महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी. एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
30.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	27.08.02	राप्रावि डोब	शिक्षा सहयोगी, महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी.एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	बाउण्ड्री वाल, कुर्सी टेबिल, स्टेशनरी, पेयजल व्यवस्था, ठहराव में मदद, निशुल्क पुस्तक वितरण
31.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	29.08.02	राप्रावि गीजगढ	महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी. एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर, चारी दीवारी
32.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	1.09.02	राउप्रावि बहराउण्डा	महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी. एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
33.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	27.08.02	राउप्रावि दुब्बी	शिक्षा सहयोगी, महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी.एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	बाउण्ड्री वाल, कुर्सी टेबिल, स्टेशनरी, पेयजल व्यवस्था
34.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	23.08.02	राप्रावि हडिया	महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी. एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
35.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	25.08.02	राउप्रावि मण्डावर	शिक्षा सहयोगी, वार्ड पार्षद, अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	पेयजल व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था अतिरिक्त पैराटीचर, चारी दीवारी, शिक्षा मित्र केन्द्र, , आवासीय बालिका शिविर
36.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	27.07.02	राप्रावि पाली	सी.आर.सी.एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनवाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर

क्र.	बैठक का नाम	आयोजन दिनांक	आयोजन स्थान	उपस्थित संभागी	मुख्य मुद्दे
37.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	31.07.02	राउप्रावि भाण्डारेज	महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी. एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर, शिक्षा मित्र केन्द्र, अतिरिक्त पैराटीचर,, , आवासीय बालिका शिविर
38.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	31.07.02	राउप्रावि ढ़ाणी बाग	शिक्षा सहयोगी, वार्ड पार्षद, अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	पेयजल व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था अतिरिक्त पैराटीचर, चारी दीवारी, शिक्षा मित्र केन्द्र, , आवासीय बालिका शिविर
39.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	15.08.02	राउप्रावि कैलाई	सी.आर.सी.एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
40.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	18.07.02	राप्रावि हींगवा	सी.आर.सी.एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
41.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	24.07.02	राउप्रावि खटवा	महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी. एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	मरम्मत, नामांकन में मदद, पुस्तकों की व्यवस्था शिक्षाण सामग्री, अतिरिक्त पैराटीचर
42.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	31.07.02	राउप्रावि झांपदावस	शिक्षा सहयोगी, वार्ड पार्षद, अध्यापक, अ.ज, अजजा प्रतिनिधि आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	पेयजल व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था अतिरिक्त पैराटीचर, चारी दीवारी, शिक्षा मित्र केन्द्र, , आवासीय बालिका शिविर
43.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	31.07.02	राप्रावि भोजवाडा	प्रधान, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, अतिविकास अधिकारी, पाषर्दगण, बी.आर.सी.एफ., शिक्षक प्रतिनिधि, समाजसेवी, स्वयं सेवी संगठन,	पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र, सामाजिक जागरुकता, आंगनबाडी कार्यकताओ का संम्बलन, निर्माण, मरम्मत, प्रशिक्षण, पेयजल एवं शौचालयों की व्यवस्था, आवासीय बालिका शिविर, अतिरिक्त पैराटीचर,
44.	विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक	31.07.02	राप्रावि बाणे का बरखेडा	शिक्षा सहयोगी, महिला प्रतिनिधि, सी.आर.सी.एफ. मेम्बर, सरपंच अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, अन्य सदस्य	बाउण्ड्री वाल, कुर्सी टेबिल, स्टेशनरी, पेयजल व्यवस्था

(स्त्रोत BRCF)

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ....
Date ....